



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102022-239685
CG-DL-E-15102022-239685

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520]
No. 520]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2022/आश्विन 22, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2022/ASVINA 22, 1944

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2022

फा. सं.—एल—1/261/2021/केविआ.—चूंकि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 (इसके बाद जीएनए विनियम के रूप में उल्लिखित) को दिनांक 07.06.2022 को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग—III, खंड—4, सं.364) में प्रकाशित किया गया था,

चूंकि, जीएनए विनियमों के विनियम 1.2 में उपबंध है कि ये विनियम उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और पृथक विनियमों के आरंभ के लिए पृथक तारीखें निर्धारित की जा सकती हैं,

और अब, अतएव, यह अधिसूचित किया जाता है कि:

(क) जीएनए विनियम, विनियम 23 से 24, 26 से 36, 37.9, 38, 40, और 43 के उपबंधों को छोड़कर दिनांक 15.10.2022 से प्रवृत्त होंगे जिनके आरंभ की तारीख पृथक रूप से अधिसूचित की जाएगी।

(ख) संयोजकता और जीएनए के लिए नए आवेदन और जीएनए विनियमों के अधीन उनके प्रसंस्करण और अनुदान को पृथक रूप से अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त किया जाएगा।

(ग) विद्युत के अनुसूचीकरण और प्रेषण का, अगली अधिसूचना तक, समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक निर्दिष्ट आईएसटीएस उपभोक्ताओं (डीआईएस) के दीर्घकालिक पहुंच (एलटीए), मध्यकालिक निर्बाध पहुंच (एमटीओए) और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच (एसटीओए) और ग्रिड के अन्य उपयोगकर्ताओं की मात्रा पर आधारित होना जारी रहेगा।

(घ) अल्पकालिक निर्बाध पहुंच का, अगली अधिसूचना तक, समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 और उसके अधीन जारी विस्तृत क्रियाविधि के अधीन अनुदान किया जाना जारी रहेगा।

(ड) अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की बिलिंग, संग्रहण और संवितरण का, अगली अधिसूचना तक, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक निर्दिष्ट आईएसटीएस उपभोक्ताओं (डीआईएस) के दीर्घकालिक पहुंच (एलटीए), मध्यकालिक निर्बाध पहुंच (एमटीओए) और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच (एसटीओए) और ग्रिड के अन्य उपयोगकर्ताओं की मात्रा पर आधारित होना जारी रहेगा।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./342/2022-23]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2022

F.No. L-1/261/2021/CERC.—Whereas, the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 (hereinafter GNA Regulations) was, on 07.06.2022, published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 364),

Whereas, the Regulation 1.2 of the GNA regulations provides that the regulations shall come into force from the date to be notified by the Commission and different dates may be appointed for commencement of different regulations,

And now, therefore, it is notified that:

- (a) The GNA Regulations shall come into operation with effect from 15.10.2022 except the provisions of Regulations 23 to 24, 26 to 36, 37.9, 38, 40, and 43, whose date of commencement shall be notified separately.
- (b) Fresh Applications for Connectivity and GNA and their processing and grant under GNA Regulations shall be made effective from a date to be notified separately.
- (c) Scheduling and Despatch of electricity shall continue to be based on the quantum of Long-Term Access (LTA), Medium-Term Open Access (MTOA) and Short-Term Open Access (STOA) of each of the Designated ISTS Customers (DICs) and other users of the grid in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010, as amended from time to time, till further notification.
- (d) STOA shall continue to be granted under the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State transmission) Regulations, 2008, as amended from time to time and the Detailed Procedures issued thereunder, till further notification.
- (e) Billing, Collection and Disbursement of the inter-State Transmission Charges and Losses shall continue to be based on the quantum of Long-Term Access (LTA), Medium-Term Open Access (MTOA) and Short-Term Open Access (STOA) of each of the DICs and other users of the grid in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020 till further notification.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./342/2022-23]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237375
CG-DL-E-20072022-237375

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19, 2022/आषाढ 28, 1944

No. 364]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 19, 2022/ASHADHA 28, 1944

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

प्रस्तावना

सं. एल-1/261/2021/केविआ.—चूंकि सामान्य नेटवर्क पहुंच के माध्यम से अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए अनुज्ञप्तिधारियों या उत्पादन कंपनियों या उपभोक्ताओं को भेदभाव रहित निर्बाध पहुंच को सुगम बनाने के लिए विनियामक ढांचा प्रदान करना और इस विषय पर विनियमों को समेकित करना आवश्यक है, इसे एतद् द्वारा निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया है:

अधिसूचना

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ग) और धारा 40 के खंड (ग), धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (घ), धारा 2 के खंड (47) के साथ पठित धारा 178 की उप-धारा (2) के खंड (यड) और धारा 178 की उप-धारा (1) और इस निमित्त अन्य सभी समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा आरंभ

1.1 इन विनियमों का नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता तथा सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 है।

1.2 ये विनियम उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

परंतु यह कि पृथक विनियमों के आरंभ के लिए पृथक तारीखें निर्धारित की जा सकती हैं।

2. परिभाषा

2.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;
- (ख) संयोजकता हेतु आवेदक (आवेदकों) के लिए "संबद्ध पारेषण प्रणाली" या "एटीएस" से इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार यथा अवधारित एटीएस अभिप्रेत है;
- (ग) "द्विपक्षीय संव्यवहार" से सीधे या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से या पावर एक्सचेंज पर विनिर्दिष्ट क्रेता और विनिर्दिष्ट विक्रेता के बीच विद्युत के विनिमय के लिए सामूहिक संव्यवहार के अलावा संव्यवहार अभिप्रेत है;
- (घ) "सीईए रजिस्ट्री" से संयोजकता के लिए सीईए तकनीकी मानकों में यथा विनिर्दिष्ट उत्पादन स्टेशनों के डाटाबेस के रखरखाव हेतु रजिस्ट्री अभिप्रेत है;
- (ङ) "संयोजकता के लिए सीईए तकनीकी मानक" से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड को संयोजकता के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 अभिप्रेत है;
- (च) "निर्माण के लिए सीईए तकनीकी मानकों" से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युतीय संयंत्रों और विद्युतीय लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010 अभिप्रेत है;
- (छ) "केन्द्रीय आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (ज) "केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी" या "सीटीयू" का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा 10 में परिभाषित है;
- (झ) "सामूहिक संव्यवहारों" से विद्युत बाजार विनियमों में यथा परिभाषित सामूहिक संव्यवहार है अभिप्रेत है;
- (ञ) "संचार विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली) विनियम, 2017 अभिप्रेत है;
- (ट) "संयोजकता" से इन विनियमों के अनुसार अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से जुड़ने की स्थिति अभिप्रेत है;
- (ठ) "संयोजकता विनियम, 2009" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 अभिप्रेत है;
- (ड) "क्रॉस बॉर्डर विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत का क्रॉस बॉर्डर व्यापार) विनियम, 2019 अभिप्रेत है;
- (ढ) "दिवस" से 00.00 बजे से आरंभ और 24.00 बजे पर समाप्त होने वाला दिवस अभिप्रेत है;
- (ण) "समर्पित पारेषण लाइन" का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (16) में परिभाषित है;
- (त) "डीएसएम विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2014 अभिप्रेत है;
- (थ) विद्युत प्रणाली के संबंध में "ऊर्जा भंडारण प्रणाली" या "ईएसएस" से वह सुविधा अभिप्रेत है जहाँ विद्युतीय ऊर्जा, ऊर्जा के किसी भी रूप में परिवर्तित होती है जिसे भंडारित किया जा सकता है, और तत्पश्चात् विद्युतीय ऊर्जा में पुनः परिवर्तित और ग्रिड में वापिस अंतःक्षेपित किया जा सकता है;
- (द) "सामान्य नेटवर्क पहुंच" या "जीएनए" से इन विनियमों के अधीन आईएसटीएस को अनुदत्त निर्बाध पहुंच अभिप्रेत है;
- (ध) "सामान्य नेटवर्क पहुंच अनुदानग्राही" या "जीएनए अनुदानग्राही" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन जीएनए अनुदान किया गया है या जीएनए अनुदान किया गया समझा गया है;
- (न) "ग्रिड कोड" से अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है;
- (प) "अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली" या "आईएसटीएस" से अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (36) में यथा परिभाषित अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली अभिप्रेत है;
- (फ) "अंतर-राज्यिक इकाई" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी मीटरिंग यथास्थिति राज्य पारेषण यूटिलिटी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाती है, और ऊर्जा लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र या इस प्रकार किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाता है;
- (ब) "इंटरफेस मीटर" का वही अर्थ होगा जैसा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 में परिभाषित है;

- (भ) "लीड ईएसएस" से निम्नलिखित अभिप्रेत है
- (i) ईएसएस जो एकल अंतर-संयोजन बिंदु पर आईएसटीएस को संयोजकता हेतु आवेदन करने के लिए करार के माध्यम से एक या अधिक ईएसएस या उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) द्वारा प्राधिकृत है: या
- (ii) आईएसटीएस से पहले से ही संयोजकता रखने वाला ईएसएस, और जिसके विद्युतीय प्रणाली के माध्यम से एक या अधिक ईएसएस या उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) द्वारा करार के माध्यम से संयोजकता मांगी गई है।
- (म) "लीड उत्पादक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,
- (i) उत्पादन स्टेशन जो एकल संयोजन बिंदु पर आईएसटीएस को संयोजकता हेतु आवेदन करने के लिए करार के माध्यम से एक या अधिक उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) या ईएसएस या द्वारा प्राधिकृत है: या
- (ii) आईएसटीएस से पहले से ही संयोजकता रखने वाला उत्पादन स्टेशन, और जिसके विद्युतीय प्रणाली के माध्यम से एक या अधिक उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) या ईएसएस द्वारा करार के माध्यम से संयोजकता मांगी गई है।
- (य) "राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र" या "एनएलडीसी" से अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी) अभिप्रेत है;
- (कक) "राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री" या "एनओएआर" से इन विनियमों के विनियम 27 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्री अभिप्रेत है;
- (कख) "नोडल एजेंसी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है
- (i) संयोजकता या आईएसटीएस को जीएनए के लिए नामित एजेंसी जो कि इन विनियमों के विनियम 3 से विनियम 25 और विनियम 37 के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय पारिषण यूटिलिटी होगी;
- (ii) द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए टी-जीएनए हेतु नामित एजेंसी जो कि इन विनियमों के विनियम 26 से विनियम 36 के प्रयोजन हेतु उस प्रदेश का आरएलडीसी होगी जहां आहरण बिंदु स्थित है;
- (iii) सामूहिक संव्यवहारों के लिए टी-जीएनए हेतु नामित एजेंसी जो कि इन विनियमों के विनियम 26 से विनियम 36 के प्रयोजन हेतु एनएलडीसी होगी;
- (iv) एनओएआर के कार्यान्वयन और प्रचालन के लिए एजेंसी जो कि इन विनियमों के विनियम 27 के प्रयोजन हेतु एनएलडीसी होगी;
- (कग) "निर्बाध पहुंच विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारिषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 अभिप्रेत है;
- (कघ) "विद्युत बाजार विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 अभिप्रेत है;
- (कङ) "प्रादेशिक इकाई" का वही अर्थ होगा जैसा कि ग्रिड कोड में परिभाषित है;
- (कच) "प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र" या "आरएलडीसी" से अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र अभिप्रेत है;
- (कछ) "नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन" या "आरईजीएस" से ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित या इसके बिना ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत पर आधारित उत्पादन स्टेशन अभिप्रेत है और इसमें नवीकरणीय हाइब्रिड उत्पादन स्टेशन शामिल है;
- (कज) "नवीकरणीय हाइब्रिड उत्पादन स्टेशन" या "आरएचजीएस" से एक ही अंतर-संयोजन बिंदु पर जुड़े ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित या इसके बिना, ऊर्जा के दो या दो से अधिक नवीकरणीय स्रोत (स्रोतों) के हाइब्रिड पर आधारित उत्पादन स्टेशन अभिप्रेत है;
- (कझ) "नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता" से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) के लिए विद्युत पार्क विकासकर्ता के रूप में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत इकाई अभिप्रेत है;
- (कञ) "आरएलडीसी फीस और प्रभार विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के फीस और प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2019 अभिप्रेत है;
- (कट) "शेयरिंग विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारिषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 अभिप्रेत है;
- (कठ) "स्थायी क्लियरेंस" से इन विनियमों के विनियम 31 में यथा विनिर्दिष्ट संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी क्लियरेंस अभिप्रेत है;
- (कड) "राज्य पारिषण यूटिलिटी" या "एसटीयू" का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (67) में परिभाषित है;

(कढ) "अस्थायी जीएनए" या "टी-जीएनए" से इन विनियमों के अध्याय 6 के संदर्भ में आईएसटीएस को अनुदत्त निर्बाध पहुंच अभिप्रेत है;

(कण) "टर्मिनल बे" से आईएसटीएस सब-स्टेशन पर बे अभिप्रेत है जहां संयोजकता अनुदानग्राही की पारिषण लाइने समाप्त होती हैं;

(कत) "टी-जीएनए अनुदानग्राही" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन टी-जीएनए प्रदान किया गया है।

- 2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त और यहां परिभाषित नहीं किए गए परंतु अधिनियम या केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, वह होगा जैसा कि यथास्थिति अधिनियम या केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनियमों के अधीन उन्हें प्रदान किया गया है।
- 2.3 किसी भी अधिनियम, नियमों और विनियमों के संदर्भ में उनका संशोधन या समेकन या पुनराधिनियमन शामिल होगा।

अध्याय 2

सामान्य उपबंध

3. संयोजकता प्रदान किए जान हेतु आवेदन और जीएनए

- 3.1 संयोजकता प्रदान किए जाने या जीएनए प्रदान किए जाने हेतु आवेदन, यथास्थिति, नोडल एजेंसी को ऑनलाइन रूप में किया जाएगा और आवेदक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- 3.2 संयोजकता प्रदान किए जाने हेतु प्रत्येक आवेदन, लागू करों सहित रु.5 लाख की आवेदन फीस के साथ किया जाएगा।
- 3.3 जीएनए प्रदान किए जाने हेतु प्रत्येक आवेदन, लागू करों सहित रु.5 लाख की आवेदन फीस के साथ किया जाएगा।
परंतु यह कि जीएनए हेतु आवेदन करते समय राज्य पारिषण यूटिलिटी द्वारा कोई आवेदन फीस देय नहीं होगी।
- 3.4 आवेदन की प्राप्ति हेतु आवेदन की तारीख और समय सहित स्वतः उत्पन्न पावती आवेदक को जारी की जाएगी और इसकी प्रति नोडल एजेंसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- 3.5 संवीक्षा के बाद, नोडल एजेंसी आवेदक को आवेदन की प्राप्ति की तारीख और समय के क्रम में आवेदन की प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर संयोजकता प्रदान किए जाने या जीएनए प्रदान किए जाने के लिए आवेदन में कमियों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेगी। आवेदक इसके बाद एक सप्ताह के अंदर कमियों को सुधार सकता है, जिसके न होने पर आवेदन को समाप्त कर दिया जाएगा और आवेदन फीस का 20% जब्त कर लिया जाएगा। आवेदन शुल्क का शेष 80% नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को आवेदन समाप्त किए जाने के 15 दिनों के अंदर वापस किया जाएगा।
- 3.6 संयोजकता प्रदान किए जाने के लिए मास के दौरान इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन आवेदकों से प्राप्त सभी आवेदनों को मास के अंतिम दिन के 2400 बजे तक एक साथ संसाधित किया जाएगा। आवेदनों की परस्पर प्राथमिकता, जहां कहीं आवश्यकता हो, आवेदन प्राप्त होने की तारीख और समय के अनुसार दी जाएगी।
- 3.7 यदि इन विनियमों के विनियम 7 के संदर्भ में संयोजकता के सैद्धांतिक अनुदान या इन विनियमों के विनियम 22 के संदर्भ में जीएनए के अनुदान से पूर्व संयोजकता के अनुदान या जीएनए के अनुदान हेतु कोई आवेदन वापस लिया जाता है, तो आवेदन फीस का 50% जब्त कर लिया जाएगा। आवेदन फीस का शेष 50%, आवेदन के वापस लिए जाने के 15 दिनों के अंदर नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को वापस कर दिया जाएगा:
परंतु यह कि यदि कोई आवेदन, संयोजकता के सैद्धांतिक अनुदान या जीएनए के अनुदान के बाद वापस लिया जाता है, तो ऐसे आवेदन को वापस लिए जाने की तारीख के 15 दिनों की अवधि के अंदर नोडल एजेंसी द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा और आवेदन फीस का 100% जब्त कर लिया जाएगा।

अध्याय 3

संयोजकता

4. आईएसटीएस से संयोजकता के लिए पात्रता

- 4.1 निम्नलिखित इकाइयां संयोजकता के अनुदान हेतु या संयोजकता की मात्रा में वृद्धि हेतु आवेदन करने के लिए आवेदन के रूप में पात्र होंगी:

(क) आरईजीएस सहित, ईएसएस के साथ या बिना, अलग-अलग रूप से 50 मेगावाट और उससे अधिक की संस्थापित क्षमता के साथ, या लीड जेनरेटर या लीड ईएसएस के माध्यम से 50 मेगावाट और उससे अधिक की सकल संस्थापित क्षमता के साथ उत्पादन स्टेशन;

(ख) 50 मेगावाट और उससे अधिक के आरईएसटीएस में अंतःक्षेपण की क्षमता के साथ कैप्टिव उत्पादन संयंत्र;

(ग) अलग-अलग रूप से 50 मेगावाट और उससे अधिक की संस्थापित क्षमता के साथ या लीड ईएसएस या लीड जेनरेटर के माध्यम से 50 मेगावाट की सकल संस्थापित क्षमता के साथ ईएसएस स्टैंडअलोन;

(घ) नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता;

(ङ) आरईएसटीएस से पहले से ही संयोजकता वाले उत्पादन स्टेशन की विद्युतीय प्रणाली के माध्यम से आरईएसटीएस से संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन करने वाले 5 मेगावाट और उससे अधिक की संस्थापित क्षमता के साथ आरईजीएस या स्टैंडअलोन ईएसएस:

परंतु यह कि आरईएसटीएस से संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन करने वाली ऐसी इकाई ने अपनी विद्युतीय प्रणाली और समर्पित पारेषण लाइनों, यदि कोई हो, को उक्त उत्पादन स्टेशन के साथ शेरर करने हेतु करार किया है।

4.2 विनियम 4.1 में किसी बात के होते हुए भी, संयोजकता वाली इकाइयां, आवेदन फीस के भुगतान पर पारेषण प्रणाली में उपलब्ध क्षमता के अध्याधीन 50 मेगावाट से कम की संयोजकता की वृद्धि के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगी।

4.3 अंतः राज्यिक पारेषण प्रणाली से पहले से जुड़े या जुड़ने के इच्छुक उत्पादन स्टेशन भी संयोजकता हेतु आवेदक के रूप में पात्र होंगे।

5. संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन

5.1 आवेदक, जो कि आरईजीएस सहित उत्पादन स्टेशन है, उत्पादन स्टेशन की संस्थापित क्षमता की समतुल्य मात्रा के लिए नोडल एजेंसी को संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन करेगा:

परंतु यह कि यदि ऐसे आवेदक के पास अपनी संस्थापित क्षमता के भाग के लिए अंतः राज्यिक पारेषण प्रणाली से संयोजकता है, तो वह संस्थापित क्षमता के शेष तक की मात्रा के लिए आरईएसटीएस से संयोजकता हेतु आवेदन कर सकता है;

परंतु यह और कि यदि ऐसा आवेदक नवीकरणीय हाइब्रिड उत्पादन स्टेशन या भंडारण के साथ आरईजीएस है, तो वह संस्थापित क्षमता के बराबर या उससे कम की मात्रा के लिए संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है।

5.2 विनियम 5.1 में किसी बात के होते हुए भी उत्पादन स्टेशन या ईएसएस, सीटीयू के पूर्व अनुमोदन के साथ, उसे अनुदत्त संयोजकता की मात्रा के अंदर ईएसएस सहित अतिरिक्त उत्पादन को जोड़ने का पात्र होगा;

परंतु यह कि ऐसी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए, उक्त उत्पादन स्टेशन ग्रिड कोड और केन्द्रीय आयोग के अन्य विनियमों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा।

5.3 आवेदक, जो कि कैप्टिव उत्पादन संयंत्र है, आरईएसटीएस में अपनी प्रस्तावित अधिकतम अंतःक्षेपण की मात्रा के लिए संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है।

5.4 आवेदक, जो कि स्टैंडअलोन ईएसएस है, आरईएसटीएस में अपनी प्रस्तावित अधिकतम अंतःक्षेपण या आरईएसटीएस से प्रस्तावित अधिकतम आहरण की मात्रा, जो भी अधिकतम हो, के लिए संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है।

5.5 आवेदक, जो कि नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता है, संयोजकता की उस मात्रा के अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है जिसके लिए उसे नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता के रूप में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

5.6 आवेदक, टर्मिनल बे या स्विचयार्ड और समर्पित पारेषण लाइनों, यदि कोई हो, को शेरर करने के लिए आवेदक और उक्त संयोजकता अनुदानग्राही या आरईएसटीएस से संयोजकता वाले उत्पादन स्टेशन, यथास्थिति, के बीच विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित करार के साथ (i) अन्य संयोजकता अनुदानग्राही को पहले से ही आबंटित आरईएसटीएस सब-स्टेशन की टर्मिनल बे या (ii) आरईएसटीएस से संयोजकता वाले उत्पादन स्टेशन के स्विचयार्ड पर संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है। इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार लागू संयोजकता बैंक गारंटी, ऐसे आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

5.7 दो या दो से अधिक आवेदक समर्पित पारेषण लाइनों और टर्मिनल बे को शेरर करने हेतु उनके द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित करार के साथ समान टर्मिनल बे पर संयोजकता के अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार लागू संयोजकता बैंक गारंटी ऐसे प्रत्येक आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

5.8 संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, विनियम 39.1 के अनुसार जारी संयोजकता और जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधि में यथा निर्धारित, सुसंगत एफिडेविट के साथ विधिवत् समर्थित, यथा लागू, निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:

- (i) इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन भौगोलिक स्थिति और संस्थापित क्षमता;
- (ii) आईएसटीएस के साथ अंतर्विनियम की जाने वाली विद्युत की अधिकतम मात्रा और आईएसटीएस से संयोजन का सर्व-प्रधान बिंदु;
- (iii) जिस तारीख से संयोजकता मांगी गई है;
- (iv) आवेदन फीस के लिए डिजिटल भुगतान की बैंक जनित प्रमाण;
- (v) कंपनी के मामले में, संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए नामित व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाला बोर्ड रेजोल्यूशन;
- (vi) सीईए रजिस्ट्री द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ पंजीकरण संख्या;
- (vii) नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता के मामले में, सौर विद्युत उत्पादकों या पवन विद्युत उत्पादकों की ओर से संयोजकता के लिए व्यवस्था सहित ढांचागत गतिविधियों को करने हेतु यथा लागू केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार;
- (viii) लीड उत्पादक या लीड ईएसएस, यथास्थिति, के माध्यम से आवेदन के मामले में, समर्पित पारेषण लाइनों और टर्मिनल बे की शेरिंग के लिए करार और ग्रिड कोड के उपबंधों और केन्द्रीय आयोग के अन्य विनियमों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होने के लिए लीड जेनरेटर या लीड ईएसएस, यथास्थिति, की सहमति;
- (ix) इन विनियमों के विनियम 5.6 के अधीन कवर किए गए आवेदक के मामले में, टर्मिनल बे या स्विचयार्ड, यथास्थिति, और समर्पित पारेषण लाइनों, यदि कोई हो, की शेरिंग हेतु आवेदक और संयोजकता अनुदानग्राही या आईएसटीएस से संयोजकता वाले उत्पादन स्टेशन के बीच करार;
- (x) इन विनियमों के विनियम 5.7 के अधीन कवर किए गए आवेदक के मामले में, टर्मिनल बे और समर्पित पारेषण लाइनों, यदि कोई हो, की शेरिंग हेतु आवेदक (आवेदकों) के बीच करार।

6. नोडल एजेंसी और एटीएस द्वारा अंतरसंयोजकता अध्ययन

6.1 संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन प्राप्त होने पर नोडल एजेंसी, सामान्य नेटवर्क पहुंच के अधीन आईएसटीएस से अधिक विद्युत के अंतरण को सक्षम करने हेतु मौजूदा आईएसटीएस, यदि कोई हो, की वृद्धि की आवश्यकता के साथ संयोजकता के लिए सीईए तकनीकी मानकों में यथा विनिर्दिष्ट अंतरसंयोजन अध्ययन करेगी:

परंतु यह कि इस विनियम के प्रयोजन हेतु मौजूदा आईएसटीएस उस पारेषण प्रणाली को शामिल करेगा जिसे उस मास के अंतिम दिन पर कार्यान्वयन के लिए अवार्ड किया गया है जिसमें संयोजकता के अनुदान हेतु सभी प्रकार से संपूर्ण आवेदन प्राप्त हुआ है:

परंतु यह और कि यदि किसी अतिरिक्त पारेषण प्रणाली को अंतरसंयोजन अध्ययन के समापन से पूर्व कार्यान्वयन के लिए अवार्ड किया जाता है, तो ऐसी अतिरिक्त पारेषण प्रणाली को भी मौजूदा आईएसटीएस के रूप में समझा जाएगा।

6.2 इन विनियमों के विनियम 6.1 के अधीन पहचान की गई वृद्धि की आवश्यकता में से, टर्मिनल बे को छोड़कर, आवेदक (आवेदकों) की विद्युत की तत्काल निकासी के लिए आवश्यक वृद्धि को आवेदक (आवेदकों) के लिए संबद्ध पारेषण प्रणाली (एटीएस) के रूप में समझा जाएगा।

7. नोडल एजेंसी द्वारा संयोजकता का सैद्धांतिक अनुदान

7.1 यदि नोडल एजेंसी इन विनियमों के विनियम 6.1 के अनुसार किए गए अंतरसंयोजन अध्ययन के बाद यह निर्धारित करती है कि किसी एटीएस की आवश्यकता नहीं है, तो नोडल एजेंसी, जिस मास में आवेदन प्राप्त हुआ था, उस मास के अंतिम दिन से 30 दिनों के अंदर आवेदक को संयोजकता का सैद्धांतिक अनुदान सूचित करेगी जिसमें टर्मिनल बे, पहले से ही उपलब्ध या सीटीयू के माध्यम से आईएसटीएस के अधीन विकसित किए जाने, और आवेदक द्वारा निर्माण की जाने वाली समर्पित पारेषण लाइनों के लिए न्यूनतम डिज़ाइन विशेषताओं जैसे विवरणों का उल्लेख होगा।

7.2 यदि नोडल एजेंसी इन विनियमों के विनियम 6.1 के अनुसार किए गए अंतरसंयोजन अध्ययन के बाद यह निर्धारित करती है कि एटीएस की आवश्यकता है, तो नोडल एजेंसी उस मास के अंतिम दिन से 60 दिनों के अंदर आवेदक को संयोजकता का सैद्धांतिक अनुदान सूचित करेगी जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था:

परंतु यह कि संयोजकता के सैद्धांतिक अनुदान हेतु सूचना में एटीएस और टर्मिनल बे, ऐसे एटीएस और टर्मिनल बे की अनुमानित लागत, आवेदक द्वारा निर्माण की जाने वाली समर्पित पारेषण लाइनों के लिए न्यूनतम डिज़ाइन विशेषताएं और संयोजकता के आरंभ की संभावित तारीख का उल्लेख होगा:

परंतु यह और कि संयोजकता के निर्णायक अनुदान के समय संयोजकता के आरंभ की निर्धारित तारीख की पुष्टि की जाएगी।

8. संयोजकता बैंक गारंटी

8.1 आवेदक द्वारा संयोजकता बैंक गारंटी तीन भागों में प्रस्तुत की जाएगी, संयोजकता-बीजी1 की राशि रु. 50 लाख, और संयोजकता-बीजी2 और संयोजकता-बीजी3, की राशि इन विनियमों के विनियम 8.2 और विनियम 8.3 में यथा उपबंधित होगी।

8.2 इन विनियमों के विनियम 7.1 में कवर किए गए मामलों के लिए, संयोजकता-बीजी2 और संयोजकता-बीजी3 निम्नानुसार प्रस्तुत की जाएगी:

(क) टर्मिनल बे के लिए संयोजकता-बीजी2 निम्नानुसार आबंटित टर्मिनल बे की संख्या के आधार पर प्रस्तुत की जाएगी:

आबंटित टर्मिनल बे का वोल्टता स्तर	संयोजकता-बीजी2 (प्रति टर्मिनल बे)
132 केवी	रु. 2 करोड़
220/230 केवी	रु. 3 करोड़
400 केवी	रु. 6 करोड़
765 केवी	रु. 12 करोड़

परंतु यह कि किसी संयोजकता-बीजी2 को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि इकाई (i) इन विनियमों के विनियम 12.4 के अधीन टर्मिनल बे का निर्माण स्वयं करने का प्रस्ताव करती है, या (ii) अन्य संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा निर्मित या निर्मित किए जा रहे टर्मिनल बे पर संयोजकता मांगती है, या (iii) उत्पादन स्टेशन की विद्युतीय प्रणाली या स्विचयार्ड के माध्यम से संयोजकता मांगती है।

(ख) मौजूदा आईएसटीएस के लिए इकाई द्वारा रु. 2 लाख/मेगावाट पर संयोजकता-बीजी3 प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) संयोजकता-बीजी1, संयोजकता-बीजी2, और संयोजकता-बीजी3, यथा लागू संयोजकता के सैद्धांतिक अनुदान की सूचना के 1 (एक) मास के अंदर प्रस्तुत की जाएगी, जिसके न होने पर संयोजकता हेतु आवेदन समाप्त कर दिया जाएगा और आवेदन फीस जब्त कर ली जाएगी।

8.3 इन विनियमों के विनियम 7.2 के अधीन कवर किए गए मामलों के लिए, निम्नलिखित क्रियाविधि का पालन किया जाएगा:

(क) वह इकाई जिसे संयोजकता का सैद्धांतिक अनुदान सूचित कर दिया गया है, संयोजकता के सैद्धांतिक अनुदान की सूचना के एक मास के अंदर, संयोजकता-बीजी1 के साथ, इन विनियमों के विनियम 7.2 के अधीन यथा सूचित, एटीएस और टर्मिनल बे के निष्पादन हेतु अपनी सहमति प्रस्तुत करेगी, जिसके न होने पर संयोजकता हेतु आवेदन समाप्त कर दिया जाएगा और आवेदन फीस जब्त कर ली जाएगी।

(ख) नोडल एजेंसी, इस विनियम के खंड (क) के अनुसार संयोजकता-बीजी1 की प्रस्तुतिकरण के 6 (छह) मास के अंदर ऐसी इकाई को (i) एटीएस और टर्मिनल बे के लिए प्रस्तुत की जाने वाली संयोजकता-बीजी2 की राशि जो कि इन विनियमों के विनियम 7.2 के अधीन सूचित अनुमानित लागत से अधिक नहीं होगी, (ii) एटीएस और टर्मिनल बे के समापन के लिए टाईमलाइन, और (iii) संयोजकता के आरंभ की निर्धारित तारीख सूचित करेगी।

परंतु यह कि यदि ऐसे एटीएस और टर्मिनल बे, एक से अधिक इकाई के लिए नियोजित हैं, तो संयोजकता-बीजी2 ऐसी इकाइयों द्वारा आवेदन की गई संयोजकता की मात्रा के अनुपात में प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) यदि नोडल एजेंसी इस विनियम के खंड (ख) के अनुसार विवरणों को 6 (छह) मास के अंदर सूचित नहीं करती है, तो नोडल एजेंसी, उस संभावित तारीख के साथ जिस तक संयोजकता-बीजी2 और ऐसी टाईमलाइन प्रस्तुत की जाएगी, छह मास की ऐसी अवधि की समाप्ति के एक मास के अंदर केन्द्रीय आयोग को प्रति के साथ इकाई को ऐसी गैर-सूचना के लिए कारण प्रस्तुत करेगी:

परंतु यह कि नोडल एजेंसी द्वारा छह मास के अंदर गैर-सूचना की दशा में, इकाई के पास संयोजकता हेतु आवेदन को वापस लेने का विकल्प होगा और ऐसे मामले में, इकाई द्वारा वापस लेने का विकल्प चुनने के एक मास के अंदर संयोजकता-बीजी1 वापस कर दी जाएगी और आवेदन समाप्त कर दिया जाएगा।

(घ) वह राशि जिसके लिए इस विनियम के खंड (ख) के अनुसार संयोजकता-बीजी2 प्रस्तुत जानी है, एटीएस और टर्मिनल बे की अनुमानित लागत के बराबर होगी और एटीएस और टर्मिनल बे के समापन हेतु टाईमलाइन, ऐसे एटीएस और टर्मिनल बे हेतु वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख पर आधारित होगी।

(ङ) वह इकाई जिसे संयोजकता का सैद्धांतिक अनुदान सूचित किया गया है, इस विनियम के उप-खंड (ख) के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा सूचना के 1 (एक) मास के अंदर संयोजकता-बीजी2 प्रस्तुत करेगी, जिसके न होने पर संयोजकता हेतु आवेदन समाप्त कर दिया जाएगा, संयोजकता-बीजी1 का नकदीकरण किया जाएगा और आवेदन फीस को जब्त कर लिया जाएगा।

8.4 विनियम 39.1 के अनुसार जारी की गई संयोजकता और जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधि में निर्धारित प्रारूप के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा सीटीयू के पक्ष में संयोजकता-बीजी1, संयोजकता-बीजी2, और संयोजकता-बीजी3 जारी की जाएगी।

9. नोडल एजेंसी द्वारा संयोजकता का अंतिम अनुदान

9.1 संयोजकता-बीजी2 और संयोजकता-बीजी3, यथा लागू, के प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर नोडल एजेंसी उस इकाई को संयोजकता का निर्णायक अनुदान सूचित करेगी जिसे संयोजकता का सैद्धांतिक अनुदान सूचित किया गया है। सूचना में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) आईएसटीएस सब-स्टेशन या उत्पादन स्टेशन का स्वचयार्ड, यथा स्थिति, का नाम जहां संयोजकता का अनुदान किया गया है।

(ख) मौजूदा आईएसटीएस सब-स्टेशन के मामले में, एकल लाइन आरेख के साथ टर्मिनल बे की अवस्थिति।

(ग) निर्माणाधीन आईएसटीएस सब-स्टेशन के मामले में, ऐसे आईएसटीएस सब-स्टेशन के निर्देशांकों और वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख, एकल लाइन आरेख के साथ टर्मिनल बे की अवस्थिति।

(घ) प्रस्तावित आईएसटीएस सब-स्टेशन के मामले में, ऐसे आईएसटीएस सब-स्टेशन के अनंतिम निर्देशांकों और वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख।

(ङ) वोल्टता स्तर सहित समर्पित पारेषण लाइनों की व्यापक डिजाइन विशेषताएं।

9.2 जहां आवेदक ने अन्य संयोजकता अनुदानग्राही को पहले से ही आबंटित टर्मिनल बे पर संयोजकता के लिए आवेदन किया है या जहां समान टर्मिनल बे पर संयोजकता के लिए दो या दो से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया है, वहां इन विनियमों के विनियम 9.1 के अधीन यथा सूचित संयोजकता का अंतिम अनुदान, समर्पित पारेषण लाइनों में क्षमता की उपलब्धताके अधधीन होगा।

10. संयोजकता करार

10.1 वह इकाई जिसे संयोजकता का अंतिम अनुदान सूचित कर दिया गया है, विनियम 39.1 के अनुसार जारी संयोजकता और जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधि में यथा निर्धारित नोडल एजेंसी को तकनीकी डाटा, अन्य बातों के साथ-साथ, फॉल्ट अध्ययन के लिए जेनरेटर डाटा, डायनेमिक सिमुलेशन डाटा और डाटा और वॉयस कम्प्यूनिकेशन का विवरण प्रस्तुत करेगी:

परंतु यह कि यदि इकाई के पास अंतिम तकनीकी संयोजन डाटा का अधिकार नहीं है, तो वह संयोजकता करार का भाग बनने हेतु अनंतिम डाटा प्रस्तुत कर सकती है और भौतिक संयोजन से कम से कम 1 (एक) वर्ष पूर्व अंतिम डाटा प्रस्तुत कर सकती है। ऐसे अंतिम तकनीकी संयोजन डाटा को संयोजन करार के साथ संलग्न किया जाएगा।

10.2 नोडल एजेंसी विनियम 10.1 के अधीन तकनीकी संयोजन डाटा के प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के अंदर संयोजन विवरण, अन्य बातों के साथ-साथ, संरक्षण उपस्कर का विवरण, प्रणाली रिकॉर्डिंग, एससीएडीए और संचार उपस्कर सूचित करेगी।

10.3 विनियम 10.2 के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा संयोजन विवरणों के सूचित किए जाने के 30 दिनों के अंदर, नोडल एजेंसी और उस इकाई के बीच संयोजकता करार हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसे संयोजकता का अंतिम अनुदान सूचित किया गया है। संयोजकता करार के हस्ताक्षरित होने पर, ऐसी इकाई संयोजकता अनुदानग्राही बन जाएगी।

10.4 विनियम 10.1 में इंगित तकनीकी संयोजन डाटा और विनियम 10.2 में इंगित संयोजन विवरण, संयोजकता करार का हिस्सा होंगे।

10.5 जहां संयोजकता प्रस्तावित आईएसटीएस सब-स्टेशन पर अनुदान की गई है, वहां नोडल एजेंसी संयोजकता करार के हस्ताक्षरित होने के 2 मास के अंदर अंतिम निर्देशांकों की पुष्टि करेगी और ऐसे निर्देशांक पहले से ही सूचित अनंतिम निर्देशांकों के 5 किमी के रेडियस से बाहर नहीं होंगे।

10.6 विनियम 10.3 के अधीन जैसा कि अपेक्षित है, उस इकाई द्वारा संयोजकता करार को हस्ताक्षर करने में विफलता की दशा में जिसे संयोजकता का अंतिम अनुदान सूचित कर दिया गया है, नोडल एजेंसी 30 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए संयोजकता करार को हस्ताक्षर करने के लिए समय बढ़ा सकती है, जिसके न होने पर नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को सूचित करते हुए संयोजकता का अंतिम अनुदान का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा, संयोजकता-बीजी1, संयोजकता-बीजी2 का नकदीकरण किया जाएगा, और संयोजकता-बीजी3 को वापस कर दिया जाएगा।

परंतु यह कि जहां एटीएस या टर्मिनल बे का निर्माण कार्यान्वयन के लिए अवार्ड नहीं किया गया है, संयोजकता-बीजी2 को ऐसे प्रतिसंहरण के एक मास के अंदर वापस कर दिया जाएगा।

10.7 संयोजकता करार में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित और विनियम 39.1 के अनुसार जारी 'संयोजकता और जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधि' में यथा निर्धारित अन्य विवरण शामिल होंगे:

- (क) इन विनियमों के विनियम 10.5 के उपबंधों के अध्यक्षीन आईएसटीएस सब-स्टेशन पर आबंटित टर्मिनल बे के विवरण;
- (ख) संयोजकता के आरंभ की तारीख; और
- (ग) उपबंध कि देय तारीख से 3 मास से अधिक के लिए शेयरिंग विनियमों के विनियम 13 के अधीन पारेषण प्रभारों के गैर-भुगतान के मामले में, इसकी वसूली इन विनियमों के विनियम 16.3 के उपबंध की अपेक्षा अनुसार संयोजकता-बीजी1, संयोजकता-बीजी2 और संयोजकता-बीजी3 के नकदीकरण द्वारा की जाएगी।
- 10.8** स्टार्ट-अप विद्युत के आहरण या अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण हेतु इकाई, एटीएस में घटकों को पहचान सकती है और संयोजकता करार में सहमति के अनुसार संयोजता के आरंभ की तारीख से पूर्व उन घटकों की सीओडी मांग सकती है। नोडल एजेंसी और इकाई के बीच वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों को कवर करते हुए इसके लिए पृथक करार हस्ताक्षरित होगा। ऐसी इकाई, शेयरिंग विनियमों के विनियम 13 के अनुसार पारेषण प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगी।
- 10.9** संयोजकता अनुदानग्राही उस आरएलडीसी को हस्ताक्षरित संयोजकता करार की प्रति प्रस्तुत करेगी जिसके नियंत्रण क्षेत्र में वह स्थित है।
- 10.10** संयोजकता अनुदानग्राही, संयोजकता के लिए सीईए तकनीकी मानकों के उपबंधों का पालन करेगा।
- 11. नोडल एजेंसी द्वारा मॉनिटरिंग**
- 11.1** संयोजकता अनुदानग्राही, समर्पित पारेषण लाइनों सहित अपने क्षेत्र के अधीन कार्य के कार्यान्वयन की स्थिति प्रत्येक तिमाही में नोडल एजेंसी को अद्यतन करेगा जो इसे अपनी वेबसाइट पर अद्यतन करेगी।
- 11.2** नोडल एजेंसी, सभी संयोजकता अनुदानग्राहियों के संबंध में एटीएस और टर्मिनल बे के कार्यान्वयन की स्थिति प्रत्येक तिमाही में अपनी वेबसाइट पर अद्यतन करेगी।
- 11.3** नोडल एजेंसी, विनियम 11.1 के अधीन यथा प्रस्तुत संयोजकता अनुदानग्राही के क्षेत्र के अधीन कार्य के कार्यान्वयन की स्थिति और विनियम 11.2 के अधीन यथा अद्यतित एटीएस और टर्मिनल बे के कार्यान्वयन की स्थिति के आधार पर समीक्षा करेगी और सुधारात्मक कार्रवाई करेगी।
- 11.4** पारेषण प्रणाली के इष्टतम उपयोग के लिए, संबंधित संयोजकता अनुदानग्राही (अनुदानग्राहियों) की सहमति के अनुसार नोडल एजेंसी, समान आईएसटीएस सब-स्टेशन के विभिन्न टर्मिनल बे के बीच संयोजकता की पुनर्व्यवस्था कर सकती है।
- 11.5** नोडल एजेंसी मौजूदा या प्रस्तावित आईएसटीएस सब-स्टेशनों पर टर्मिनल बे के आबंटन, अन्य बातों के साथ-साथ, बे-वार अनुदत्त संयोजकता की मात्रा और शेष मात्रा जिसके लिए बे-वार संयोजकता अनुदान की जा सकती है, की अद्यतित स्थिति अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी और इसे मासिक आधार पर अद्यतित करेगी।
- 12. समर्पित पारेषण लाइनें और बे**
- 12.1** यदि संयोजकता अनुदानग्राही कोई उत्पादन स्टेशन या कैप्टिव उत्पादन संयंत्र या स्टैंडअलोन ईएसएस है, तो समर्पित पारेषण लाइनों की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव ऐसे संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा किया जाएगा।
- 12.2** यदि संयोजकता अनुदानग्राही कोई नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता है, तो समर्पित पारेषण लाइनों की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव ऐसे नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा।
- 12.3** समर्पित पारेषण लाइनों का निर्माण और रखरखाव, निर्माण हेतु सीईए तकनीकी मानकों के अनुसार किया जाएगा।
- 12.4** आईएसटीएस सब-स्टेशन पर टर्मिनल बे, आईएसटीएस सब-स्टेशन के स्वामित्व वाले पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यक्षेत्र के अधीन होगी:
- परंतु यह कि संयोजकता अनुदानग्राही, यदि ऐसा चुनता है, नोडल एजेंसी के पूर्व अनुमोदन के अध्यक्षीन आईएसटीएस सब-स्टेशन के स्वामित्व वाले पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ करार के द्वारा अपनी लागत पर टर्मिनल बे का निर्माण और रखरखाव कर सकता है:
- परंतु यह और कि यदि संयोजकता अनुदानग्राही अपनी लागत पर टर्मिनल बे के निर्माण का चुनाव करता है, तो अपनी संयोजकता के प्रतिसंहरण की दशा में संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा ऐसे टर्मिनल बे के लिए किसी लागत का दावा नहीं किया जा सकता:
- परंतु यह भी कि संयोजकता के प्रतिसंहरण के ऐसे मामले में, संयोजकता अनुदानग्राही 3 मास के अंदर टर्मिनल बे को विखंडित करेगा जिसके न होने पर सीटीयू किसी अन्य संयोजकता आवेदक के लिए बे का उपयोग कर सकती है।
- 12.5** विनियम 17.1(iii) के अधीन कवर इकाई के मामले में, ऐसी इकाई को आईएसटीएस से जोड़ने के लिए लाइन और आईएसटीएस को संयोजन प्रदान करने के लिए आवश्यक वृद्धि का निर्माण और रखरखाव, ऐसी इकाई की लागत पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा।

13. अशक्त विद्युत का अंतःक्षेपण और स्टार्ट-अप विद्युत का आहरण

संयोजकता अनुदानग्राही, ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार अशक्त विद्युत का अंतःक्षेपण और स्टार्ट-अप विद्युत का आहरण करने के पात्र होंगे।

14. इंटरफेस मीटर

14.1 केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी द्वारा इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अधीन कवर किए गए संयोजकता अनुदानग्राही और जीएनए अनुदानग्राही के लिए और उनकी लागत पर इंटरफेस मीटर लगाए जाएंगे।

14.2 विनियम 14.1 के अधीन संस्थापित इंटरफेस मीटर, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, जिसके नियंत्रण क्षेत्र में वह स्थित है, द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

15. संयोजकता का अंतरण

15.1 संयोजकता अनुदानग्राही, इन विनियमों के विनियम 15.2 और विनियम 15.3 के अधीन यथा उपबंधित को छोड़कर किसी व्यक्ति को अपनी संयोजकता और संबद्ध अधिकारों और दायित्वों, पूर्णतया या इसके भागों का, अंतरण, निर्दिष्ट या संकल्प नहीं करेंगे।

परंतु यह कि पेरेंट कंपनी को अनुदत्त संयोजकता इसकी सहायक कंपनियों द्वारा उपयोग की जा सकती है और सहायक कंपनियों को अनुदत्त संयोजकता, इसकी पेरेंट कंपनी द्वारा उपयोग की जा सकती है।

15.2 जहां संयोजकता अनुदानग्राही आरईजीएस है, वह इन विनियमों के विनियम 4.1 के अनुसार न्यूनतम क्षमता के अध्यक्षीन, ऐसे हिस्से के सीओडी के बाद, अपनी कनेक्टिविटी को हिस्सों में विभाजित कर सकता है, और प्रत्येक हिस्से की संस्थापित क्षमता को नोडल एजेंसी को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में, संयोजकता को प्रत्येक ऐसे हिस्से की संस्थापित क्षमता के अनुपात में विभाजित माना जाएगा:

परंतु यह कि इन विनियमों के अनुसार सभी देनदारियाँ और दायित्व प्रत्येक हिस्से के लिए संयोजकता अनुदानग्राही के पास बने रहेंगे।

15.3 विनियम 15.2 के संदर्भ में कोई व्यक्ति जो कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या आरईजीएस के स्वामित्व वाली सहबद्ध कंपनी या उसके भाग की शेयरहोल्डिंग का 51% या उससे अधिक का अधिग्रहण करता है, तो वह ऐसे विभाजित हिस्से की सीओडी के बाद, संयोजकता के अंतरण हेतु नोडल एजेंसी को आवेदन कर सकता है। नोडल एजेंसी, ऐसे व्यक्ति द्वारा लागू संयोजकता-बीजी2 और संयोजकता-बीजी3 के प्रस्तुतिकरण पर संयोजकता का पुनरीक्षित अनुदान जारी करेगी। मूल अनुदानग्राही अपनी संयोजकता-बीजी2 और संयोजकता-बीजी3 को सीटीयू द्वारा सूचित की जाने वाली पुनरीक्षित संयोजकता-बीजी2 और संयोजकता-बीजी3 के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है। संयोजकता का पुनरीक्षित अनुदान जारी होने पर, ऐसा व्यक्ति नए संयोजकता करार करेगा और सभी लागू विनियमों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा।

परंतु यह कि इन विनियमों के अनुसार सभी देनदारियाँ और दायित्व, अंतरित नहीं की गई संयोजकता के लिए, मूल संयोजकता अनुदानग्राही के पास बनी रहेंगी।

16. संयोजकता बैंक गारंटी से व्यवहार

16.1 संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा पूर्ण क्षमता के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा के 30 दिनों के अंदर संयोजकता-बीजी1 वापस कर दी जाएगी।

16.2 उत्पादन क्षमता, जिसे संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया गया है, के तदनुसार संयोजकता-बीजी2 और संयोजकता-बीजी3 पांच वर्षों में पांच बराबर हिस्सों में वापस कर दी जाएगी।

16.3 देय तारीख से 3 मास से अधिक के लिए शेयरिंग विनियमों के विनियम 13 के अधीन पारेषण प्रभारों के गैर-भुगतान के मामले में, ऐसे पारेषण प्रभारों को अपेक्षानुसार संयोजकता-बीजी1 (यदि अस्तित्व में है), संयोजकता-बीजी2 और संयोजकता-बीजी3 के नकदीकरण द्वारा वसूल किया जाएगा। संयोजकता को उस तारीख से प्रतिसंहत कर दिया जाएगा जब यथा उपलब्ध संयोजकता-बीजी2 और संयोजकता-बीजी3, शेयरिंग विनियमों के विनियम 13 के अधीन पारेषण प्रभारों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

16.4 विनियम 16.3 के संदर्भ में नकदीकृत की गई संयोजकता-बीजी1, संयोजकता-बीजी2 और संयोजकता-बीजी3 से आय को, शेयरिंग विनियमों के अधीन मासिक पारेषण प्रभारों में समायोजित किया जाएगा।

अध्याय 4**सामान्य नेटवर्क पहुंच (जीएनए)****17. जीएनए के लिए पात्रता**

17.1 निम्नलिखित इकाइयां जीएनए के अनुदान या जीएनए की मात्रा में वृद्धि हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक के रूप में पात्र होंगी:

- (i) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों सहित अंतः राज्यिक इकाइयों की ओर से राज्य पारेषण यूटिलिटी;
- (ii) अंतः राज्यिक पारेषण प्रणाली से जुड़ी क्रेता इकाई;
- (iii) 50 मेगावाट और उससे अधिक भार के साथ आईएसटीएस से सीधे जुड़ने की मांग करने वाला वितरण अनुज्ञप्तिधारी या थोक उपभोक्ता;
- (iv) क्रॉस बॉर्डर विनियमों के संदर्भ में विद्युत के क्रॉस बॉर्डर व्यापार में प्रवृत्त व्यापार अनुज्ञप्तिधारी;
- (v) आनुषंगिक विद्युत के आहरण के लिए आईएसटीएस से जुड़े पारेषण अनुज्ञप्तिधारी।

17.2 विनियम 17.1 के अधीन कवर नहीं की गई इकाइयाँ, जो कि इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख पर, आईएसटीएस से जुड़े हैं या जिन्हें संयोजकता विनियम, 2009 के अधीन संयोजकता अनुदान की गई है, संयोजकता की मात्रा के बराबर मात्रा के लिए आईएसटीएस से जीएनए के अनुदान हेतु आवेदन करने के पात्र हैं, जिसे इन विनियमों के विनियम 37.6 के अनुसार संसाधित किया जाएगा।

17.3 इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अधीन कवर किए गए आवेदक, टर्मिनल बे की शेयरिंग के लिए आवेदक और उक्त इकाई के बीच विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित करार के साथ, इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अधीन ऐसी अन्य इकाई को पहले से ही आबंटित किसी आईएसटीएस के टर्मिनल बे से जुड़ने की मांग कर सकता है।

18. जीएनए का डीमंड अनुदान

18.1 तारीख पर, ये विनियम प्रवृत्त होते हैं,

(क) (i) अंतः राज्यिक इकाई (इकाइयों) सहित राज्य और (ii) अन्य अदाकर्ता इकाइयों के लिए जीएनए, वित्तीय वर्षों 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए 'क' की औसत होगा:

जहां,

'क' = $[0.5 \times \text{वर्ष के दौरान टाईम ब्लॉक में अधिकतम आईएसटीएस आहरण}] + [0.5 \times \text{वर्ष के दौरान (दिन में टाईम ब्लॉक में अधिकतम आईएसटीएस आहरण) का औसत}]$

(ख) इस विनियम के खंड (क) के अनुसार परिकल्पित जीएनए, इन विनियमों के अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(ग) इस विनियम के खंड (ख) के अनुसार अंतः राज्यिक इकाई (इकाइयों) सहित राज्य के लिए जीएनए, ऐसी अंतः राज्यिक इकाइयों की ओर से उस राज्य के एसटीयू को अनुदत्त की गई समझा जाएगा और तब तक वैध रहेगा जब तक कि इन विनियमों के अनुसार उसका त्याग नहीं किया जाता।

(घ) इस विनियम के खंड (ग) के अनुसार एसटीयू को अनुदत्त समझे गए जीएनए को, संयोजकता विनियम, 2009 के अनुसार प्राप्त दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के अधीन (i) प्रदेश के अंदर जीएनए और (ii) प्रदेश के अंदर या प्रदेश के बाहर, संविदाओं के अनुपात में, प्रदेश के बाहर से जीएनए के रूप में इन विनियमों की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर नोडल एजेंसी द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

(ङ) इस विनियम के खंड (घ) के अनुसार एसटीयू को अनुदत्त समझे गए जीएनए को, संबंधित एसएलडीसी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी सहित प्रत्येक अंतःराज्यिक इकाई के लिए पृथक किया जाएगा और इस विनियम के खंड (घ) के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा विवरणों के प्रकाशन के 1 मास के अंदर एसटीयू, नोडल एजेंसी और एनएलडीसी को सूचित किया जाएगा।

परंतु यह कि यदि एसएलडीसी ऐसा पृथक्करण प्रदान करने में विफल होता है, तो जैसा की शेयरिंग विनियमों के अधीन पिछले मास के प्रथम बिल में शामिल है, प्रत्येक अंतःराज्यिक इकाई को उनके दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के अनुपात में यथानुपात जीएनए आबंटित किया जाएगा।

(च) इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन कवर की गई इकाई (इकाइयों) को, जहां संयोजकता विनियम, 2009 के अधीन ऐसी इकाई को या इसके पहचाने गए क्रेता को अनुदत्त दीर्घकालिक पहुंच प्रभावी हो चुकी है, इन विनियमों के अधीन ऐसी दीर्घकालिक पहुंच की मात्रा के बराबर जीएनए अनुदान किया गया समझा जाएगा।

(छ) केन्द्रीय उत्पादन स्टेशन जो ग्रिड से जुड़े हैं और जिन्हें संयोजकता विनियम, 2009 के अधीन दीर्घकालिक पहुंच अनुदान नहीं की गई है परंतु जिनकी विद्युत को विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटित किया गया है, उन्हें ऐसे उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) की संस्थापित क्षमता के बराबर जीएनए अनुदान किया गया समझा जाएगा।

(ज) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को अनुदत्त दीर्घकालिक पहुंच, क्रॉस बॉर्डर विनियमों के अनुसार विद्युत के क्रॉस बॉर्डर व्यापार के अलावा, इस विनियम के खंड (क) से खंड (च) के अधीन संबंधित ग्रिड से जुड़ी इकाई (इकाइयों) को अनुदत्त समझे गए जीएनए का हिस्सा होगी:

परंतु यह कि ऐसे व्यापार अनुज्ञप्तिधारी और संबंधित ग्रिड से जुड़ी इकाई (इकाइयों) के बीच पारेषण प्रभारों का निपटारा उनके बीच मौजूदा करार के अनुसार या पारस्परिक रूप से सहमति के अनुसार किया जाएगा।

(झ) क्रॉस बॉर्डर विनियमों के अनुसार विद्युत के क्रॉस बॉर्डर व्यापार में लगे व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को अनुदत्त दीर्घकालिक पहुंच को ऐसे दीर्घकालिक पहुंच की अवधि के लिए इन विनियमों के अधीन ऐसे व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को अनुदत्त जीएनए समझा जाएगा।

18.2 उन इकाइयों का विवरण को जिन्हें इन विनियमों के अधीन जीएनए अनुदान किया समझा गया है, इन विनियमों के प्रभावी होने के 1 (एक) मास के अंदर नोडल एजेंसी द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

19. एसटीयू द्वारा अतिरिक्त जीएनए के अनुदान हेतु आवेदन

19.1 इन विनियमों के प्रभावी होने के 3 मास के अंदर एसटीयू, प्रदेश के अंदर और प्रदेश से बाहर जीएनए दर्शाते हुए, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों सहित, अंतःराज्यिक इकाइयों की ओर से इन विनियमों के खंड (क) से खंड (ड) के अधीन (इकाई-वार पृथक्करण से साथ) अनुदत्त समझी गई जीएनए से अधिक अतिरिक्त जीएनए के लिए आवेदन कर सकता है।

19.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों सहित अंतःराज्यिक इकाइयों की ओर से एसटीयू, जैसा कि विनियम 39.1 के अनुसार जारी खसयोजकता और जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधिख में निर्धारित है, प्रदेश से जीएनए और प्रदेश के बाहर से जीएनए दर्शाते हुए (इकाई-वार पृथक्करण से साथ) अगले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों के लिए अतिरिक्त जीएनए के लिए प्रत्येक वर्ष सितम्बर के मास तक वित्तीय वर्ष (उस वित्तीय वर्ष, जिसमें ये विनियम प्रभावी हुए, के बाद के वित्तीय वर्ष से आरंभ करते हुए) में एक बार आवेदन कर सकता है:

परंतु यह कि अगले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में ऐसी अतिरिक्त जोड़े जाने वाली जीएनए की मात्रा, संबंधित वित्तीय वर्ष की विनिर्दिष्ट तारीख से लागू होगी।

20. एसटीयू के अलावा इकाइयों द्वारा जीएनए के अनुदान हेतु आवेदन

20.1 इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (ii) और खंड (iii) के अधीन कवर की गई इकाइयां, विनिर्दिष्ट मात्रा के लिए, और ग्यारह मास से अधिक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, विनिर्दिष्ट तारीख से, प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर से जीएनए का द्विभाजन दर्शाते हुए जीएनए के लिए आवेदन कर सकती हैं।

परंतु यह कि इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (ii) के अधीन कवर की गई इकाइयां, जीएनए की ऐसी मात्रा और अवधि के लिए अंतःराज्यिक पारिषण प्रणाली में पारिषण क्षमता की उपलब्धता के अनुसार संबंधित एसटीयू की सहमति प्रस्तुत करेंगी।

20.2 इन विनियमों के विनियम 17.1(iv) के अधीन कवर की गई इकाइयां, ग्यारह मास से अधिक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, विनिर्दिष्ट मात्रा के लिए, भारतीय ग्रिड को अंतःक्षेपण या भारतीय ग्रिड से आहरण के लिए जीएनए हेतु पृथक रूप से आवेदन कर सकती हैं।

20.3 इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (v) के अधीन कवर की गई इकाइयां, विनिर्दिष्ट मात्रा के लिए, और ग्यारह मास से अधिक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, विनिर्दिष्ट तारीख से जीएनए के लिए आवेदन कर सकती हैं।

21. नोडल एजेंसी द्वारा प्रणाली का अध्ययन

अतिरिक्त जीएनए के अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर नोडल एजेंसी, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों और अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट सीईए पारिषण नियोजन मानदंड के अनुसार प्रणाली का अध्ययन करेगी।

22. जीएनए का अनुदान

22.1 एसटीयू को अतिरिक्त जीएनए का अनुदान

(क) नोडल एजेंसी, इन विनियमों के विनियम 19.1 के अधीन प्राप्त सभी आवेदनों को आवेदन की प्राप्ति के अंतिम दिन से दो मास के अंदर एक-साथ संसाधित करेगी और उपलब्ध पारिषण क्षमता, या यथानुपात, यदि आवश्यक हो, के आधार पर एसटीयू को अतिरिक्त जीएनए का अनुदान करेगी। एक बार अनुदत्त किया गया जीएनए, त्याग दिए जाने तक वैध रहेगी।

(ख) नोडल एजेंसी, उस तारीख को दर्शाते हुए जिससे ऐसी अतिरिक्त जीएनए प्रभावी होगी, उपलब्ध पारिषण क्षमता या वृद्धि की समयरेखा को ध्यान में रखते हुए, उसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक इन विनियमों के विनियम 19.2 के अधीन प्राप्त आवेदनों के आधार पर एसटीयू को अतिरिक्त जीएनए का अनुदान करेगी। एक बार अनुदत्त किया गया जीएनए, त्याग दिए जाने तक वैध रहेगी।

(ग) एसटीयू का कुल जीएनए, विनियम 18.1 के अधीन अनुदत्त समझे गए जीएनए और इस विनियम के अधीन अनुदत्त अतिरिक्त जीएनए का योग होगा।

(घ) विनियम 19.1 के अधीन एसटीयू को अनुदत्त समझा गया अंतःराज्यिक इकाई-वार जीएनए और इस विनियम के अधीन अनुदत्त अतिरिक्त जीएनए, ऐसी अंतःराज्यिक इकाइयों के लिए शेयरिंग विनियमों के अधीन बिल हेतु आधार बनेगी।

22.2 एसटीयू के अलावा इकाइयों को जीएनए का अनुदान

(क) इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन कवर किए गए संयोजकता अनुदानग्राहियों को, संयोजकता के आरंभ की तारीख से संयोजकता की मात्रा के बराबर जीएनए अनुदान किया गया समझा जाएगा। इन विनियमों के विनियम 15 के अनुसार संयोजकता के विभाजन या अंतरण की दशा में, तदनुरूपी जीएनए को यथास्थिति, विभाजित या अंतरित समझा जाएगा।

(ख) नोडल एजेंसी निम्नलिखित समयरेखा के अनुसार, जीएनए के आरंभ की तारीख को विनिर्दिष्ट करते हुए विनियम 17.1 के खंड (ii) से (v) के अधीन कवर की गई इकाइयों को जीएनए का अनुदान करेगी:

(i) जहां जीएनए मौजूदा प्रणाली पर अनुदत्त है: उस मास के बाद के मास के अंत तक जिसमें सभी प्रकार से संपूर्ण आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ii) जहां पारेषण प्रणाली की वृद्धि आवश्यक है: उस मास के 180 दिनों के अंदर तक जिसमें सभी प्रकार से संपूर्ण आवेदन प्राप्त हुआ है:

परंतु यह कि नोडल एजेंसी पारेषण प्रणाली की वृद्धि की समयरेखा को ध्यान में रखते हुए जीएनए के आरंभ की तारीख से जीएनए का अनुदान करेगी।

(ग) विनियम 17.1 के खंड (iv) के अधीन कवर की गई इकाइयां और

(i) भारतीय ग्रिड में अंतःक्षेपण के लिए जीएनए का आवेदन करने वाली इकाइयां विनियम 4.1 के अधीन इकाइयों पर यथा लागू सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी;

(ii) विनियम 22.2 (ग)(i) के अधीन कवर की गई इकाइयों के लिए, संयोजकता-बीजी1, संयोजकता-बीजी2 और संयोजकता-बीजी3, इन विनियमों के विनियम 16 या जीएनए की अवधि के समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, के अनुसार वापस की जाएगी;

(iii) भारतीय ग्रिड से आहरण के लिए जीएनए का आवेदन करने वाली इकाइयां, विनियम 17.1(iii) के अधीन इकाइयों पर यथा लागू सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी।

(घ) इन विनियमों के विनियम 4.1 और विनियम 17.1 के खंड (iii) के अधीन कवर की गई इकाइयां, जीएनए के आरंभ की तारीख से एक मास पूर्व जीएनए की मात्रा के लिए रु. एक लाख प्रति मेगावाट का एकमुश्त जीएनए प्रभार प्रस्तुत करेंगी। यदि इकाई द्वारा ऐसे प्रभार विनिर्दिष्ट समयरेखा के अंदर प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो इनकी वसूली अपेक्षानुसार संयोजकता-बीजी1, संयोजकता-बीजी2 और संयोजकता-बीजी3 के नकदीकरण द्वारा की जाएगी। ऐसे एकमुश्त जीएनए प्रभार की प्राप्ति को शेयरिंग विनियमों के अधीन मासिक पारेषण प्रभारों के लिए उपयोग किया जाएगा।

परंतु यह कि विनियम 17.1(iii) के अधीन कवर की गई इकाइयां, शेयरिंग विनियमों के अनुसार एकमुश्त जीएनए प्रभार के अतिरिक्त अपने जीएनए के लिए मासिक पारेषण प्रभारों का भुगतान करेंगी।

22.3 उन इकाइयों का विवरण जिन्हें मात्रा, अवधि और जीएनए के आरंभ की तारीख के साथ जीएनए अनुदान किया गया है, उन्हें जीएनए के अनुदान के एक (01) मास के अंदर नोडल एजेंसी द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

22.4 जीएनए की प्रभावी तारीख

(क) इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन कवर किए गए संयोजकता अनुदानग्राहियों के लिए, ऐसे संयोजकता अनुदानग्राहियों के जीएनए की प्रभावी तारीख, संयोजकता के आरंभ की तारीख या एटीएस की सीओडी, जो भी बाद में हो, होगी।

परंतु यह कि जहां एटीएस के केवल कुछ पारेषण घटकों ने एटीएस की सीओडी से पूर्व सीओडी प्राप्त कर ली है और संयोजकता अनुदानग्राही, अपनी संयोजकता की आंशिक प्रभावशीलता की मांग करता है, नोडल एजेंसी पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के अध्यक्षीन ऐसी आंशिक संयोजकता और संगत जीएनए को प्रभावी बनाएगी।

परंतु यह भी कि जहां ऐसे जीएनए का प्रभावी होना बाकी है, ऐसी इकाई ऐसी पहुंच को डीमड टी-जीएनए जैसी के रूप में मानते हुए पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के अध्यक्षीन, अपनी विद्युत को मांगी गई संयोजकता की मात्रा के आंशिक या पूर्ण रूप से अनुसूचित करने की पात्र होगी और उसे टी-जीएनए प्रभारों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) विनियम 17.1 के अधीन कवर की गई इकाइयों के लिए, यदि जीएनए के अनुदान के समय पहचानी हुई वृद्धि की सीओडी को ध्यान में रखते हुए जीएनए के अनुदान में सूचित जीएनए की प्रभावी तारीख को पुनरीक्षित किया जाना है, तो नोडल एजेंसी ऐसी इकाइयों को, जीएनए की पुनरीक्षित प्रभावी तारीख से कम से कम 3 (तीन) मास पूर्व, उस पुनरीक्षित तारीख को इंगित करते हुए नोटिस देगी जिससे जीएनए प्रभावी होगी।

(ग) विनियम 17.1 के अधीन कवर की गई इकाइयों के लिए नोडल एजेंसी, जहां ऐसी इकाई अनुदत्त जीएनए की संपूर्ण या आंशिक मात्रा के लिए उस तारीख को आगे बढ़ाने के लिए जिससे जीएनए प्रभावी होगी, पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के अध्यक्षीन ऐसी जीएनए को प्रभावी बनाएगी।

23. अन्य जीएनए अनुदानग्राही (अनुदानग्राहियों) द्वारा जीएनए का उपयोग

23.1 विनियम 17.1 के अधीन कवर की गई इकाई, जो कि जीएनए अनुदानग्राही है, परस्पर सहमत निबंधनों और शर्तों पर एक समय पर 1 (एक) वर्ष के कम की अवधि के लिए, नोडल एजेंसी के पूर्व अनुमोदन के साथ, अपने संपूर्ण या आंशिक जीएनए को विनियम 17.1 के अधीन कवर अन्य इकाइयों जो कि जीएनए अनुदानग्राही हैं, उपयोग करने हेतु प्राधिकृत कर सकती है:

परंतु यह कि पारेषण प्रभारों के लिए भुगतान देयता उसी मूल जीएनए अनुदानग्राही की रहेगी, जिसने अन्य जीएनए अनुदानग्राही (अनुदानग्राहियों) को अपनी जीएनए उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किया है:

परंतु यह और कि शेयरिंग विनियमों के अधीन पारेषण विचलन प्रभारों की संगणना करने के प्रयोजन हेतु, अन्य जीएनए अनुदानग्राही (अनुदानग्राहियों) द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राधिकृत जीएनए को उस मूल जीएनए अनुदानग्राही में से घटा दिया जाएगा जिसने अपनी जीएनए को अन्य अनुदानग्राही (अनुदानग्राहियों) द्वारा उपयोग किए जाने हेतु प्राधिकृत किया है और इसे अन्य जीएनए अनुदानग्राही (अनुदानग्राहियों) की जीएनए में जोड़ दिया जाएगा जो इसका उपयोग करती है।

23.2 वह अनुदानग्राही जो अपनी जीएनए को अन्य जीएनए अनुदानग्राही (अनुदानग्राहियों) द्वारा उपयोग किए जाने को प्राधिकृत करने का इच्छुक है, वह संयोजकता के लिए विस्तृत क्रियाविधि और विनियम 39.1 के अनुसार जारी किए गए जीएनए के अनुसार नोडल एजेंसी को आवेदन करेगा।

अध्याय-5

संयोजकता और जीएनए का त्याग

24. संयोजकता का त्याग

24.1 संयोजकता अनुदानग्राही, पूर्ण या आंशिक रूप से, संयोजकता का त्याग नोडल एजेंसी को 30 दिनों के नोटिस के साथ कर सकता है। नोडल एजेंसी, ऐसे अनुदानग्राही को संयोजकता का पुनरीक्षित अनुदान जारी करेगी यदि संयोजकता का त्याग आंशिक रूप से किया गया है।

24.2 विनियम 7.2 के अधीन कवर इकाइयों के लिए और जहां इन विनियमों के विनियम 8.2 के अनुसार यथा लागू संयोजकता-बीजी2 और संयोजकता-बीजी3 प्रस्तुत की गई है, निम्नलिखित लागू होगा:

(क) संयोजकता की संपूर्ण मात्रा के त्याग के मामले में, (i) मौजूदा संयोजकता-बीजी1 का नकदीकरण होगा, (ii) मौजूदा संयोजकता-बीजी2 का नकदीकरण होगा यदि टर्मिनल बे पहले से ही विकसित हैं या जिनका निर्माण कार्यान्वयन के लिए पहले ही अवार्ड किया जा चुका है और (iii) मौजूदा संयोजकता-बीजी3 का नकदीकरण होगा।

(ख) संयोजकता की आंशिक मात्रा के त्याग के मामले में, (i) मौजूदा संयोजकता-बीजी2 का नकदीकरण संयोजकता की त्यागी गई मात्रा के अनुपात में होगा यदि टर्मिनल बे पहले से ही विकसित हैं या जिनका निर्माण कार्यान्वयन के लिए पहले ही अवार्ड किया जा चुका है और (ii) मौजूदा संयोजकता-बीजी3 का नकदीकरण संयोजकता की त्यागी गई मात्रा के तदनु रूप होगा। संयोजकता-बीजी1 को विनियम 16.1 के अनुसार पूर्ण क्षमता पर विचार करते हुए ऐसी त्यागी गई मात्रा को छोड़कर वापस कर दिया जाएगा।

24.3 विनियम 7.2 के अधीन कवर इकाइयों के लिए और जहां इन विनियमों के विनियम 8.3 के अनुसार संयोजकता-बीजी2 को प्रस्तुत किया गया है, निम्नलिखित लागू होगा:

(क) संयोजकता की संपूर्ण मात्रा के त्याग के मामले में, मौजूदा संयोजकता-बीजी1 का नकदीकरण होगा और मौजूदा संयोजकता-बीजी2 का नकदीकरण एटीएस और टर्मिनल बे के तदनु रूप होगा जिनका निर्माण कार्यान्वयन के लिए पहले ही अवार्ड किया जा चुका है।

(ख) संयोजकता की आंशिक मात्रा के त्याग के मामले में, मौजूदा संयोजकता-बीजी2 का नकदीकरण एटीएस और टर्मिनल बे के तदनु रूप संयोजकता की त्यागी गई मात्रा के अनुपात में होगा जिनका निर्माण कार्यान्वयन के लिए पहले ही अवार्ड किया जा चुका संयोजकता-बीजी1 को विनियम 16.1 के अनुसार पूर्ण क्षमता पर विचार करते हुए ऐसी त्यागी गई मात्रा को छोड़कर वापस कर दिया जाएगा।

24.4 संयोजकता के प्रतिसंहरण या संयोजकता के त्याग के मामले में, तदनु रूपी जीएनए को कम कर दिया जाएगा। यदि संयोजकता अनुदानग्राही संयोजकता का पूर्ण रूप से त्याग करता है, तो उसे संयोजकता के त्याग की तारीख से आईएसटीएस से वियोजित कर दिया जाएगा। प्रतिसंहरण होने पर, शेयरिंग विनियमों के विनियम 13 के अधीन तदनु रूपी मात्रा के लिए कोई बिलिंग नहीं होगी।

24.5 इन विनियमों के विनियम 24.2 या विनियम 24.3 के अनुसार, नकदीकृत संयोजकता-बीजी1, संयोजकता-बीजी2 और संयोजकता-बीजी3 की प्राप्त राशि को शेयरिंग विनियमों के अधीन घटते हुए मासिक पारेषण प्रभारों के लिए उपयोग किया जाएगा।

25. जीएनए का त्याग

- 25.1** विनियम 17.1 के अधीन कवर इकाई के लिए, एक बार अनुदत्त जीएनए का पूर्णतया या आंशिक रूप से त्याग, निम्नलिखित के अनुसार, अग्रिम रूप से त्याग प्रभारों के भुगतान पर, नोडल एजेंसी को 30 दिनों के नोटिस के साथ किया जा सकता है:
- (क) इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (i) के अधीन कवर इकाई के लिए एसटीयू, पहचानी गई अंतःराज्यिक इकाई की ओर से जीएनए का त्याग कर सकती है। त्याग प्रभार, त्यागी गई मात्रा के तदनु रूप, शेयरिंग विनियमों के अधीन अंतिम बिलिंग मास के लिए ऐसी अंतःराज्यिक इकाई द्वारा भुगतान किए गए पारेषण प्रभारों के 24 गुना के बराबर होंगे।
- (ख) इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (ii) से खंड (iv) के अधीन कवर इकाइयों के लिए त्याग प्रभार, त्यागी गई मात्रा के तदनु रूप, शेयरिंग विनियमों के अधीन अंतिम मास के लिए ऐसी इकाई द्वारा भुगतान किए गए पारेषण प्रभारों के 24 गुना के बराबर होंगे।
- परंतु यह कि यदि जीएनए की शेष अवधि 24 मास से कम होती है तो त्याग प्रभार, त्यागी गई मात्रा के तदनु रूप, शेयरिंग विनियमों के अधीन अंतिम मास के लिए ऐसी इकाई द्वारा भुगतान किए गए पारेषण प्रभारों के शेष मास की संख्या के बराबर होंगे।
- (ग) इस विनियम के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन प्राप्त हुए त्याग प्रभारों को, शेयरिंग विनियमों के अधीन घटते हुए मासिक पारेषण प्रभारों के लिए उपयोग किया जाएगा।
- (घ) इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (iii) के अधीन कवर इकाई द्वारा जीएनए की संपूर्ण मात्रा के त्याग पर, ऐसी इकाई को ग्रिड से वियोजित कर दिया जाएगा।
- 25.2** यदि विनियम 17.1 के खंड (i) के अधीन कवर जीएनए वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारी सहित अंतःराज्यिक इकाई, विनियम 17.1 के खंड (ii) के अधीन जीएनए के साथ प्रतिस्थापित करती है, तो ऐसी अंतःराज्यिक इकाई के लिए जीएनए को ऐसी प्रतिस्थापित मात्रा के लिए और ऐसी प्रतिस्थापित अवधि के लिए, विनियम 22.1 के खंड (ग) के अधीन एसटीयू की रखी गई कुल जीएनए में से घटा दिया जाएगा।

अध्याय 6

अस्थायी सामान्य नेटवर्क पहुंच

26. अस्थायी जीएनए के लिए पात्रता

26.1 निम्नलिखित इकाइयां, आईएसटीएस को टी-जीएनए हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक के रूप में पात्र होंगी:

- (क) क्रेता के रूप में,
- (i) आईएसटीएस से सीधे जुड़े वितरण अनुज्ञप्तिधारी;
- (ii) आईएसटीएस से सीधे जुड़े थोक उपभोक्ता;
- (iii) अंतःराज्यिक प्रणाली या ऐसी अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली से जुड़ी वितरण प्रणाली से जुड़ी क्रेता इकाई;
- (iv) विद्युत बाजार विनियमों के विनियम 6 के खंड (3) के अनुसार अपनी आनुषंगिक खपत या स्टार्ट-अप विद्युत को पूरा करने के लिए या अपने आपूर्ति दायित्वों को पूरा करने के लिए आरईजीएस सहित उत्पादन स्टेशन;
- (v) कैप्टिव उत्पादन संयंत्र;
- (vi) स्टैंडअलोन ईएसएस;
- (vii) गैर-उत्पादन घंटों के दौरान आहरण हेतु आरईजीएस।
- (ख) भारतीय ग्रिड को अंतःक्षेपण या इससे आहरण के लिए (i) इस विनियम के खंड (क) के अधीन कवर क्रेता (क्रेताओं) की ओर से, और (ii) क्रॉस बॉर्डर विनियमों के अनुसार विद्युत के क्रॉस बॉर्डर व्यापार में लगे हुए व्यापार अनुज्ञप्तिधारी।
- (ग) भारतीय ग्रिड को अंतःक्षेपण या इससे आहरण के लिए (i) इस विनियम के खंड (क) के अधीन कवर क्रेता (क्रेताओं), और (ii) क्रॉस बॉर्डर विनियमों के अनुसार विद्युत के क्रॉस बॉर्डर व्यापार में लगे हुए व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) की ओर से सामूहिक संव्यवहारों या द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए पावर एक्सचेंज।

26.2 जीएनए अनुदानग्राही, उसे अनुदत्त जीएनए से अधिक टी-जीएनए के लिए आवेदन करने हेतु इस विनियम के विनियम 26.1 के खंड (क) के अधीन पात्रता के अनुसार पात्र होगा।

26.3 टी-जीएनए आवेदन, सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अर्थात् राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री (एनओएआर) के माध्यम से किए और संसाधित किए जाएंगे।

27. राष्ट्रीय निर्बाध पहुँच रजिस्ट्री (एनओएआर)**27.1 एनओएआर निम्नलिखित करेंगे:**

- (i) टी-जीएनए आवेदनों की लेखापरीक्षा का पथ-मार्ग प्रदान करना;
- (ii) टी-जीएनए आवेदनों के संसाधन हेतु आरएलडीसी और एसएलडीसी के सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस प्रदान करना;
- (iii) स्टैंडिंग क्लियरेंस के प्रमाणन और अंतःदिवस, डे अहेड आकस्मिकता, टर्म-अहेड, डे-अहेड और वास्तविक समय संव्यवहारों के संसाधन हेतु पावर एक्सचेंज के साथ इंटरफेस प्रदान करना;
- (iv) टी-जीएनए से संबंधित भुगतान करने हेतु भुगतान गेटवे प्रदान करना;
- (v) आरएलडीसी और एसएलडीसी को वास्तविक समय सूचना के साथ डैश बोर्ड सुविधा प्रदान करना और आरएलडीसी और एसएलडीसी द्वारा जारी स्टैंडिंग क्लियरेंस, पारेषण कॉरिडोर की उपलब्धता, लंबित आवेदन, और अनदत्त टी-जीएनए और रद्द टी-जीएनए सहित टी-जीएनए से संबंधित सूचना के भंडार-गृह के रूप में कार्य करना;
- (vi) बाजार जांच और निगरानी के लिए सामयिक रिपोर्ट बनाने की सुविधा प्रदान करना;
- (vii) समय-समय पर आयोग द्वारा यथा निदेशित कोई अन्य कार्य की सुविधा प्रदान करना।

27.2 एनएलडीसी, एनओएआर के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होंगे और एनओएआर को प्रचालित करने हेतु विनियम 39.2 के अनुसार जारी टी-जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधि जारी करना।

28. टी-जीएनए के अनुदान हेतु आवेदन

28.1 टी-जीएनए के लिए आवेदन, 1 (एक) समय ब्लॉक से और 11 (ग्यारह) मास तक की किसी अवधि के लिए किया जा सकता है।

28.2 किसी विनिर्दिष्ट मात्रा और विनिर्दिष्ट समय अवधि के लिए नोडल एजेंसी को टी-जीएनए के अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन, पांच हजार रुपए (₹. 5000/-) की अप्रतिदेय फीस के साथ किया जाएगा।

28.3 ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति के लिए स्वतःजनित पावती जारी की जाएगी। पावती में आवेदन की प्राप्ति का समय और तारीख होंगे और इसे टी-जीएनए के अनुदान हेतु आवेदन के दिन (डी) के रूप में माना जाएगा।

28.4 टी-जीएनए के अनुदान के लिए आवेदन निम्नलिखित किसी भी श्रेणी के अधीन किये जाएंगे:

क. द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए

(क) टी-जीएनए के अनुदान के लिए अग्रिम आवेदन: (डी+3) दिवस को या उसके बाद आरंभ होने वाले टी-जीएनए के अनुदान के लिए दिवस (डी) पर किया गया आवेदन, जो दिवस (डी) या परवर्ती माह के रूप में उसी माह में आता है।

(ख) टी-जीएनए के अनुदान के लिए अत्यावश्यक आवेदन: (एस) दिवस के लिए शेड्यूलिंग सहित टी-जीएनए के अनुदान के लिए (डी) दिवस पर किया गया आवेदन जो 7(सात) टाइम-ब्लॉकों के न्यूनतम आरंभिक समय के साथ (डी) दिवस या (डी+1) दिवस या (डी+2) दिवस हो सकता सकता है जबतक कि ग्रिड कोड में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो:

परंतु कि टी-जीएनए के अनुदान के लिए अत्यावश्यक आवेदन दिवस (एस) के 0000 घंटे से 2400 घंटों के बीच किसी टाइम-ब्लॉक(ब्लॉकों) के लिए किया जाएगा।

ख. सामूहिक संव्यवहारों के लिए

आवेदन विनियम 39.2 के अनुसार जारी किये गये टी-जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधि में यथानिर्धारित पावर एक्सचेंज द्वारा किया जाएगा।

28.5 द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए टी-जीएनए के अनुदान के लिए आवेदन में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) अग्रिम आवेदन की श्रेणी:

(i) मेगावाट में टी-जीएनए की मात्रा;

(ii) टाइम-ब्लॉक और तारीख के अनुसार टी-जीएनए का प्रारंभिक समय ;

(iii) टाइम-ब्लॉक और तारीख के अनुसार टी-जीएनए का अंतिम समय;

(iv) अंतःक्षेपण का प्वाइंट, यदि उपलब्ध है, या अंतःक्षेपण के प्वाइंट के अभाव में लक्षित अंतःक्षेपण क्षेत्र;

परंतु कि क्रॉस बार्डर विनियमों के अनुसार विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार की स्थिति में भारतीय ग्रिड में अंतःक्षेपण के मामले में अंतःक्षेपण का प्वाइंट आवेदन सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

- (v) आहरण का प्वाइंट;
- (vi) एसएलडीसी कि स्थायी क्लियरेंस जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन आहरण का प्वाइंट स्थित है यदि क्रेता एक अंतःराज्यिक इकाई है;
- (vii) यदि विक्रेता एक अंतःराज्यिक इकाई है और अंतःक्षेपण का प्वाइंट उपलब्ध है तो एसएलडीसी का स्थायी क्लियरेंस जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन अंतःक्षेपण का प्वाइंट स्थित है।
परंतु कि अंतःक्षेपण के प्वाइंट तथा एसएलडीसी के तदनुरूपी स्थायी क्लियरेंस के मामले में जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन अंतःक्षेपण का प्वाइंट स्थित है और आवेदन करते समय उपलब्ध नहीं है तो इसे इन विनियमों के विनियम 33 के अनुसार शेड्यूलिंग अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (viii) यदि विक्रेता प्रादेशिक इकाई है और अंतःक्षेपण का प्वाइंट आवेदन करते समय उपलब्ध नहीं है तो अंतःक्षेपण का प्वाइंट इन विनियमों के विनियम 33 के अनुसार शेड्यूलिंग अनुरोध सहित प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ख) अत्यावश्यक आवेदन श्रेणी:
- (i) अंतःक्षेपण का प्वाइंट पर अनुसूचित किया जाने वाला पावर (एमडब्ल्यू) की कान्ट्रेक्ट की गयी मात्रा;
- (ii) टाइम-ब्लॉक और तारीख के अनुसार टी-जीएनए का आरंभिक समय;
- (iii) टाइम-ब्लॉक और तारीख के अनुसार टी-जीएनए का अंतिम समय;
- (iv) अंतःक्षेपण का प्वाइंट;
- (v) आहरण का प्वाइंट;
- (vi) एसएलडीसी की स्थायी क्लियरेंस जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन आहरण का प्वाइंट और अंतःक्षेपण का प्वाइंट स्थित है यदि क्रेता या आपूर्तिकर्ता अंतःराज्यिक इकाई है, जैसा लागू है।
- (vii) विद्युत के बिक्री और क्रय के लिए कान्ट्रेक्ट की प्रति

28.6 द्विपक्षीय संव्यवहारों के अधीन टी-जीएनए के अनुदान के लिए आवेदन में आवेदक द्वारा निम्नलिखित घोषणाओं को शामिल किया जाएगा:

- (क) कि ग्रिड के उपबंधों के अनुसार टाइम-ब्लॉक वार मीटरिंग और लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना और संचार विनियमों के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त संचार प्रणाली आहरण के प्वाइंट और अंतःक्षेपण के प्वाइंट, यदि उपलब्ध हो, के लिए उपयुक्त स्थान में है।
- (ख) कि टी-जीएनए के लिए अग्रिम आवेदन करते समय यदि अंतःक्षेपण का प्वाइंट पता नहीं लगाया गया है तो ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार -ब्लॉक वार मीटरिंग और लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना की उपब्धता, अंतःक्षेपण के प्वाइंट के लिए संचार विनियमों के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त संचार प्रणाली और एसएलडीसी की स्थायी क्लियरेंस यदि विक्रेता एक अंतःराज्यिक इकाई है जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन इस प्रकार के अंतःक्षेपण का प्वाइंट स्थित है इन विनियमों के विनियम 33 के अनुसार शेड्यूलिंग अनुरोध सहित प्रस्तुत की जाएगी।
- (ग) कि आवेदक टी-जीएनए के अधीन संव्यवहारों से परिणामतः या उद्भूत थर्ड पार्टी को या उसके द्वारा किसी अन्य बाध्यताओं तथा किसी और सभी दावों, कार्रवाइयों से किसी भी समय पर नोडल एजेंसी से क्षतिपूर्ति करता है।
- (घ) कि प्रस्तावित शेड्यूलिंग के लिए वैध कान्ट्रेक्ट है।

परंतु कि टी-जीएनए के लिए अग्रिम आवेदन के मामले में यह घोषणा कि प्रस्तावित शेड्यूलिंग के लिए वैध कान्ट्रेक्ट है प्रस्तुत किया जाएगा यदि इसे इन विनियमों के विनियम 33 के अनुसार शेड्यूलिंग अनुरोध सहित टी-जीएनए के लिए आवेदन करने के समय पर पहले प्रस्तुत नहीं किया गया है।

28.7 पावर एक्सचेंज द्वारा सामूहिक संव्यवहारों के लिए टी-जीएनए के अनुदान के लिए आवेदन में प्रत्येक ब्लॉक के लिए प्रादेशिक इकाई वार अंतःक्षेपण या आहरण(मेगावाट) शामिल किया जाएगा।

28.8 टी-जीएनए के लिए आवेदन को रद्द करने के मामले में आवेदन फीस जब्त की जाएगी।

29. नोडल एजेंसी द्वारा टी-जीएनए क अनुदान के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग

29.1 टी-जीएनए को जीएनए अनुदानग्राहियों के जीएनए के लिए लेखांकन के बाद आईएसटीएस पर उपलब्ध अंतरण क्षमता के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।

29.2 जीएनए अनुदानग्राहियों को आईएसटीएस के उपयोग के लिए टी-जीएनए अनुदानग्राहियों पर प्राथमिकता होगी।

29.3 टी-जीएनए के लिए अग्रिम आवेदनों पर प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर विचार किया जाएगा और आवेदन करने की तारीख होने से 'डी' पर दिवस के 23.59 तक अधिकतम (डी+1) पर प्रोसेस किया जाएगा।

- 29.4 (एस) दिवस के लिए अनुसूची सहित टी-जीएनए के लिए अत्यावश्यक आवेदनों को निम्नानुसार प्रोसेस किया जाएगा।
- (क) (एस-1) दिवस के 1300 घंटे तक प्राप्त आवेदन प्रथम आओ प्रथम पाओ आधार पर (एस-1) दिवस पर 1300 घंटों के बाद प्रोसेस किया जाएगा और दिवस (एस-1) के 1400 घंटों तक अंतिम रूप दिया जाएगा।
- (ख) (एस-1) दिवस या (एस) दिवस में 1300 घंटों के बाद प्राप्त आवेदनों को प्रथम आओ प्रथम पाओ आधार पर 4 टाइम-ब्लॉकों के अंतर्गत प्रोसेस किया जाएगा।
- 29.5 डेअहेड बाजार के अंतर्गत सामूहिक संव्यवहारों के लिए टी-जीएनए को दिवस (एस-1) के 1300 घंटों तक प्रोसेस किया जाएगा।
- 29.6 वास्तविक समय बाजार के अंतर्गत सामूहिक संव्यवहारों के लिए टी-जीएनए को टाइम-ब्लॉक के अंतर्गत प्रोसेस किया जाएगा।
- 29.7 नोडल एजेंसी निम्नलिखित को सत्यापित करेगी:
- (क) अंतःराज्यिक इकाई के मामले में :
- (i) यदि क्रेता एक अंतःराज्यिक इकाई है तो एसएलडीसी से स्थायी क्लियरेंस जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन आहरण का प्वाइंट स्थित है वहां यह पुष्टि करते हुए (क) ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार लेखांकन और टाइम ब्लॉक वार ऊर्जा मीटरिंग के लिए आवश्यक अवसंरचना का अस्तित्व (ख) संचार विनियमों के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त संचार प्रणाली (ग) अंतःराज्यिक नेटवर्क में पारेषण क्षमता की उपलब्धता;
- (ii) यदि विक्रेता एक अंतःराज्यिक इकाई है और अंतःक्षेपण का प्वाइंट उपलब्ध है तो एसएलडीसी से स्थायी क्लियरेंस स्थित है वहां यह पुष्टि करते हुए (क) ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार लेखांकन और टाइम ब्लॉक वार ऊर्जा मीटरिंग के लिए आवश्यक अवसंरचना का अस्तित्व (ख) संचार विनियमों के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त संचार प्रणाली (ग) अंतःराज्यिक नेटवर्क में पारेषण क्षमता की उपलब्धता;
- (iii) आईएसटीएस पर उपलब्ध अंतरण क्षमता;
- (iv) विनियम 28.6 में यथा प्रदत्त घोषणाओं को, यथालागू, प्रस्तुत किया गया है।
- (ख) प्रादेशिक इकाई के मामले में :
- (i) यदि क्रेता (आहरण का प्वाइंट) प्रादेशिक इकाई है तो आरएलडीसी के माध्यम से पुष्टि जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन इस प्रकार का आहरण का प्वाइंट स्थित है:
- (क) ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार टाइम-ब्लॉक वार ऊर्जा मीटरिंग और लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना का अस्तित्व और
- (ख) संचार विनियमों के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त संचार प्रणाली.
- (ii) यदि विक्रेता प्रादेशिक नियंत्रण क्षेत्र के अधीन अंतःक्षेपण का प्वाइंट रखने वाली प्रादेशिक इकाई है तो आरएलडीसी के माध्यम से पुष्टि करना जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन अंतःक्षेपण का इस प्रकार का प्वाइंट स्थित है:
- (क) ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार टाइम-ब्लॉक वार ऊर्जा मीटरिंग और लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना का अस्तित्व और
- (ख) संचार विनियमों के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त संचार प्रणाली प्रवृत्त है।
- (iii) आईएसटीएस पर उपलब्ध अंतरण क्षमता (एटीसी)
- (iv) विनियम 28.6 में यथा प्रदत्त घोषणाओं को, यथालागू, प्रस्तुत किया गया है
30. टी-जीएनए का अनुदान
- 30.1 एनएलडीसी या नोडर आरएलडीसी, जैसी भी स्थिति हो इन विनियमों के विनियम 29 में निर्धारित टाइम लाईन के अनुसार आवेदक को टी-जीएनए का अनुदान करना या अन्यथा प्रेषित करेगा। टी-जीएनए का अनुदान करने के लिए आवेदन को रद्द करने की स्थिति में, एनएलडीसी या नोडल आरएलडीसी, जैसी भी स्थिति हो लिखित में आवेदक को इस प्रकार रद्द करने के लिए कारण देगा।
- 30.2 आवेदन किये गये टी-जीएनए की स्थिति में को पूर्ण मात्रा के लिए और पारेषण प्रणाली में बाधाओं को ध्यान में रखते हुए आवेदन में मांगी गयी पूर्ण अवधि की स्वीकृति नहीं दी जा सकती तो आवेदन को रद्द किया जाएगा।
- परंतु कि यदि आवेदक ने अपने आवेदन में मंजूरी दी है कि आंशिक मात्रा या आंशिक अवधि या दोनों के लिए टी-जीएनए का अनुदान किया जा सकता है तो इस प्रकार की आंशिक मात्रा और आंशिक अवधि या दोनों के लिए टी-जीएनए को उपलब्ध पारेषण क्षमता के अनुसार अनुदान किया जाएगा।
31. टी-जीएनए के अनुदान के लिए स्थायी क्लियरेंस
- 31.1 टी-जीएनए के अनुदान के लिए एसएलडीसी से स्थायी क्लियरेंस के लिए आवेदन विनिर्दिष्ट मात्रा और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऑनलाइन किया जाएगा।

31.2 जहां अंतःराज्यिक पारिषण नेटवर्क में अधिशेष पारिषण क्षमता की उपलब्धता और आवश्यक अवसंरचना का अस्तित्व स्थापित किया गया है तो संबंधित एसएलडीसी इस प्रकार के आवेदन की प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के अंदर स्थायी क्लीयरेंस जारी करेगा:

परंतु कि जब स्थायी क्लीयरेंस के लिए आवेदन इकाई द्वारा पहली बार किया गया है तो संबंधित एसएलडीसी के आवेदन की प्राप्ति के सात दिनों के अंदर आवेदक को स्थायी क्लीयरेंस जारी करेगा।

31.3 यदि संबंधित एसएलडीसी आवश्यक अवसंरचना के गैर अस्तित्व के आधार पर या अंतःराज्यिक पारिषण नेटवर्क में अधिशेष पारिषण क्षमता का अनुपलब्धता के आधार पर स्थायी क्लीयरेंस जारी करने के लिए मना करता है तो इस प्रकार की मनाही के लिए कारणों सहित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन कार्यदिवसों या सात कार्यदिवस, जैसी भी स्थिति हो, के अंदर एनओएआर के माध्यम से आवेदक को प्रेषित करेगा:

परंतु कि जहां संबंधित एसएलडीसी ने तीन कार्यदिवसों या सात कार्यदिवसों जैसी भी स्थिति हो की अवधि के अंदर स्थाई क्लीयरेंस के लिए आवेदन की मनाही या अनुमोदन को प्रेषित नहीं किया है तो स्थायी क्लीयरेंस को उस अवधि के लिए तीन कार्यदिवसों या सात कार्यदिवसों जैसी भी स्थिति हो की इस प्रकार की अवधि की समाप्ति के बाद अगले दिन के अंत में प्रदान किया माना जाएगा जिसके लिए इस प्रकार का स्थायी क्लीयरेंस का आवेदन किया गया था या सात दिनों की अवधि के लिए, जो भी कम हो, के लिए आवेदन किया गया था।

31.4 टी-जीएनए अनुदानग्राही जिसे स्थायी क्लीयरेंस विनियम 31.2 के अनुसार जारी किया गया है या विनियम 31.3 के अनुसार जारी किया गया माना गया है, इस प्रकार से पावर एक्सचेंज(जों) में बोली लगाएगा कि द्विपक्षीय संव्यवहारों और सामूहिक संव्यवहारों के अधीन सभी बोली(यों) के लिए प्रत्येक टाइम ब्लॉक में कुल मात्रा स्थायी क्लीयरेंस की मात्रा से अधिक नहीं होगी।

परंतु कि यदि टी-जीएनए अनुदानग्राही द्वारा द्विपक्षीय संव्यवहारों और सामूहिक संव्यवहारों के अधीन पावर एक्सचेंज(जों) में बोली(यों) की कुल मात्रा किसी टाइम ब्लॉक में स्थायी क्लीयरेंस की मात्रा से अधिक होती है तो एनएलडीसी संबंधित एसएलडीसी को सूचित करते हुए सात दिनों की अवधि के लिए द्विपक्षीय एवं सामूहिक संव्यवहारों में सहभागिता से इस प्रकार के टी-जीएनए अनुदानग्राही को अपवर्जित करेगा।

परंतु यह कि उक्त परंतुक के अनुसार अपवर्जित इस प्रकार के टी-जीएनए अनुदानग्राहियों की सूची एनओएआर पर प्रदर्शित होगी।

31.5 संबंधित एसएलडीसी पारिषण प्रणाली में बाधाओं के मामले में केवल किसी टी-जीएनए गारंटी के संबंध में या रक्षित ग्रीड प्रचालन के हित में जारी किए गए स्थायी क्लीयरेंस की अवधि या मात्रा को संशोधित कर सकते हैं।

32. टी-जीएनए का पुनरीक्षण

32.1 एक माह से अनाधिक अवधि के लिए अग्रिम आवेदन श्रेणी या अत्यावश्यक आवेदन श्रेणी के अधीन प्रदान किया गया टी-जीएनए को पुनरीक्षित नहीं किया जाता सकता।

32.2 एक माह से अधिक की अवधि के लिए अग्रिम आवेदन श्रेणी के अधीन प्रदान किए गए टी-जीएनए को टी-जीएनए गारंटी द्वारा एक माह के पूर्व नोटिस सहित शेष अवधि के लिए कम किया जा सकता है:

परन्तु कि अनुदान किए गए टी-जीएनए की मात्रा के लिए लागू टी-जीएनए प्रभार एक माह की नोटिस अवधि के लिए प्रतिदेय होगा।

33. टी-जीएनए के अधीन विद्युत के लिए अनुरोध की शेड्यूलिंग

33.1 अग्रिम आवेदन श्रेणी :

(क) अग्रिम आवेदन श्रेणी के अधीन टी-जीएनए अनुदानग्राही द्वारा शेड्यूलिंग अनुरोध ग्रीडकोड के उपबंधों के अनुसार डेअहेड बाजार के अधीन सामूहिक संव्यवहारों के लिए बोली विंडो की शुरुआत से पूर्व डेअहेड आधार पर किया जाएगा।

(ख) यदि विक्रेता राज्य नियंत्रण क्षेत्र के अधीन अंतक्षेपण के प्वाइंट वाली एक अंतरराज्यिक इकाई है तो शेड्यूलिंग अनुरोध के साथ इन विनियमों के विनियम 28.5 के खण्ड (क) के उपखण्ड (vii) के अनुसार स्थायी क्लीयरेंस संलग्न है।

(ग) यदि विक्रेता प्रादेशिक नियंत्रण क्षेत्र के अधीन अंतक्षेपण का प्वाइंट वाली एक प्रादेशिक इकाई है तो अंतक्षेपण का प्वाइंट इन विनियमों के विनियम 28.5 के खण्ड (क) के उपखण्ड (viii) के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) शेड्यूलिंग अनुरोध के साथ यह घोषणा संलग्न होगी कि विद्युत की बिक्री और क्रय के लिए कांट्रेक्ट की प्रति सहित इन विनियमों के विनियम 28.6 के खण्ड (घ) के परन्तुक के अनुसार एक वैध कांट्रेक्ट है।

33.2 अत्यावश्यक आवेदन श्रेणी के अधीन अनुदान की गई टी-जीएनए पर अनुसूची के रूप में विचार किया जाएगा जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता।

33.3 अग्रिम आवेदन श्रेणी के अधीन टी-जीएनए अनुदानग्राही अगले दिन के लिए डेअहेड बाजार के अधीन सामूहिक संव्यवहारों के लिए बोली विंडो के आरंभ से पूर्व शेड्यूलिंग अनुरोध करने के समय पर इसके टी-जीएनए मात्रा तक अनुसूची विद्युत के लिए अनुरोध कर सकता है:

परन्तु कि यदि इस प्रकार का टी-जीएनए अनुदानग्राही अनुसूचन अनुरोध के समय पर इसी टी-जीएनए मात्रा तक अनुसूची विद्युत नहीं करता तो टी-जीएनए की अप्रयुक्त मात्रा को इन विनियमों के विनियम 36 के अनुसार वास्तविक समय बाजार के अधीन सामूहिक संव्यवहारों और टी-जीएनए के लिए अत्यावश्यक आवेदनों, जीएनए अनुदानग्राहियों द्वारा नियत अनुसूची पुनरीक्षण, डेअहेड बाजार के अधीन सामूहिक संव्यवहारों के लिए रिलीज किया जाएगा।

34. टीजीएनए के लिए पारेषण प्रभार

34.1 राज्य के लिए रुपये/मेगावाट/टाइमब्लॉक में टी-जीएनए के लिए पारेषण प्रभार दर शेयरिंग विनियमों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रत्येक माह के लिए प्रकाशित किया जाएगा।

34.2 द्विपक्षीय एवं सामूहिक संव्यवहारों के मामलों में टी-जीएनए के लिए पारेषण प्रभार उस राज्य के लिए जहां आहरण इस प्रकार का प्वाइंट स्थित है, टी-जीएनए के लिए अंतिम प्रकाशित पारेषण प्रभार दर के अनुसार के केवल आहरण के प्वाइंट पर प्रतिदेय होगा:

परन्तु कि सामूहिक संव्यवहारों के अधीन, टी-जीएनए के लिए पारेषण प्रभार जीएनए मात्रा से अधिक आहरण अनुसूची या टीजीएनए मात्रा या दोनों, जैसा भी लागू हो, के लिए प्रतिदेय होगा।

34.3 टी-जीएनए के लिए पारेषण प्रभारों को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित नहीं किया जाएगा।

34.4 टी-जीएनए के लिए पारेषण प्रभारों का भुगतान:

(क) अग्रिम आवेदन श्रेणी के अधीन टी-जीएनए के लिए पारेषण प्रभारों को निम्नानुसार नोडल एजेंसी के पास टी-जीएनए गारंटी द्वारा जमा करवाया जाएगा :

(i) एक माह तक टी-जीएनए के लिए – टी-जीएनए के अनुदान के तीन कार्यदिवसों के अंदर :

परन्तु कि जहां टी-जीएनए अगले तीन कार्यदिवसों के अंदर आरंभ हो रहा है। टी-जीएनए के लिए पारेषण प्रभार टी-जीएनए की आरंभिक तारीख से पूर्व जमा होंगे;

(ii) एक माह से अधिक के लिए टी-जीएनए के लिए – टी-जीएनए के अनुदान के तीन कार्यदिवसों के अंदर लेकिन टी-जीएनए की आरंभिक तारीख से पूर्व प्रथम माह के लिए प्रभार और अग्रिम में एक माह रोलिंग आधार पर प्रत्येक परवर्ती माह और उसके भाग सहित यदि कोई है, के लिए प्रभार।

(ख) अत्यावश्यक आवेदन श्रेणी के अधीन टी-जीएनए के लिए पारेषण प्रभार आवेदन सहित जमा होंगे। यदि अति आवश्यक आवेदन प्रयुक्त मात्रा के भाग के लिए अनुमोदित हो जाता है या प्रयुक्त अवधि का भाग या रद्द हो जाता है तो तदनुसूची पारेषण प्रभार अनुमोदन की तारीख से अगले दिन तक वापिस हो जाएगा। :

परन्तु कि आवेदक भावी टी-जीएनए आवेदनों के लिए समायोजित किए जाने वाले नोडल एजेंसी के पास अधिक पारेषण प्रभारों को रखने के लिए विकल्प कर सकता है।

(ग) सामूहिक संव्यवहारों के अंतर्गत पावर एक्सचेंज टी-जीएनए के अनुदान के लिए आवेदन के दिवस होने के नाते (डी+2), (डी) के 2400 घंटे तक नोडल एजेंसी से टी-जीएनए के लिए पारेषण प्रभारों को जमा करेंगे:

परन्तु कि अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए टी-जीएनए के लिए पारेषण प्रभारों को संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र से विद्युत एक्सचेंज द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निपटाया जाएगा।

(घ) यदि टी-जीएनए के अधीन कोई शेड्यूलिंग अनुरोध डेअहेड आधार पर आरएलडीसी द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता या पारेषण बाधाओं या ग्रिड सुरक्षा के कारणों से कम किया जाता है तो अनुसूचित नहीं किए गए या कम किए गए इस प्रकार की मात्रा के लिए पारेषण प्रभारों को अगले माह की 15 दिवस तक टी-जीएनए अनुदानग्राही को वापस किया जाएगा।

परन्तु कि स्थायी क्लियरेंस की गैर उपलब्धता को पारेषण प्रणाली में बाधाओं के रूप में नहीं माना जाएगा।

34.5 टी-जीएनए के लिए पारेषण प्रभारों के भुगतान में चूक की स्थिति में प्रदान किए गए टी-जीएनए को रद्द किया जाएगा।

34.6 सामूहिक संव्यवहारों के अंतर्गत टी-जीएनए प्रभारों के भुगतान में विलंब के मामले में चूक के प्रत्येक दिन के लिए 0.04% की दर पर साधारण ब्याज विद्युत एक्सचेंज द्वारा प्रतिदेय होगा।

35. टी-जीएनए के अंतर्गत आवेदनों के बारे में सूचना

टी-जीएनए के आवेदनों के अनुमोदन या रद्द करने से संबंधित सूचना, अनुसूचियों के पुनरीक्षण या कमी, भुगतान अनुसूचियों और इस प्रकार के अन्य मामलों को ईमेल या एसएमएस या संचार के इस प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक ढंग के माध्यम से अलर्ट करने सहित संबंधित बाजार सहभागियों को एनओएआर के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा।

अध्याय 7

जीएनए और टी-जीएनए के अधीन पारेषण कॉरिडोर का आबंटन

36. पारेषण कॉरिडोर का आबंटन

36.1 जीएनए गारंटी ग्रिड कोड में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन किसी कांट्रेक्ट के अंतर्गत प्रदान किए गए जीएनए के अंतर्गत अनुसूचित विद्युत के लिए पात्र होंगे:

परंतु कि पारेषण प्रणाली में बाधाओं की स्थिति में उपलब्ध पारेषण कॉरिडोर प्रदेश या प्रदेश के अंदर या प्रदेश के बाहर से उनके जीएनए में समानुपात में जीएनए अनुदानग्राहियों को आबंटित किया जाएगा और जीएनए अनुदानग्राही इस प्रकार के आबंटित पारेषण कारिडोर के अंदर किसी कांट्रेक्ट के अधीन अनुसूचित विद्युत के लिए पात्र होंगे।

36.2 इसे प्रदान की गई टी-जीएनए के अंदर अग्रिम आवेदन श्रेणी के अधीन टी-जीएनए अनुदानग्राही ग्रिड कोड में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन किसी कांट्रेक्ट के अंतर्गत अनुसूचित विद्युत के लिए पात्र होंगे।

परंतु कि यदि टी-जीएनए की पूर्ण मात्रा के लिए टी-जीएनए अनुदानग्राहियों के डेअहेड शेड्यूलिंग अनुरोध को पर्याप्त पारेषण कारिडोर की गैर उपलब्धता के कारण समायोजित नहीं किया जा सकता, शेड्यूलिंग उनकी टी-जीएनए के समानुपात में टी-जीएनए अनुदानग्राहियों के लिए समानुपातिक आधार पर होगा।

36.3 एक बार डेअहेड अनुसूची जीएनए अनुदानग्राहियों के लिए अंतिम रूप हो जाता है तो टी-जीएनए की अग्रिम आवेदन श्रेणी के अधीन टी-जीएनए अनुदानग्राहियों के लिए शेड्यूल को शेष पारेषण कॉरिडोर पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

36.4 अग्रिम आवेदन श्रेणी के अधीन जीएनए अनुदानग्राहियों और टी-जीएनए अनुदानग्राहियों को पारेषण कारिडोर के आबंटन के बाद शेष पारेषण कारिडोर डेअहेड बाजार के अधीन सामूहिक संव्यवहारों के लिए रिलीज किया जाएगा।

36.5 डेअहेड बाजार के अधीन सामूहिक संव्यवहारों को अंतिम रूप देने के बाद, 'एस-1' दिवस के 1300 घण्टे तक प्राप्त या ग्रिड कोड यथाविनिर्दिष्ट इस प्रकार के समय तक प्राप्त टी-जीएनए के अनुदान के लिए अत्यावश्यक आवेदनों को पारेषण कारिडोर आबंटित किया जाएगा।

36.6 विनियम 36.1 से 36.4 के अधीन पारेषण कॉरिडोर के आबंटन के बाद शेष पारेषण कॉरिडोर को जीएनए के अंदर किसी कांट्रेक्ट के अधीन या अत्यावश्यक आवेदन श्रेणी के अधीन या इस प्रकार के अनुरोध के लिए समय स्टेम्प पर आधारित वास्तविक समय बाजार के अंतर्गत किसी कांट्रेक्ट के अधीन ग्रिड कोड में यथानिर्धारित शेड्यूल के पुनरीक्षण के माध्यम से जीएनए अनुदानग्राही द्वारा प्रयुक्त किया जाता सकता है।

अध्याय-8

विविध

37. संक्रांति काल के लिए व्यवस्था

37.1 यदि संयोजकता प्रदान करने के लिए या दीर्घकालिक पहुंच प्रदान करने या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए कोई आवेदन संयोजकता विनियम 2009 के अनुसार किया गया है और उसे इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख पर प्रदान किया जाना है तो आवेदक को यह विकल्प होगा कि वह (क) उस आवेदन को वापिस ले सके जिस मामले में आवेदन फीस और बैंक गारंटी, यदि कोई है, वापस कर दी जाएगी या (ख) इन विनियमों के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए इन विनियमों के अधीन किए गए आवेदन के रूप में आवेदन को संपरिवर्तित किया जाएगा जिसे इन विनियमों के अनुसार प्रोसेस किया जाएगा:

परंतु कि इस प्रकार के विकल्प को इन विनियमों के प्रभाव में आने के एक माह के अंदर आवेदक द्वारा प्रयोग किया जाएगा जिसके न होने की स्थिति में आवेदन को बंद किया जाएगा और आवेदन फीस और बैंक गारंटी यदि कोई है, वापस की जाएगी।

37.2 यदि संयोजकता प्रदान की गई है लेकिन दीर्घकालिक पहुंच संयोजकता विनियम 2009 के अनुसार प्रदान नहीं की गई है और संयोजकता इन विनियमों के प्रभाव में आने की तारीख को प्रभावी होना बाकी है तो उसे निम्नानुसार माना जाएगा:

(क) इकाई को यह विकल्प होगा (i) कि इन विनियमों के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए इन विनियमों के अधीन किए गए संयोजकता के रूप में संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रदान की गई संयोजकता को संपरिवर्तित करें या (ii) इस प्रकार की संयोजकता को अभ्यर्पित करें।

(ख) इस विनियम के खण्ड (ख) के अधीन इस प्रकार का विकल्प इन विनियमों के प्रभावी होने के एक माह के अंदर आवेदक द्वारा प्रयोग किया जाएगा जिसके न होने की स्थिति में संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रदान की गई संयोजकता को अभ्यर्पित के रूप में समझा जाएगा।

(ग) यदि संयोजकता इस विनियम के खण्ड (क) के विकल्प (ii) या इस विनियम के खण्ड ख के अनुसार अभ्यर्पित की जाती है तो संयोजकता विनियमों के अधीन प्रस्तुत की गई संयोजकता बीजी-1 और संयोजकता बीजी-2, यदि कोई है, वापस की जाएगी।

परन्तु कि यदि टर्मिनल बे का निर्माण सीटीयू के माध्यम से आईएसटीएस के अधीन कार्यान्वित के लिए अवार्ड किया गया है तो संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रस्तुत संयोजकता बीजी-2 का नकदीकरण किया जाएगा।

(घ) यदि इकाई इस विनियम के खण्ड (क) के विकल्प (i) के अनुसार इन विनियमों के अधीन संयोजकता के रूप में संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रदान किए गए संयोजकता के संपरिवर्तित करने के लिए विकल्प का प्रयोग करती है तो नोडल एजेंसी अगले 30 दिनों के अंदर संयोजकता विनियम 2009 के अधीन इस प्रकार की इकाई द्वारा अदा की गई बैंक गारंटी, यदि कोई है को समायोजित करने के बाद इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार इस प्रकार की इकाई द्वारा अदा की जाने वाली संयोजकता बीजी-1 और संयोजकता बीजी-2 और संयोजकता बीजी-3 की रकम को सूचित करेगी।

(ङ) संयोजकता बीजी-1 और संयोजकता बीजी-2 और संयोजकता बीजी-3 को इस विनियम के खण्ड (घ) के अधीन सूचित करने के दो माह के अंदर इकाई द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

(च) इस विनियम के खण्ड (ङ) के अधीन संयोजकता बीजी-1 और संयोजकता बीजी-2 और संयोजकता बीजी-3 को प्रस्तुत करने पर इकाई और नोडल एजेंसी के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं को इन विनियमों के विनियम 10.3 के उपबंधों के समानरूप किया जाएगा।

(छ) इस विनियम के खण्ड (च) के अधीन मौजूदा व्यवस्थाओं के सुयोजन पर इकाई इन विनियमों के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए संयोजकता अनुदानग्राही हो जाएगी।

(ज) यदि इकाई इस विनियम के खण्ड (घ) के अनुसार नोडल एजेंसी द्वारा यथासूचित संयोजकता बीजी-1 और संयोजकता बीजी-2 और संयोजकता बीजी-3 को प्रस्तुत करने में असफल रहती है।

(i) तो संयोजकता विनियम 2009 के अधीन इकाई को प्रदान की गई संयोजकता नोडल एजेंसी द्वारा प्रतिसंहरित होगी और

(ii) संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रस्तुत संयोजकता बीजी-1, यदि कोई है, को नकदीकृत किया जाएगा और

(iii) संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रस्तुत संयोजकता बीजी-2 यदि कोई है, वापस किया जाएगा:

परंतु कि यदि टर्मिनल बे का निर्माण सीटीयू के माध्यम से आईएसटीएस के अधीन कार्यान्वयन के लिए अवार्ड किया गया है तो संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रस्तुत संयोजकता बीजी-2 को नकदीकृत किया जाएगा।

37.3

यदि संयोजकता एवं दीर्घकालिक पहुंच को संयोजकता विनियम 2009 के अनुसार प्रदान किया गया है लेकिन दोनों संयोजकता और दीर्घकालिक पहुंच को प्रभावी बनाना बाकी है या संयोजकता प्रभावी है और दीर्घकालिक पहुंच को इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख को प्रभावी बनाना बाकी है तो उसे निम्नानुसार माना जाएगा:

(1) संयोजकता विनियम 2009 के अधीन अनुदान की गई संयोजकता की मात्रा जिसके लिए दीर्घकालिक पहुंच प्रदान नहीं की गई है उसे इस बात पर आश्रित करते हुए कि इस प्रकार की संयोजकता मात्रा प्रभावी है या प्रभावी नहीं है उसे विनियम 37.6 या विनियम 37.2 के खण्ड (1) के अनुसार माना जाएगा।

(2) जहां दीर्घकालिक पहुंच मौजूदा प्रणाली पर प्रदान की गई है, इस प्रकार की दीर्घकालिक पहुंच का संव्यवहार और संयोजकता का तदनुरूपी मात्रा निम्नानुसार हो:

(क) इकाई को यह विकल्प होगा कि वह (i) इन विनियम के अधीन जीएनए के रूप में संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रदान की गई दीर्घकालिक पहुंच को संपरिवर्तित करे या (ii) इस प्रकार की दीर्घकालिक पहुंच को अभ्यर्पित करे।

(ख) इस विनियम के खण्ड (क) के अधीन विकल्प को इन विनियमों के प्रभावी होने के एक माह के अंदर इकाई द्वारा प्रयोग किया जाएगा जिसके न होने की स्थिति में संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रदान किए गए इस प्रकार के दीर्घकालिक पहुंच को अभ्यर्पित के रूप में समझा जाएगा।

(ग) यदि दीर्घकालिक पहुंच इस विनियम के खण्ड (ख) या इस विनियम के खण्ड (क) के विकल्प (ii) के अनुसार अभ्यर्पित की जाती है तो संयोजकता विनियम 2009 के अधीन इकाई द्वारा प्रस्तुत की गई आवेदन बैंक गारंटी, यदि कोई है, वापस की जाएगी।

(घ) यदि, इकाई इन विनियमों के अधीन डीमड जीएन के रूप में संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रदान की गई दीर्घकालिक पहुंच के संपरिवर्तन के लिए इस विनियम के खण्ड (क) के विकल्प (i) का प्रयोग करती है तो यह इस प्रकार के विकल्प के प्रयोग करने के दो माह के अंदर इस प्रकार की दीर्घकालिक पहुंच मात्रा 50 लाख रुपये के लिए संयोजकता बीजी-1 और 2 लाख रुपये/मेगावाट की दर पर संयोजकता बीजी-3 प्रस्तुत करेगा। यदि कोई संयोजकता बीजी-2, संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रस्तुत किया गया है तो उसे इन विनियमों के अधीन संयोजकता बीजी-2 के रूप में माना जाएगा। संयोजकता बीजी-1, संयोजकता बीजी-2 और संयोजकता बीजी-3 का परवर्ती संव्यवहार इन विनियमों के विनियम 16.1 से 16.4 के अनुसार होगा। संयोजकता विनियम 2009 के अधीन इस प्रकार की इकाई द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी यदि कोई है, समायोजित की जाएगी।

(ङ) इस विनियम के खण्ड (घ) के अधीन संयोजकता बीजी-1 और संयोजकता बीजी-3 को प्रस्तुत करने पर दीर्घकालिक पहुंच को इन विनियमों के अधीन प्रदान किए जाते हुए डीमड जीएन के रूप में माना जाएगा और इकाई तथा नोडल एजेंसी के बीच मौजूदा व्यवस्था को इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप किया जाएगा।

(च) यदि इकाई इस विनियम के खण्ड (घ) के अनुसार संयोजकता बीजी-1, संयोजकता बीजी-2 और संयोजकता बीजी-3 को प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो संयोजकता विनियम 2009 के अधीन इकाई को प्रदान की गई दीर्घकालिक पहुंच को इस विनियम के खण्ड (ख) के अनुसार अभ्यर्पित के रूप में माना जाएगा।

(छ) दीर्घकालिक पहुंच की मात्रा के लिए संयोजकता की मात्रा जिसे इस विनियम के खण्ड (ड) के अधीन जीएनए में संपरिवर्तित किया गया है, इन विनियमों के अधीन प्रदान की गई संयोजकता के रूप में माना जाएगा।

(3) जहां दीर्घकालिक पहुंच प्रणाली वृद्धि के साथ प्रदान की गई है, इस प्रकार की दीर्घकालिक पहुंच और संयोजकता की तदनुरूपी मात्रा का संव्यवहार निम्नानुसार होगा :

(क) इकाई का विकल्प होगा (i) इन विनियमों के अधीन जीएनए के रूप में संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रदान की गई दीर्घकालिक पहुंच को संपरिवर्तित किया जाए या (ii) इस प्रकार के दीर्घकालिक पहुंच को अभ्यर्पित किया जाए।

(ख) इस विनियम के खण्ड (क) के अधीन विकल्प का इन विनियमों के प्रभाव के एक महीने के अंदर आवेदक द्वारा प्रयोग किया जाएगा जिसके असफल होने पर संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रदान की गई दीर्घकालिक पहुंच को अभ्यर्पित के रूप में माना जाएगा।

(ग) यदि दीर्घकालिक पहुंच इस विनियम के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के विकल्प (ii) के अनुसार अभ्यर्पित होता है, संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रस्तुत निर्माण बैंक गारंटी को एटीएस की प्राक्कलित लागत की सीमा तक नकदीकृत किया जाएगा, जिसे कार्यान्वयन के लिए (पहले से प्रस्तुत बैंक गारंटी के मूल्य तक अधिकतम) अवार्ड किया गया है और शेष यदि कोई है, वापस किया जाएगा। दीर्घकालिक पहुंच की इस प्रकार की मात्रा के लिए जिसे अभ्यर्पित किया गया है संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रदान की गई संयोजकता की मात्रा को इस विनियम के खण्ड (1) के अनुसार माना जाएगा।

(घ) यदि इकाई इन विनियमों के अधीन प्रदान किए गए डीमड जीएनए के रूप में संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रदान किए गए दीर्घकालिक पहुंच के संपरिवर्तन के लिए इस विनियम के खण्ड (क) के विकल्प (झ) का प्रयोग करती है, पहले से प्रस्तुत की गई निर्माण बैंक गारंटी को इन विनियमों के अधीन रुपये 50 लाख के लिए संयोजकता बीजी-1 के रूप में और शेष संयोजकता बीजी-2 के रूप में माना जाएगा। यदि कोई निर्माण बैंक गारंटी पीपीए और पीएसए के हस्ताक्षर के अनुसरण में प्रस्तुत नहीं की गई है तो इस विनियम के खण्ड (क) के अधीन विकल्प (झ) का प्रयोग करते हुए दो माह के अंदर इस प्रकार के दीर्घकालिक पहुंच मात्रा के तदनुरूपी रुपये 50 लाख के लिए संयोजकता बीजी-1 के लिए और @2 लाख रुपये/मेगावाट घण्टे की दर पर संयोजकता बीजी-3 प्रस्तुत करेगा। यदि कोई संयोजकता बीजी-2 संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रस्तुत की गई है, उसे इन विनियमों के अधीन संयोजकता बीजी-2 के रूप में माना जाएगा। संयोजकता बीजी-1, संयोजकता बीजी-2 और संयोजकता बीजी-3 को इन विनियमों के विनियम 16.1 से 16.4 के अनुसार माना जाएगा।

(ड) संयोजकता बीजी-1 और संयोजकता बीजी-2 के रूप में निर्माण बैंक गारंटी के संपरिवर्तन पर या इस विनियम के खण्ड (घ) के अनुसार संयोजकता बीजी-1 और संयोजकता बीजी-3 को प्रस्तुत करने पर, जैसा लागू हो, संयोजकता विनियम, 2009 के अधीन अनुदान की गई दीर्घकालिक पहुंच को इन विनियमों के अधीन अनुदान किए जाने वाला डीमड किया गया जीएनए के रूप में माना जाएगा। इकाई तथा नोडल एजेंसी के बीच मौजूदा करारों को इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप किया जाएगा।

(च) यदि इकाई इस विनियम के खण्ड (घ) के अनुसार संयोजकता बीजी-1 और संयोजकता बीजी-3 प्रस्तुत करने में असफल रहती है, संयोजकता विनियम, 2009 के अधीन इकाई को अनुदान की गई दीर्घकालिक पहुंच इस विनियम के खण्ड (ख) के अनुसार अभ्यर्पित माना जाएगा।

(छ) दीर्घकालिक पहुंच की मात्रा के लिए संयोजकता की मात्रा जिसे इस विनियम के खण्ड (ड) के अधीन जीएनए में संपरिवर्तित किया गया है, इन विनियमों के अधीन अनुदान की गई संयोजकता के रूप में माना जाएगा।

37.4 यदि मध्यकालिक निर्बाध पहुंच संयोजकता विनियम, 2009 के अनुसार अनुदान की गई है, लेकिन इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख को प्रभावी होना बाकी है, उसे निम्नानुसार माना जाएगा :

(1) इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन कवर की गई इकाई को अनुदान की गई मध्यकालिक निर्बाध पहुंच को निम्नानुसार माना जाएगा:

(क) इकाई को यह विकल्प होगा कि या (i) मध्यकालिक निर्बाध पहुंच की अवधि के लिए इन विनियमों के अधीन अनुदान की जाने वाली डीमड जीएनए के रूप में संयोजकता विनियम 2009 के अधीन अनुदान की गई मध्यकालिक निर्बाध पहुंच को संपरिवर्तित करें। या (ii) इस प्रकार के मध्यकालिक पहुंच को अभ्यर्पित करें।

(ख) इस विनियम के खण्ड (क) के अधीन इस प्रकार का विकल्प इन विनियमों के प्रभावी होने के एक माह के अंदर आवेदक द्वारा प्रयोग किया जाएगा जिसके असफल होने की स्थिति में संयोजकता विनियम 2009 के अधीन अनुदान की गई मध्यकालिक निर्बाध पहुंच को अभ्यर्पित के रूप में माना जाएगा।

(ग) यदि संयोजकता विनियम 2009 के अधीन अनुदान की गई मध्यकालिक निर्बाध पहुंच को इस विनियम के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के विकल्प (ii) के अनुसार अभ्यर्पित किया जाता है, यदि कोई है, वापस किया जाएगा।

(घ) यदि इकाई इन विनियमों के अधीन जीएनए के रूप में संयोजकता विनियम 2009 के अधीन अनुदान की गई मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के संपरिवर्तन के लिए इस विनियम के खण्ड (क) के विकल्प (i) का प्रयोग करती है, यह इस विनियम के खण्ड (क) के अधीन विकल्प (i) का प्रयोग करने के दो माह के अंदर इस प्रकार के मध्यकालिक निर्बाध पहुंच मात्रा के तदनुसारी @रूपये 2 लाख/मेगावाट संयोजकता बीजी-3 प्रस्तुत करेगा, जिसे मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के अनुसार पूर्ण करने के बाद वापस किया जाएगा। यदि इस प्रकार की इकाई ने मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के लिए कोई बैंक गारंटी प्रस्तुत की है, उसे समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार के मध्यकालिक निर्बाध पहुंच को मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के समाप्ति तक इन विनियमों के अधीन अनुदान की गई डीमंड के रूप में माना जाएगा।

(ङ) इस विनियम के खण्ड (घ) के अधीन संयोजकता बीजी-3 को प्रस्तुत करने पर, संयोजकता विनियम 2009 के अधीन अनुदान की गई मध्यकालिक निर्बाध पहुंच को इन विनियमों के अधीन अनुदान की गई डीमंड जीएनए के रूप में माना जाएगा। इकाई तथा नोडल एजेंसी के बीच मौजूदा करारों को इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप किया जाएगा।

(च) यदि इकाई इस विनियम के खण्ड (घ) के अनुसार संयोजकता बीजी-3 को प्रस्तुत करने में असफल रहती है, संयोजकता विनियम 2009 के अधीन इकाई को अनुदान की गई मध्यकालिक निर्बाध पहुंच को इस विनियम के खण्ड (ख) के अनुसार अभ्यर्पित के रूप में माना जाएगा।

(छ) अनुदान की गई मध्यकालिक निर्बाध पहुंच की मात्रा के लिए संयोजकता जिसे इस विनियम के खण्ड (ङ) के अधीन जीएनए में संपरिवर्तित किया गया है, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच की मियाद के समाप्त होने तक मध्यकालिक निर्बाध पहुंच कि इस प्रकार की मात्रा के लिए इन विनियमों के अधीन प्रदान की गई संयोजकता के रूप में माना जाएगा, जिसके बाद इकाई इन विनियमों के अधीन प्रदान की गई संयोजकता के रूप में संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रदान की गई इसकी संयोजकता के संपरिवर्तन के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) इन विनियमों के विनियम 17.1 के अधीन कवर की गई एक इकाई के लिए संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रदान की गई मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, उस आरंभिक तारीख से मध्यकालिक निर्बाध पहुंच की मियाद के समाप्त होने तक उस इकाई को प्रदान की गई जीएनए के रूप में मानी जाएगी, जिस तारीख से जिससे इस प्रकार की मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रभावी होनी थी।

37.5 संयोजकता विनियम 2009 के अधीन प्रदान की गई दीर्घकालिक पहुंच जो इन विनियमों के विनियम 17.1 के अधीन उस संपरिवर्तित से भिन्न व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को प्रभावी नहीं हुई है उसे आहरण के रूप में माना जाएगा और प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी, यदि कोई है, वापस की जाएगी।

37.6 यदि संयोजकता विनियम 2009 के अनुसार प्रदान की गई संयोजकता प्रभावी है और दीर्घकालिक पहुंच न तो किसी क्षमता के लिए प्रदान की गई है या पूर्ण/आंशिक क्षमता के लिए प्रदान की गई है जो इन विनियमों के प्रभाव में आने की तारीख को प्रभावी हो गई है वहां निम्नलिखित लागू होंगे :

(1) इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन कवर की गई इकाइयां जिसे किसी क्षमता के लिए दीर्घकालिक पहुंच प्रदान नहीं किया गया है या संयोजकता विनियम 2009 के अधीन संयोजकता मात्रा की क्षमता के भाग के लिए दीर्घकालिक पहुंच प्रदान की गई है, इन विनियमों के विनियम 17.2 के अधीन संयोजकता की शेष मात्रा के लिए अतिरिक्त जीएनए के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसे निम्नानुसार नोडल एजेंसी द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। :

(क) विनियम 17.2 के अधीन यथा प्रयुक्त अतिरिक्त जीएनए के मामले में मौजूदा पारेषण प्रणाली पर प्रदान किया जा सकता है, नोडल एजेंसी यह संयोजकता बीजी-3 रुपये 2 लाख/मेगावाट की दर पर प्रस्तुत करने पर इस प्रकार के अतिरिक्त जीएनए प्रदान करेगा। उस वर्ष से आरंभ होने वाले अगले पांच वर्षों में पांच समान भागों में संयोजकता बीजी-3 वापस किया जाएगा, जब इस प्रकार के जीएनए इन विनियमों के 16.2 के अनुसार, जो भी बाद में अप्रभावी हो जाता है।

परन्तु कि यदि संयोजकता इन विनियमों के विनियम 24.1 के अनुसार अधित्याग की जाती है, अवस्थित संयोजकता बीजी-3 को नकदीकृत किया जाएगा।

(ख) यदि एटीएस इस प्रकार के अतिरिक्त जीएनए प्रदान करने के लिए अपेक्षित हैं, आवेदन इन विनियमों के विनियम 8.3 के अनुसार प्रोसेस किया जाएगा। इस प्रकार का अतिरिक्त जीएनए संयोजकता बीजी-2 के प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाएगा। संयोजकता बीजी-1 क्षमता के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा के 30 दिनों के अंदर वापस किया जाएगा जिसके लिए अतिरिक्त जीएनए प्रदान किया गया है। संयोजकता बीजी-2 उस वर्ष से आरंभ होने वाले पांच वर्षों से पांच समान भागों में वापस किया जाएगा, जब इस प्रकार के जीएनए इन विनियमों के 16.2 के अनुसार, जो भी बाद में प्रभावी हो जाता है।

परंतु कि जहां एटीएस के केवल कुछ पारेषण घटकों को एटीएस की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को प्राप्त किया है और संयोजकता अनुदानग्राही इसके जीएनए के आंशिक प्रभावशीलता की मांग करता है, नोडल एजेंसी पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के अधीन इस प्रकार के आंशिक रूप से जीएनए को प्रभावी करेगा।

परंतु यह कि जीएनए के बाद नोडल एजेंसी द्वारा प्रदान किया गया है लेकिन प्रभावी होना है इस प्रकार की इकाई डीमड की गई टी-जीएनए के रूप में इस प्रकार की पहुंच का उपचार करते हुए पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के अधीन मांगी गई जीएनए की आंशिक या पूर्ण मात्रा की अनुसूचित विद्युत को प्राप्त करने के लिए पात्र होगी और टी-जीएनए प्रभारों को अदा करना अपेक्षित नहीं होगा।

परंतु कि यदि विनियम 24.1 के अनुसार संयोजकता का अधित्याग हो जाता है, अवस्थित संयोजकता बीजी-2 इन विनियमों के विनियम 24.2 के अनुसार नकदीकृत हो जाएगा।

- (2) इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन कवर की गई इकाइयां जिन्हें लक्षित प्रदेश के लिए दीर्घकालिक पहुंच प्रदान की गई है, रुपये 2 लाख/मेगावाट की दर पर संयोजकता बीजी-3 प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार के संयोजकता बीजी-3 को प्रस्तुत करने पर इन इकाइयों को इस प्रकार की दीर्घकालिक पहुंच की तदनुरूपी जीएनए वाले इन विनियमों के अधीन संयोजकता गारंटी के रूप में माना जाएगा। संयोजकता बीजी-3 को उस वर्ष से आरंभ होने वाले अगले पांच वर्षों में पांच समान भागों में वापस किया जाएगा, जब इस प्रकार के जीएनया इन विनियमों के 16.2 के अनुसार, जो भी बाद में प्रभावी हो जाता है।

परंतु कि यदि संयोजकता इन विनियमों के विनियम 24.1 के अनुसार अधित्याग हो जाती है, अवस्थित संयोजकता बीजी-3 नकदीकृत किया जाएगा।

- 37.7** यदि इन विनियमों के विनियम 17.1 के अधीन कवर की गई इकाइयों को प्रदान की गई दीर्घकालिक पहुंच, संयोजकता विनियम 2009 के अनुसार यह प्रभावी हो गया है, इसे विनियम 18.1 के अधीन संबंधित इकाइयों को प्रदान किया जाने वाला डीमड जीएनए के भाग के रूप में माना जाएगा।

- 37.8** जहां संयोजकता विनियम 2009 के साथ प्रदान किया गया मध्यकालिक निर्बाध पहुंच इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख को प्रभावी हो गया है, इस प्रकार के निर्बाध पहुंच को निम्नानुसार माना जाए।

(क) इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन कवर किए गए इकाइयों के लिए, इस प्रकार की मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के तदनुरूपी जीएन को इस प्रकार की मध्यकालिक निर्बाध पहुंच की समाप्ति तक इस प्रकार की इकाई को डीमड प्रदान किया जाने वाला माना जाएगा।

परंतु कि इस प्रकार की इकाई इन विनियमों के विनियम 17.2 के अधीन जीएनए के लिए आवेदन कर सकती है।

(ख) इन विनियमों के विनियम 17.1 के अधीन कवर की गई इकाइयों को प्रदान की गई मध्यकालिक निर्बाध पहुंच को संबंधित इकाइयों को प्रदान किए जाने के लिए डीमड जीएनए के भाग के रूप में समझा जाएगा जिसके साथ विनियम 17.1 के अधीन इकाई ने पीपीए में प्रवेश किया है।

- 37.9** अल्पकालिक निर्बाध पहुंच :

(क) इन विनियमों के प्रभाव की तारीख पर निर्बाध पहुंच विनियम के अनुसार प्रदान की गई अल्पकालिक निर्बाध पहुंच को इस प्रकार के अल्पकालिक निर्बाध पहुंच की अवधि के लिए प्रदान की गई अत्यावश्यक आवेदन श्रेणी के अधीन टी-जीएनए के रूप में माना जाएगा।

(ख) इन विनियमों के प्रभाव में आने की तारीख को आरएलडीसी या एनएलडीसी के पास अनिर्णित निर्बाध पहुंच विनियमों के अधीन अल्पकालिक निर्बाध पहुंच आवेदन बंद हो जाएंगे।

38. कम करना

- 38.1** जब ग्रिड कोड में उपबंधों के अनुसार पारेषण बाधाओं के कारण या ग्रिड सुरक्षा के हित के कारण के लिए यह पारेषण कॉरिडोर पर विद्युत प्रवाह को कम करने के लिए अनिवार्य हो जाता है, पहले से अनुसूचित संव्यवहारों को निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कम किया जा सकता है :

(क) टी-जीएनए के अधीन संव्यवहारों को जीएनए के अधीन संव्यवहारों से पहले अनुपालन करते हुए कम किया जाएगा।

(ख) टी-जीएनए के अधीन संव्यवहारों में, द्विपक्षीय संव्यवहारों को डेअहेड बाजार के अधीन सामूहिक संव्यवहारों से पहले अनुपालन करते हुए कम किया जाएगा और उसके बाद वास्तविक समय बाजार के अधीन सामूहिक संव्यवहारों द्वारा किया जाएगा।

(ग) टी-जीएनए के अधीन द्विपक्षीय संव्यवहारों के अंदर, कमी टी-जीएनए पर आधारित समानुपातिक आधार पर होगी।

(घ) जीएन के अधीन संव्यवहारों के अंतर्गत, कमी टी-जीएनए पर आधारित समानुपातिक आधार पर होगी।

39. विस्तृत क्रियाविधि

39.1 नोडल एजेंसी अर्थात् सीटीयू इन विनियमों की अधिसूचना के तीन महीनों की अवधि के अंदर स्टैकहोल्डरों से परामर्श के बाद निम्नलिखित फार्मेटों सहित इन विनियमों के अनुसार संयोजकता और जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधि जारी करेगी और उसे केन्द्रीय आयोग की सूचना के लिए प्रस्तुत करेगी:

- (क) नियम 5.8 में यथाउल्लिखित आवेदन द्वारा शपथपत्र;
- (ख) नियम 5.8 में यथाउल्लिखित संयोजकता के लिए आवेदन;
- (ग) विनियम 5.2 के अधीन संयोजकता के उपयोग के लिए आवेदन;
- (घ) विनियम 5.2 के अधीन संयोजकता के प्रयोग के लिए अनुमोदन;
- (ङ) विनियम 7.1 और 7.2 में यथाउल्लिखित संयोजकता का सिद्धांत: प्रदान करने के लिए सूचना;
- (च) विनियम 8.3 के खण्ड (ख) के अधीन ब्योरों की सूचना;
- (छ) विनियम 8 के अधीन संयोजकता बीजी-1, बीजी-2 और बीजी-3 के लिए फार्मेट;
- (ज) विनियम 9 के अधीन संयोजकता अंतिम प्रदान करने के लिए सूचना;
- (झ) विनियम 10.1 के अधीन तकनीकी संयोजकता डाटा;
- (ञ) विनियम 10.2 के अधीन संयोजकता ब्योरो की सूचना;
- (ट) विनियम 10.7 के अधीन संयोजकता करार;
- (ठ) विनियम 11.1 के अधीन कार्यक्षेत्र की अद्यतन स्थिति;
- (ड) विनियम 11.2 के अधीन एटीएस एवं टर्मिनल बेज की अद्यतन स्थिति;
- (ढ) विनियम 11.5 के अधीन टर्मिनल बेज एवं अन्य ब्योरों की आवंटन की स्थिति;
- (ण) विनियम 15.3 के अधीन संयोजकता के अंतरण के लिए आवेदन;
- (त) विनियम 17.1 और 17.2 के अधीन जीएन प्रदान करने के लिए आवेदन;
- (थ) विनियम 22 के अधीन जीएनए अनुदान;
- (द) विनियम 23 के अधीन अन्य जीएन अनुदानग्राही द्वारा जीएनए के प्रयोग के लिए आवेदन ;
- (ध) विनियम 24 के अधीन संयोजकता का अधित्याग;
- (न) विनियम 25 के अधीन जीएन का अधित्याग;

परंतु कि नोडल एजेंसी केन्द्रीय आयोग के अनुमोदन के लिए इन विनियमों के विनियम 4.3, 5, 6, 10.7, 15, 16.2, 18.1, 23, 24, 25 और 37 के संबंध में विस्तृत क्रियाविधि को प्रस्तुत करेगी।

39.2 टी-जीएनए के लिए, एनएलडीसी इन विनियमों की अधिसूचना के तीन महीनों की अवधि के अंदर स्टैकहोल्डरों से परामर्श के बाद निम्नलिखित फार्मेटों सहित टी-जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधि जारी करेगी और उसे केन्द्रीय आयोग की सूचना के लिए प्रस्तुत करेगी:

- (क) विनियम 28.4 के अधीन अग्रिम आवेदन
- (ख) विनियम 28.4 के अधीन अत्यावश्यक आवेदन;
- (ग) विनियम 28.4 के अधीन पावर एक्सचेंज द्वारा आवेदन;
- (घ) विनियम 30 के अधीन अग्रिम आवेदन श्रेणी के अधीन टी-जीएनए का अनुदान;
- (ङ) विनियम 30 के अधीन अत्यावश्यक आवेदन श्रेणी के अधीन टी-जीएनए का अनुदान;
- (च) विनियम 30 के अधीन सामूहिक संव्यवहारों के अधीन टी-जीएनए का अनुदान;
- (छ) विनियम 31 के अधीन स्थायी विलयरेंस ;
- (ज) विनियम 33 के अधीन शेड्यूलिंग अनुरोध;
- (झ) विनियम 34.4(ग) के अधीन पावर एक्सचेंज द्वारा प्रतिदेय पारेषण प्रभार;

परंतु कि एनएलडीसी केन्द्रीय आयोग के अनुमोदन के लिए इन विनियमों के विनियम 36 के संबंध में विस्तृत क्रियाविधि प्रस्तुत करेगा।

40. प्रभारों का भुगतान

40.1 अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए पारेषण प्रभार और हानियां शेयरिंग विनियम के अनुसार इन विनियमों के विनियम 17.1 (iii) के अधीन कवर की गई इकाइयों सहित आईएसटीएस के आहरिती में शेयर किया जाएगा।

- 40.2 एक बारगी जीएनए प्रभार इन विनियमों के विनियम 22.2 के खण्ड (घ) के अनुसार इन विनियमों के विनियम 17.1 के खण्ड (iii) और विनियम 4.1 के अधीन कवर की गई इकाइयों द्वारा प्रतिदेय होगा।
- 40.3 राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र (एकीकृत भार प्रेषण योजना के लिए प्रभार सहित) और राज्य भार प्रेषण केन्द्रों के लिए फीस व प्रभार लागू विनियमों के अनुसार जीएनए अनुदानग्राहियों द्वारा प्रतिदेय होंगे।
- 40.4 विचलन प्रभार डीएसएम विनियमों के अनुसार लागू होंगे।
41. **शिथिल करने की शक्ति**
केन्द्रीय आयोग, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, इन विनियमों के किसी भी उपबंध को स्वप्रेरणा से या किसी प्रभावित पार्टी द्वारा किए गए आवेदन को इन विनियमों के प्रचालन से उद्भूत कठिनाई को दूर करने के लिए शिथिल कर सकेगा।
42. **कठिनाई दूर करने की शक्ति**
यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय आयोग, स्वप्रेरणा से या प्रभावित पार्टी द्वारा किए गए आवेदन पर, ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध जो अधिनियम के उपबंधों या केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनियमों के उपबंधों से असंगत न हों, बना सकेगा जो इन विनियमों के उद्देश्यों को प्रभावी करने में कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक रूप में पाया जाए।
43. **निरसन और व्यावृत्तियां**
- 43.1 इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संयोजकता विनियम 2009 और उसके अधीन निम्नलिखित क्रियाविधियों को निरस्त किया जाता है:
- (क) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 तारीख 31.12.2009 के विनियम 27 के खण्ड (1) के अधीन केन्द्रीय पारेषण प्रयोज्यता की विस्तृत क्रियाविधियां।
- (ख) दिनांक 20.2.2021 के "अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित परियोजना की संयोजकता प्रदान करना" के लिए संशोधित क्रियाविधि सहित दिनांक 15.5.2018 के "अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित परियोजना की संयोजकता प्रदान करना" के लिए विस्तृत क्रियाविधि।
- 43.2 इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, निर्बाध पहुंच विनियम और उसके अधीन जारी की गई निम्नलिखित क्रियाविधियों को निरस्त किया जाता है :
- (क) दिनांक 30.6.2011 अंतरराज्यिक पारेषण (द्विपक्षीय संव्यवहार) में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच अनुसूचीकरण के लिए क्रियाविधि
- (ख) दिनांक 30.6.2011 के अनुसूचीकरण के लिए अंतरराज्यिक पारेषण (सामूहिक संव्यवहार) क्रियाविधि में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच।
- 43.3 इस प्रकार के निरसन होते हुए भी :
- (क) विचलन व्यवस्थापन तंत्र दिनांक 12.8.2014 के माध्यम से चरण के आरंभ होने के अधीन उत्पादन स्टेशनों द्वारा ग्रिड से स्टार्टअप विद्युत प्राप्त करने के लिए क्रियाविधि और स्टार्टअप विद्युत तथा इनफर्म पावर से संबद्ध संयोजकता विनियम 2009 के विनियम 8 के खण्ड (7) प्रवृत्त रहना जारी रहेंगे जब तक कि तदनुसूची उपबंधों को ग्रिड कोड में शामिल नहीं किया जाता और प्रभावी नहीं हो जाते।
- (ख) वास्तविक समय बाजार से संबद्ध विनियम 2 के खण्ड (1) के उपखण्ड (छ-क), विनियम 2 के खण्ड 1 के उपखण्ड (ड-क), विनियम 13 खण्ड 13 (क) और विनियम 20 के खण्ड (1) तथा वास्तविक समय बाजार के माध्यम से सामूहिक समय बाजारों की वास्तविक समय बाजारों के माध्यम सामूहिक संव्यवहारों की शेड्यूलिंग के लिए क्रियाविधि प्रवृत्त रहना जारी रहेंगे जब तक कि तदनुसूची उपबंधों को ग्रिड कोड में शामिल नहीं किया जाता और प्रभावी नहीं हो जाते।
- (ग) बांग्लादेश को निर्यात के लिए दीर्घकालिक पहुंच पारेषण प्रभारों के लिए भुगतान सहित मौजूदा व्यवस्था के अनुसार प्रवृत्त रहना जारी रहेगा।
- (घ) निरसित विनियमों के अधीन निष्पादित सभी करारों को इन विनियमों की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर इन विनियमों के साथ अनुरूप होंगे।
44. **स्वप्रेरणा आदेश और निर्देश जारी करना**
केन्द्रीय आयोग इन विनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित स्वप्रेरणा आदेश और पद्धति निर्देश और आकस्मिक या उसकी आनुषंगिक मामलों, जैसी भी स्थिति हो, को समय समय से जारी करे।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./185/2022-23]

राज्य	दैनिक अधिकतम आईएसटीएस आहरण का वार्षिक औसत (X ₁) (एमडब्ल्यू)	वार्षिक अधिकतम आईएसटीएस आहरण (Y ₁) (एमडब्ल्यू)	A ₁ = 0.5* X ₁ +0.5* Y ₁ (एमडब्ल्यू)	दैनिक अधिकतम आईएसटीएस आहरण का वार्षिक औसत (X ₂) (एमडब्ल्यू)	वार्षिक अधिकतम आईएसटीएस आहरण (Y ₂) (एमडब्ल्यू)	A ₂ = 0.5* X ₂ +0.5* Y ₂ (एमडब्ल्यू)	दैनिक अधिकतम आईएसटीएस आहरण का वार्षिक औसत (X ₃) (एमडब्ल्यू)	वार्षिक अधिकतम आईएसटीएस आहरण (Y ₃) (एमडब्ल्यू)	A ₃ = 0.5* X ₃ +0.5* Y ₃ (एमडब्ल्यू)	जीएनए (एमडब्ल्यू) = A ₁ A ₂ &A ₃ का औसत
अरुणाचल प्रदेश	135	155	145	119	155	137	107	134	120	134
असम	1273	1583	1428	1304	1737	1520	1391	1885	1638	1529
मणिपुर	174	211	193	179	216	198	196	246	221	204
मेघालय	167	319	243	170	327	248	147	298	223	238
मिजोरम	72	115	93	77	110	93	79	119	99	95
नागालैंड	118	153	135	124	144	134	119	149	134	134
त्रिपुरा	225	366	295	222	380	301	261	414	337	311
अन्य क्षेत्र										
एस्सार स्टील	537	747	642	417	703	560	322	649	485	563
रेलवे – एनआर-आईएसटीएस-यूपी\$	130	151	140	130	144	137	92	133	112	130
पीजी-एचवीडीसी-एनआर#	5	9	7	5	11	8	7	11	9	8
पीजी-एचवीडीसी-डब्ल्यूआर#	5	4	5	3	4	4	4	7	5	5
पीजी-एचवीडीसी-ईआर#	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2
पीजी-एचवीडीसी-एनईआर#	1	1.4	1.2	0.9	1.4	1.2	0.9	1.4	1.1	1.2
बीएआरसी	5	7	6	5	6	5	4	6	5	5
कुल	81541	124464	102998	85066	129272	107166	89822	138289	114054	106578

एचवीडीसी_एसआर के लिए जीएनए, 6.15 मेगावाट (उपर्युक्त सारणी में शामिल अन्य इकाइयों के अतिरिक्त) होगी

स्पष्टीकरण :

*डीवीसी द्वारा आहरण मेजिया थर्मल पावर स्टेशन #7एवं8,दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन #1&2, कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन#1&2, बोकारों थर्मल पावर स्टेशन A#1, रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन #1&2, से अंतर्क्षेपण को शामिल करते हुए विचार किया जाता है जो सीटीयू प्रणाली से संबद्ध है।

** हरियाणा के लिए जीएनए 1495 मेगावाट को शामिल न करने के बाद 5418 मेगावाट होगा। 1495 मेगावाट के लिए पारेषण प्रभार शेयरिंग विनियमों के अनुसार मैसर्स अदानी पावर (मुन्द्रा) लिमिटेड द्वारा अदा किया जाएगा।

शेयरिंग विनियमों के अधीन हरियाणा के पारेषण विचलन के संगणना के प्रयोजन के लिए, 1495 मेगावाट के अंदर मैसर्स अदानी पावर (मुन्द्रा) लिमिटेड से हरियाणा द्वारा अनुसूची को शामिल नहीं किया जाएगा।

एचवीडीसी सबस्टेशन में आईएसटीएस आहरणों को प्रादेशिक स्तर पर समन्वित किया गया है और तदनुसार जीएन प्रादेशिक स्तर पर प्रस्तावित किया गया है।

\$ ओरइया एवं दादरी में आईएसटीएस इंटरफेस में रेलवे (प्रादेशिक इकाई के रूप में माना गया) द्वारा आईएसटीएस आहरण जीएनए आहरण पर जीएनए के लिए विचार किया गया है।

नोट : बांग्लादेश को निर्यात के लिए जीएनए प्रदान की गई दीर्घकालिक पहुंच के अनुरूप 782 मेगावाट के बराबर होगा।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

New Delhi, the 7th June, 2022

PREAMBLE

No. L-1/261/2021/CERC.—Whereas it is necessary to provide for a regulatory framework to facilitate non-discriminatory open access to licensees or generating companies or consumers for use of inter-State transmission system through General Network Access and to consolidate the regulations on the subject, it is hereby specified as under:

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 178 and clause (ze) of sub-section (2) of Section 178 read with clause (47) of Section 2, clause (d) of sub-section (2) of Section 38, clause (c) of Section 40 and clause (c) of sub-section (1) of Section 79 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:

Chapter 1**Preliminary****1. Short Title and Commencement**

- 1.1.** These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022.
- 1.2.** These regulations shall come into force on such date as the Central Commission may notify.
Provided that different dates may be appointed for commencement of different regulations.

2. Definition**2.1.** In these regulations, unless the context otherwise requires:

- (a) “Act” means the Electricity Act, 2003;
- (b) “Associated Transmission System” or “ATS” for Applicant(s) for Connectivity means the ATS as determined in accordance with Regulation 6 of these regulations;
- (c) “Bilateral Transaction” means a transaction, other than collective transaction, for exchange of power between a specified buyer and a specified seller directly or through a trading licensee or at a Power Exchange;
- (d) “CEA Registry” means the Registry for maintaining database of generating stations as specified in the CEA Technical Standards for Connectivity ;
- (e) “CEA Technical Standards for Connectivity” means the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007;
- (f) “CEA Technical Standards for Construction” means the Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulations, 2010;
- (g) “Central Commission” means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;
- (h) “Central Transmission Utility” or “CTU” shall have the same meaning as defined in sub-section 10 of Section 2 of the Act;
- (i) “Collective Transactions” means the Collective Transactions as defined in the Power Market Regulations;
- (j) “Communication Regulations” means the Central Electricity Regulatory Commission (Communication System for inter-State transmission of electricity) Regulations, 2017;
- (k) “Connectivity” means the state of getting connected to the inter-State transmission system in accordance with these regulations;
- (l) “Connectivity Regulations, 2009” means the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009;

- (m) “Cross Border Regulations” means the Central Electricity Regulatory Commission (Cross Border Trade of Electricity) Regulations, 2019;
- (n) “day” means the day starting at 00.00 hours and ending at 24.00 hours;
- (o) “dedicated transmission lines” shall have the same meaning as defined in sub-section (16) of Section 2 of the Act;
- (p) “DSM Regulations” means the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters), Regulations, 2014;
- (q) “Energy Storage System” or “ESS” in relation to the electricity system, means a facility where electrical energy is converted into any form of energy which can be stored, and subsequently reconverted into electrical energy and injected back into the grid;
- (r) “General Network Access” or “GNA” means open access to the ISTS granted under these regulations;
- (s) “General Network Access Grantee” or “GNA Grantee” means a person who has been granted GNA or is deemed to have been granted GNA under these regulations;
- (t) “Grid Code” means the Grid Code specified by the Central Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act;
- (u) “inter-State transmission system” or “ISTS” means inter-State transmission system as defined in sub-section (36) of Section 2 of the Act;
- (v) “intra-State entity” means a person whose metering is done either by the State Transmission Utility or the Distribution Licensee, as the case may be, and energy accounting is done by the State Load Despatch Centre or any other agency so authorized;
- (w) “Interface Meter” shall have the same meaning as defined in the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006;
- (x) “Lead ESS” means
- (i) an ESS which is authorized by one or more ESS(s) or generating station(s) through an agreement for applying for Connectivity to the ISTS at a single inter-connection point: or
- (ii) an ESS already having Connectivity to the ISTS, and through whose electrical system, Connectivity is being sought by one or more ESS(s) or generating station(s) through an agreement.
- (y) “Lead Generator” means,
- (i) a generating station which is authorized by one or more generating station(s) or ESS(s) through an agreement for applying for Connectivity to the ISTS at a single connection point: or
- (ii) a generating station already having Connectivity to the ISTS, and through whose electrical system, Connectivity is being sought by one or more generating station(s) or ESS(s) through an agreement.
- (z) “National Load Despatch Centre” or “NLDC” means the National Load Despatch Centre (NLDC) established under sub-section (1) of Section 26 of the Act;
- (aa) “National Open Access Registry” or “NOAR” means the Registry as specified under Regulation 27 of these regulations;
- (ab) “Nodal Agency” means
- (i) the agency designated for Connectivity or GNA to the ISTS, which shall be the Central Transmission Utility (CTU), for the purpose of Regulations 3 to 25 and Regulation 37 of these regulations;
- (ii) the agency designated for T-GNA for bilateral transactions which shall be RLDC of the region where point of drawal is located, for the purpose of Regulations 26 to 36 of these regulations;
- (iii) the agency designated for T-GNA for collective transactions which shall be NLDC, for the purpose of Regulations 26 to 36 of these regulations;
- (iv) the agency for implementation and operation of NOAR which shall be NLDC, for the purpose of Regulation 27 of these regulations;
- (ac) “Open Access Regulations” means the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008;
- (ad) “Power Market Regulations” means the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021;
- (ae) “Regional Entity” shall have the same meaning as defined in the Grid Code;

- (af) “Regional Load Despatch Centre” or “RLDC” means the Regional Load Despatch Centre established under sub-section (1) of Section 27 of the Act;
 - (ag) “Renewable Energy Generating Station” or “REGS” means a generating station based on a renewable source of energy with or without Energy Storage System and shall include Renewable Hybrid Generating Station;
 - (ah) “Renewable Hybrid Generating Station” or “RHGS” means a generating station based on hybrid of two or more renewable source(s) of energy with or without Energy Storage System, connected at the same inter-connection point;
 - (ai) “Renewable Power Park Developer” means an entity authorised by the Central Government or a State Government as Power Park developer for Renewable Energy Generating Station(s);
 - (aj) “RLDC Fees and Charges Regulations” means Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2019;
 - (ak) “Sharing Regulations” means Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020;
 - (al) “Standing Clearance” means the clearance issued by concerned State Load Despatch Centre as specified in Regulation 31 of these regulations;
 - (am) “State Transmission Utility” or “STU” shall have the same meaning as defined in sub-section (67) of Section 2 of the Act;
 - (an) “Temporary GNA” or “T-GNA” means open access to the ISTS granted in terms of Chapter 6 of these regulations;
 - (ao) “terminal bay” means the bay at ISTS sub-station where dedicated transmission lines of a Connectivity grantee terminate;
 - (ap) “T-GNA Grantee” means a person which has been granted T-GNA under these regulations.
- 2.2.** Words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act or any other regulations specified by the Central Commission shall, unless the context otherwise requires, have the meanings assigned to them under the Act or other regulations specified by the Central Commission, as the case may be.
- 2.3.** Reference to any Acts, Rules and Regulations shall include amendments or consolidation or re-enactment thereof.

Chapter 2

General Provisions

3. Application for Grant of Connectivity and GNA

- 3.1.** Applications for grant of Connectivity or grant of GNA, as the case may be, shall be made online to the Nodal Agency and shall be digitally signed by the Applicant.
- 3.2.** Each application for grant of Connectivity shall be accompanied by an application fee of Rs.5 lakh along with applicable taxes.
- 3.3.** Each application for grant of GNA shall be accompanied by an application fee of Rs.5 lakh along with applicable taxes.

Provided that no application fee shall be payable by the State Transmission Utilities while applying for GNA.

- 3.4.** An auto-generated acknowledgement for receipt of application bearing date and time of application shall be issued to the Applicant and a copy thereof shall be displayed on the website of the Nodal Agency.
- 3.5.** After scrutiny, the Nodal Agency shall intimate the deficiencies, if any, in the application for grant of Connectivity or grant of GNA, to the Applicant within one week of the receipt of application, in order of date and time of receipt of application. The Applicant shall rectify the deficiency within one week thereafter, failing which the application shall be closed and 20% of the application fee shall be forfeited. Balance 80% of the application fee shall be refunded by the Nodal Agency to the Applicant within 15 days of closure of the application.
- 3.6.** All applications for grant of Connectivity received from the Applicants covered under Regulation 4.1 of these regulations, during the month by 2400 hours of the last day of the month, shall be processed together. The inter-se priority of applications shall be accorded as per the date and time of receipt of the application, wherever required.

- 3.7. If any application for grant of Connectivity or grant of GNA is withdrawn before the in-principle grant of Connectivity in terms of Regulation 7 of these regulations or grant of GNA in terms of Regulation 22 of these regulations, 50% of the application fee shall be forfeited. Balance 50% of the application fee shall be refunded by the Nodal Agency to the Applicant within 15 days of withdrawal of the application:

Provided that if any application is withdrawn after the in-principle grant of Connectivity or grant of GNA, such application shall be closed by the Nodal Agency within a period of 15 days from the date of withdrawal and 100% of the application fee shall be forfeited.

Chapter 3

Connectivity

4. Eligibility for Connectivity to ISTS

- 4.1. The following entities shall be eligible as Applicants to apply for grant of Connectivity or for enhancement of the quantum of Connectivity:

- (a) Generating station(s), including REGS(s), with or without ESS, with an installed capacity of 50 MW and above individually or with an aggregate installed capacity of 50 MW and above through a Lead Generator or a Lead ESS;
- (b) Captive generating plant with capacity for injection to ISTS of 50 MW and above;
- (c) Standalone ESS with an installed capacity of 50 MW and above individually or with an aggregate installed capacity of 50 MW and above through a Lead ESS or Lead Generator;
- (d) Renewable Power Park Developer;
- (e) REGS or standalone ESS with an installed capacity of 5 MW and above applying for grant of Connectivity to ISTS through the electrical system of a generating station already having Connectivity to ISTS:

Provided that such an entity applying for grant of Connectivity to ISTS has an agreement with the said generating station to share its electrical system and dedicated transmission lines, if any.

- 4.2. Notwithstanding anything contained in Regulation 4.1, the entities having Connectivity shall be eligible, on payment of application fees, to apply for enhancement of Connectivity of less than 50 MW subject to available capacity in transmission system.
- 4.3. A generating station, already connected to or intending to connect to intra-State transmission system shall also be eligible as an Applicant for Connectivity.

5. Application for Grant of Connectivity

- 5.1. An Applicant, which is a generating station including REGS, shall apply for grant of Connectivity to the Nodal Agency for the quantum equal to the installed capacity of the generating station:

Provided that if such an Applicant already has Connectivity to intra-State transmission system for part of its installed capacity, it may apply for Connectivity to the ISTS for a quantum not exceeding the balance of the installed capacity;

Provided further that if such an Applicant is a Renewable Hybrid Generating Station or REGS with storage, it may apply for grant of Connectivity for a quantum less than or equal to the installed capacity.

- 5.2. Notwithstanding anything contained in Regulation 5.1, a generating station or ESS, with prior approval of CTU, shall be eligible to add, within the quantum of Connectivity granted to it, additional generation capacity, including ESS.;

Provided that for such additional generation capacity, the said generating station shall be responsible for compliance with the Grid Code and other regulations of the Central Commission.

- 5.3. An Applicant, which is a captive generating plant, shall apply for grant of Connectivity for a quantum of its proposed maximum injection to ISTS.
- 5.4. An Applicant, which is a standalone ESS, shall apply for grant of Connectivity for a quantum of its proposed maximum injection to ISTS or proposed maximum drawal from ISTS, whichever is higher.
- 5.5. An Applicant, which is a Renewable Power Park Developer, shall apply for grant of Connectivity for the quantum for which it has been authorised by the Central Government or a State Government as a Renewable Power Park developer.
- 5.6. An Applicant may apply for grant of Connectivity at (i) a terminal bay of an ISTS sub-station already allocated to another Connectivity grantee or (ii) switchyard of a generating station having Connectivity to ISTS, with an agreement duly signed between the Applicant and the said Connectivity grantee or the

generating station having Connectivity to ISTS, as the case may be, for sharing the terminal bay or the switchyard and the dedicated transmission lines, if any. The applicable Connectivity Bank Guarantee as per Regulation 8 of these regulations shall be submitted by such Applicant.

- 5.7. Two or more Applicants may apply for grant of Connectivity at a common terminal bay with an agreement duly signed by such Applicants for sharing the dedicated transmission lines and the terminal bay(s). The applicable Connectivity Bank Guarantee as per Regulation 8 of these regulations shall be submitted by each such Applicant.
- 5.8. The application for grant of Connectivity shall contain, inter alia, the following details, as applicable, duly supported with relevant affidavit, as stipulated in the Detailed Procedure for Connectivity and GNA issued in accordance with Regulation 39.1:
- (i) Geographical location and installed capacity under Regulation 4.1 of these regulations;
 - (ii) Maximum quantum of power to be interchanged with ISTS and preferred point of connection to ISTS;
 - (iii) Date from which Connectivity is being sought;
 - (iv) Bank generated proof of digital payment for application fee;
 - (v) In case of a Company, Board Resolution authorizing a designated person for filing of application for grant of Connectivity;
 - (vi) Registration Number along with certificate issued by the CEA Registry;
 - (vii) In case of Renewable Power Park Developer, authorisation by the Central Government or the State Government, as applicable, to undertake infrastructural activities including arrangement for Connectivity on behalf of solar power generators or wind power generators;
 - (viii) In case of application through Lead generator or Lead ESS, as the case may be, the Agreement for sharing the dedicated transmission lines and terminal bay and the consent of the Lead Generator or Lead ESS, as the case may be, to be responsible for compliance of the provisions of the Grid Code and other regulations of the Central Commission;
 - (ix) In case of the Applicant covered under Regulation 5.6 of these regulations, the Agreement between the Applicant and the Connectivity grantee or the generating station having Connectivity to ISTS, for sharing the terminal bay or the switchyard, as the case may be, and the dedicated transmission lines, if any.
 - (x) In case of Applicant covered under Regulation 5.7 of these regulations, the Agreement between the Applicant(s) for sharing the terminal bay and the dedicated transmission lines, if any.

6. Interconnection Study by the Nodal Agency and ATS

- 6.1. On receipt of applications for grant of Connectivity, the Nodal Agency shall carry out interconnection study as specified in the CEA Technical Standards for Connectivity along with requirement of augmentation to the existing ISTS, if any, for enabling transfer of power over ISTS under General Network Access:

Provided that the existing ISTS for the purpose of this Regulation shall include transmission system which has been awarded for implementation, as on the last day of the month in which application for grant of Connectivity complete in all respects, has been received:

Provided further that if any additional transmission system gets awarded for implementation before completion of interconnection study, such additional transmission system shall also be considered as existing ISTS.

- 6.2. Of the augmentation requirement as identified under Regulation 6.1 of these regulations, augmentation required for immediate evacuation of power of the Applicant (s), excluding terminal bay(s), shall be considered as the Associated Transmission System (ATS) for the Applicant(s).

7. In-principle Grant of Connectivity by the Nodal Agency

- 7.1. In the event the Nodal Agency after the interconnection study undertaken in accordance with Regulation 6.1 of these regulations, determines that no ATS is required, the Nodal Agency shall intimate in-principle grant of Connectivity to the Applicant within 30 days from the last day of the month in which the application had been received along with details such as terminal bay(s), already available or to be developed under ISTS through CTU, and minimum design features for dedicated transmission lines to be constructed by the Applicant.
- 7.2. In case the Nodal Agency, after the interconnection study undertaken in accordance with Regulation 6.1 of these regulations, determines that ATS is required, the Nodal Agency shall intimate in-principle grant of Connectivity to the Applicant within 60 days from the last day of the month in which the application had been received:

Provided that intimation for in-principle grant of Connectivity shall mention the ATS and terminal bay(s), estimated cost of such ATS and terminal bay(s), minimum design features for dedicated transmission lines to be constructed by the Applicant and the likely date of start of Connectivity:

Provided further that the firm date of start of Connectivity shall be confirmed at the time of final grant of Connectivity.

8. Connectivity Bank Guarantee

8.1. Connectivity Bank Guarantee shall be submitted by an Applicant in three parts, Conn-BG1 amounting to Rs. 50 lakhs, and Conn-BG2 and Conn-BG3, as provided in Regulations 8.2 and 8.3 of these regulations.

8.2. For cases covered under Regulation 7.1 of these regulations, Conn-BG2 and Conn-BG3, shall be furnished as under:

(a) Conn-BG2 towards terminal bay(s) shall be furnished on the basis of number of terminal bay(s) allocated as under:

Voltage level of allocated terminal bay	Conn-BG2 (per terminal bay)
132 kV	Rs. 2 crore
220/230 kV	Rs. 3 crore
400 kV	Rs. 6 crore
765 kV	Rs. 12 crore

Provided that if the entity (i) proposes to construct the terminal bay(s) on its own under Regulation 12.4 of these regulations, or (ii) seeks Connectivity at a terminal bay constructed or being constructed by another Connectivity grantee, or (iii) seeks Connectivity through electrical system or switchyard of a generating station, no Conn-BG2 is required to be furnished.

(b) Conn-BG3 @ Rs. 2 lakh/MW, for the existing ISTS, shall be furnished by the entity.

(c) Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3, as applicable, shall be furnished within 1 (one) month of intimation of in-principle grant of Connectivity, failing which the application for Connectivity shall be closed and application fee shall be forfeited.

8.3. For cases covered under Regulation 7.2 of these regulations, the following procedure shall be followed:

(a) The entity that has been intimated in-principle grant of Connectivity, shall submit its consent for execution of ATS and terminal bay(s), as intimated under Regulation 7.2 of these regulations, along with Conn-BG1, within one month of intimation of in-principle grant of Connectivity, failing which the application for Connectivity shall be closed and application fee shall be forfeited.

(b) The Nodal Agency, within 6 (six) months of furnishing of Conn-BG1 as per clause (a) of this Regulation, shall intimate to such entity, (i) amount of Conn-BG2 to be furnished towards ATS and terminal bay(s), which shall not exceed the estimated cost intimated under Regulation 7.2 of these regulations, (ii) the timeline for completion of ATS and terminal bay(s), and (iii) firm date of start of Connectivity:

Provided that if such ATS and terminal bay(s) are planned for more than one entity, Conn-BG2 shall be furnished in proportion to the quantum of Connectivity applied for by such entities:

(c) In the event, the Nodal Agency does not intimate the details as per clause (b) of this Regulation within 6 (six) months, the Nodal Agency shall furnish the reasons for such non-intimation to the entity with a copy to the Central Commission within one month of expiry of such period of six months with a probable date by which the details of Conn-BG2 and such timeline shall be furnished:

Provided that in the event of non-intimation by Nodal Agency within six months, the entity shall have the option of withdrawing the application for Connectivity and in such a case, the Conn-BG1 shall be returned within one month of exercising option of withdrawal by the entity and application shall be closed.

(d) The amount for which Conn-BG2 is to be furnished as per clause (b) of this Regulation, shall be equal to estimated cost of ATS and terminal bay(s) and the timeline for completion of ATS and terminal bay(s) shall be based on the scheduled date of commercial operation for such ATS and terminal bay(s).

(e) The entity that has been intimated in-principle grant of Connectivity shall furnish Conn-BG2 within 1 (one) month of intimation by the Nodal Agency under sub-clause (b) of this Regulation, failing which application for Connectivity shall be closed, Conn-BG1 shall be encashed and application fee shall be forfeited.

- 8.4.** Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 shall be issued by any scheduled commercial bank recognized by the Reserve Bank of India, in favour of CTU, as per the Format stipulated in the Detailed Procedure for Connectivity and GNA issued in accordance with Regulation 39.1.

9. Final Grant of Connectivity by the Nodal Agency

- 9.1.** Within 15 days of receipt of Conn-BG2 and Conn-BG3, as applicable, the Nodal Agency shall intimate the final grant of Connectivity to the entity that has been intimated in-principle grant of Connectivity. The intimation shall contain, inter alia, the following:

- (a) Name of the ISTS sub-station or switchyard of the generating station, as the case may be, where Connectivity is granted.
- (b) In case of an existing ISTS sub-station, the terminal bay location along with Single Line Diagram.
- (c) In case of an ISTS sub-station under-construction, the coordinates and scheduled date of commercial operation of such ISTS sub-station, terminal bay location along with Single Line Diagram.
- (d) In case of a proposed ISTS sub-station, the tentative coordinates and the scheduled date of commercial operation of such ISTS sub-station.
- (e) The broad design features of the dedicated transmission lines including voltage level.

- 9.2.** Where an Applicant has applied for Connectivity at the terminal bay already allocated to another Connectivity grantee or where two or more Applicants have applied for Connectivity at a common terminal bay, final grant of Connectivity as intimated under Regulation 9.1 of these regulations shall be subject to availability of capacity in the dedicated transmission lines.

10. Connectivity Agreement

- 10.1.** An entity which has been intimated the final grant of Connectivity, shall furnish technical connection data, inter alia, generator data for fault studies, dynamic simulation data, details of data and voice communication, to the Nodal Agency as stipulated in the Detailed Procedure for Connectivity and GNA issued in accordance with Regulation 39.1:

Provided that in case the entity is not in possession of the final technical connection data, it may furnish tentative data to form part of the Connectivity Agreement and furnish the final data at least 1 (one) year prior to the physical connection. Such final technical connection data shall be appended with the Connectivity Agreement.

- 10.2.** The Nodal Agency shall intimate the connection details, inter alia, details of protection equipment, system recording, SCADA and communication equipment, within a period of one month from the date of receipt of technical connection data under Regulation 10.1.

- 10.3.** Within 30 days of the intimation of connection details by the Nodal Agency under Regulation 10.2, Connectivity Agreement shall be signed between the Nodal Agency and the entity which has been intimated final grant of Connectivity. On signing of the Connectivity Agreement such entity shall become the Connectivity grantee.

- 10.4.** The technical connection data indicated at Regulation 10.1 and connection details indicated at Regulation 10.2 shall form part of the Connectivity Agreement.

- 10.5.** Where Connectivity is granted at a proposed ISTS sub-station, the Nodal Agency, shall confirm the final coordinates within 2 months of signing of the Connectivity Agreement and such coordinates shall not be outside the radius of 5 km of the tentative coordinates already intimated.

- 10.6.** In case of failure to sign the Connectivity Agreement by the entity that has been intimated final grant of Connectivity, as required under Regulation 10.3, the Nodal Agency may extend the time for signing the Connectivity Agreement for a maximum period of 30 days, failing which the final grant of Connectivity shall be revoked by the Nodal Agency under intimation to the Applicant, the Conn-BG1, Conn-BG2 shall be encashed, and Conn-BG3 shall be returned.

Provided that where no construction of ATS or terminal bays has been awarded for implementation, Conn-BG2 shall be returned within a month of such revocation.

- 10.7.** The Connectivity Agreement, inter alia, shall include the following and other details as may be stipulated in the 'Detailed Procedure for Connectivity and GNA' issued in accordance with Regulation 39.1:

- (a) Details of the allocated terminal bay(s) at ISTS sub-station subject to provisions of Regulation 10.5 of these regulations;
- (b) Start date of Connectivity; and

(c) Provision that in case of non-payment of transmission charges under Regulation 13 of the Sharing Regulations for more than 3 months from the due date, the same may be recovered by encashing Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3, as required as per provision of Regulation 16.3 of these regulations.

10.8. The entity, may, for drawal of Start-up power or injection of infirm power, identify elements in the ATS and seek COD of those elements prior to the Start date of Connectivity as agreed in the Connectivity Agreement. A separate agreement shall be signed between the Nodal Agency and the entity for the same covering the commercial terms and conditions. Such entity shall be liable to pay transmission charges as per Regulation 13 of the Sharing Regulations.

10.9. Connectivity grantee shall submit a copy of the signed Connectivity Agreement to the RLDC, in whose control area it is located.

10.10. Connectivity grantee shall comply with the provisions of the CEA Technical Standards for Connectivity.

11. Monitoring by the Nodal Agency

11.1. Connectivity grantee shall update the status of implementation of work under its scope, including dedicated transmission lines, every quarter to the Nodal Agency who shall update the same on its website.

11.2. The Nodal Agency shall update the status of implementation of the ATS and terminal bays in respect of all Connectivity grantees, every quarter, on its website.

11.3. The Nodal Agency shall review and take corrective action based on the status of implementation of work under the scope of the Connectivity grantee as submitted under Regulation 11.1 and status of implementation of the ATS and terminal bay(s) as updated under Regulation 11.2.

11.4. For optimal utilisation of transmission system, the Nodal Agency with consent of the concerned Connectivity grantee(s), may rearrange the Connectivity across different terminal bay(s) of the same ISTS sub-station.

11.5. The Nodal Agency shall display the updated status of allocation of terminal bay(s), inter alia, quantum of Connectivity granted bay-wise and balance quantum for which Connectivity can be granted bay-wise, at existing or proposed ISTS sub-stations on its website and the same shall be updated on monthly basis.

12. Dedicated Transmission Lines and Bay(s)

12.1. In case Connectivity grantee is a generating station or a captive generating plant or a standalone ESS, the dedicated transmission lines shall be established, operated and maintained by such Connectivity grantee.

12.2. In case Connectivity grantee is a Renewable Power Park Developer, the dedicated transmission lines shall be established, operated and maintained by such Renewable Power Park Developer.

12.3. The dedicated transmission lines shall be constructed and maintained in accordance with CEA Technical Standards for Construction.

12.4. The terminal bay(s) at the ISTS sub-station shall be under the scope of the transmission licensee owning the ISTS sub-station:

Provided that the Connectivity grantee may, if it so chooses, construct and maintain the terminal bay(s) at its own cost, by entering into an agreement with the transmission licensee owning the ISTS sub-station, subject to prior approval of the Nodal Agency:

Provided further that in case the Connectivity grantee chooses to construct the terminal bay(s) at its own cost, no cost towards such terminal bay(s) shall be claimed by the Connectivity grantee in the event of revocation of its Connectivity:

Provided also that in such case of revocation of Connectivity, the Connectivity grantee shall dismantle the terminal bay within 3 months failing which the CTU may utilise the bay for some other Connectivity applicant.

12.5. In case of an entity covered under Regulation 17.1(iii), the line to connect such an entity to the ISTS and necessary augmentation for providing connection to the ISTS, shall be constructed and maintained by a licensee at the cost of such entity:

13. Injection of Infirm Power and drawal of Start-up Power

Connectivity grantee shall be eligible to inject infirm power and draw start-up power in accordance with the provisions of the Grid Code.

14. Interface Meters

14.1. Interface meters shall be installed by the Central Transmission Utility for and at the cost of the Connectivity grantee and the GNA grantee covered under Regulation 17.1(iii) of these regulations.

- 14.2.** Interface meters as installed under Regulation 14.1, shall be open for inspection by any person authorized by the Central Transmission Utility or the Regional Load Despatch Centre in whose control area it is located.
- 15. Transfer of Connectivity**
- 15.1.** A Connectivity grantee shall not transfer, assign or pledge its Connectivity and the associated rights and obligations, either in full or in parts, to any person except as provided under Regulations 15.2 and 15.3 of these regulations.
- Provided that Connectivity granted to a parent company may be utilised by its subsidiary companies and Connectivity granted to a subsidiary may be utilised by its parent company.
- 15.2.** Where the Connectivity grantee is an REGS, it may split its Connectivity in parts, after COD of such part, subject to the minimum capacity in accordance with Regulation 4.1 of these regulations, and submit the installed capacity of each part to the Nodal Agency. In such an event, the Connectivity shall be deemed to have been split in proportion to installed capacity of each such part:
- Provided that all liabilities and obligations in accordance with these regulations shall continue to remain with the Connectivity grantee for each part.
- 15.3.** Any person which acquires 51% or more shareholding of the company or its subsidiary or affiliate company owning REGS or part thereof in terms of Regulation 15.2, may after COD of such split part, apply to the Nodal Agency for transfer of Connectivity. The Nodal Agency shall issue revised grant of Connectivity on submission of applicable Conn-BG2 and Conn-BG3 by such person. The original grantee may substitute its Conn-BG2 and Conn-BG3 with revised Conn-BG2 and Conn-BG3, to be intimated by CTU. On issue of revised grant of Connectivity, such person shall enter into a fresh Connectivity Agreement and be responsible for compliance with all applicable regulations.
- Provided that all liabilities and obligations in accordance with these regulations, for the Connectivity not transferred, shall continue to remain with the original Connectivity grantee.
- 16. Treatment of Connectivity Bank Guarantee**
- 16.1.** Conn-BG1 shall be returned within 30 days of declaration of commercial operation of full capacity by the Connectivity grantee.
- 16.2.** Conn-BG2 and Conn-BG3 shall be returned in five equal parts over five years corresponding to the generation capacity which has been declared under commercial operation by the Connectivity grantee.
- 16.3.** In case of non-payment of transmission charges under Regulation 13 of the Sharing Regulations for more than 3 months from the due date, such transmission charges shall be recovered by encashing Conn-BG1 (if subsisting), Conn-BG2 and Conn-BG3, as required. Connectivity shall be revoked from the date when Conn-BG2 and Conn-BG3, as available is not sufficient to cover transmission charges under Regulation 13 of the Sharing Regulations.
- 16.4.** The proceeds of encashed Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 in terms of Regulation 16.3, shall be adjusted in Monthly Transmission charges under the Sharing Regulations.

CHAPTER 4

General Network Access (GNA)

- 17. Eligibility for GNA**
- 17.1.** The following entities shall be eligible as Applicants to apply for grant of GNA or for enhancement of the quantum of GNA:
- (i) State Transmission Utility on behalf of intra-State entities including distribution licensees;
 - (ii) A drawee entity connected to intra-State transmission system;
 - (iii) A distribution licensee or a Bulk consumer, seeking to connect to ISTS, directly, with a load of 50 MW and above;
 - (iv) Trading licensees engaged in cross border trade of electricity in terms of the Cross Border Regulations;
 - (v) Transmission licensee connected to ISTS for drawal of auxiliary power.
- 17.2.** Entities not covered under Regulation 17.1, which as on the date of coming into force of these regulations, are connected to the ISTS or for whom Connectivity granted under Connectivity Regulations, 2009 has become effective, shall be eligible for applying for grant of GNA to the ISTS for the quantum equal to the quantum of Connectivity, which shall be processed as per Regulation 37.6 of these regulations.

17.3. The Applicant covered under Regulation 17.1(iii) of these regulations, may seek to connect at a terminal bay of an ISTS sub-station already allocated to another such entity under regulation 17.1(iii), with an agreement duly signed between the Applicant and the said entity for sharing the terminal bay.

18. Deemed Grant of GNA

18.1. On the date, these regulations come into force,

(a) GNA for a (i) State including intra-State entity(ies) and (ii) other drawee entities, shall be the average of 'A' for the financial years 2018-19, 2019-20 and 2020-21:

where,

'A' = {0.5 X maximum ISTS drawal in a time block during the year} + {0.5 X [average of (maximum ISTS drawal in a time block in a day) during the year]}

(b) GNA computed as per clause (a) of this Regulation is given at Annexure-I to these regulations.

(c) GNA for a State including intra-State entity(ies) as per clause (b) of this Regulation shall be deemed to have been granted to STU of that State on behalf of such intra-State entities and shall remain valid until relinquished in accordance with these regulations.

(d) GNA deemed to have been granted to STU as per clause (c) of this Regulation, shall be published by the Nodal Agency within 30 days of notification of these regulations, as (i) GNA within the region and (ii) GNA from outside the region, in proportion to contracts, within the region or outside the region, under Long Term Access and Medium Term Open Access obtained in terms of the Connectivity Regulations, 2009.

(e) GNA deemed to have been granted to STU under clause(d) of this Regulation, shall be segregated for each intra-State entity, including distribution licensee, by the respective SLDC, and intimated to STU, Nodal Agency and NLDC within 1 month of publication of details by the Nodal Agency under clause (d) of this Regulation.

Provided that in case an SLDC fails to provide such segregation, the pro rata GNA shall be allocated to each intra-State entity in the ratio of their Long Term Access and Medium Term Open Access, as included in the first bill raised in the previous month under the Sharing Regulations.

(f) Entity(ies) covered under Regulation 4.1 of these regulations where Long Term Access granted to such entity or to its identified buyer, under the Connectivity Regulations, 2009 has become effective, shall be deemed to have been granted GNA equal to the quantum of such Long term Access, under these regulations.

(g) The Central generating stations which are connected to the grid and have not been granted Long term Access under the Connectivity Regulations, 2009 but whose power is allocated by the Ministry of Power, shall be deemed to have been granted GNA equal to the installed capacity of such generating station(s).

(h) Long Term Access granted to a Trading licensee, other than for cross border trade of electricity in terms of the Cross Border Regulations, shall be part of the GNA deemed to have been granted to the concerned grid connected entity(ies) under clauses (a) to (f) of this Regulation:

Provided that settlement of transmission charges inter-se between such trading licensee and the concerned grid connected entity(ies) shall be made in terms of the existing agreement between them or as may be mutually agreed.

(i) Long term Access granted to a Trading licensee engaged in cross border trade of electricity in terms of the Cross Border Regulations shall be the GNA deemed to have been granted to such trading license under these regulations for the period of such Long term Access.

18.2. Details of entities deemed to have been granted GNA under these regulations shall be published by the Nodal Agency on its website within 1 (one) month of coming into force of these regulations.

19. Application for Grant of additional GNA by STU

19.1. Within 3 months of coming into force of these regulations, STU may, on behalf of intra-State entities including distribution licensees, apply for additional GNA over and above the GNA deemed to have been granted under clauses (a) to (e) of Regulation 18.1 of these regulations (with entity-wise segregation) indicating GNA within the region and from outside the region.

19.2. STU, on behalf of intra-State entities including distribution licensees, may apply, once in a financial year (starting from the financial year following the financial year in which these regulations have become effective) by the month of September each year, for additional GNA for the next 3 (three) financial years (with entity-wise segregation) indicating GNA within the region and from outside the region, as stipulated in the 'Detailed Procedure for Connectivity and GNA', issued in accordance with Regulation 39.1:

Provided that such additional GNA quantum to be added in each of the next three financial years shall be applicable from a specified date of the respective financial year.

20. Application for Grant of GNA by entities other than STU

- 20.1.** Entities covered under clauses (ii) and (iii) of Regulation 17.1 of these regulations, may apply for GNA indicating bifurcation of GNA within the region and outside the region, from a specified date, for a specified quantum, and for a specified period of more than eleven months.

Provided that the entities covered under clause (ii) of Regulation 17.1 of these regulations shall furnish consent of the concerned STU in terms of availability of transmission capacity in intra-State transmission system for such quantum and period of GNA.

- 20.2.** Entities covered under Regulation 17.1(iv) of these regulations, may apply separately for GNA for injection into Indian grid or drawal from Indian grid, for a specified quantum, and for a specified period of more than eleven months.
- 20.3.** Entities covered under clause (v) of Regulation 17.1 of these regulations, may apply for GNA from a specified date, for a specified quantum, and for a specified period of more than eleven months.

21. System Study by the Nodal Agency

The Nodal Agency, based on the applications received for grant of additional GNA, shall carry out system study in accordance with the Rules and Regulations made under the Act and the CEA Transmission Planning Criteria specified under the Act.

22. Grant of GNA

22.1. Grant of additional GNA to STU

(a) The Nodal Agency shall process all applications received under Regulation 19.1 of these regulations together, within two months from last day of receipt of applications and grant additional GNA to STU based on available transmission capacity, or on pro-rata basis, if necessary. GNA once granted shall remain valid until relinquished.

(b) The Nodal Agency shall grant additional GNA to STU based on applications received under Regulation 19.2 of these regulations by 31st March of the same financial year, keeping in view the available transmission capacity or timeline of augmentation, indicating the date from which such additional GNA shall be effective. GNA once granted shall remain valid until relinquished.

(c) The total GNA of STU shall be the sum of GNA deemed to have been granted under Regulation 18.1 and additional GNA granted under this Regulation.

(d) Intra-State entity-wise GNA deemed to have been granted to STU under Regulation 19.1 and additional GNA granted under this Regulation shall form the basis for raising the bills under the Sharing Regulations to such intra-State entities.

22.2. Grant of GNA to entities other than STU

(a) Connectivity grantees covered under Regulation 4.1 of these regulations shall be deemed to have been granted GNA, equal to the quantum of Connectivity from the start date of Connectivity. In the event of split or transfer of Connectivity in terms of Regulation 15 of these regulations, the corresponding GNA shall be deemed to have been split or transferred, as the case may be.

(b) The Nodal Agency shall grant GNA to entities covered under clauses (ii) to (v) of Regulation 17.1 specifying start date of GNA, as per the following timeline:

(i) where GNA is granted on the existing system: by the end of the month subsequent to the month in which application complete in all respects has been received;

(ii) where augmentation of transmission system is required: within 180 days from the end of the month in which application complete in all respects has been received:

Provided that the Nodal Agency shall grant GNA with start date of GNA keeping in view the timeline of augmentation of the transmission system.

(c) Entities covered under clause (iv) of Regulation 17.1 and

(i) applying GNA for injection into the Indian Grid shall comply with all requirements as applicable to entities under Regulation 4.1:

(ii) For entities covered under Regulation 22.2 (c) (i), Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 shall be returned in accordance with Regulation 16 of these regulations or on expiry of period of GNA, whichever is earlier;

(iii) applying GNA for drawal from the Indian Grid shall comply with all requirements as applicable to entities under Regulation 17.1(iii).

(d) Entities covered under Regulation 4.1 and clause (iii) of Regulation 17.1 of these regulations shall furnish one-time GNA charge for Rs. one lakh per MW for the quantum of GNA one month prior to the start date of GNA. In case, such charges are not furnished by the entity within the specified timeline, the same shall be recovered by encashment of Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 as required. The proceeds of such one-time GNA charge shall be used for reducing Monthly Transmission Charges under the Sharing Regulations.

Provided that the entities covered under Regulation 17.1(iii) shall pay monthly transmission charges for its GNA in addition to one time GNA charge in accordance with the Sharing Regulations.

22.3. Details of entities which have been granted GNA along with quantum, period and start date of GNA shall be published by the Nodal Agency, on its website, within one (01) month of grant of GNA.

22.4. Effective Date of GNA

(a) For Connectivity grantees covered under Regulation 4.1 of these regulations, the effective date of GNA of such Connectivity grantees shall be the start date of Connectivity or COD of ATS, whichever is later.

Provided that where only some of the transmission elements of the ATS have achieved COD before the COD of the ATS and the Connectivity grantee seeks part effectiveness of its Connectivity, the Nodal Agency shall make such part Connectivity and corresponding GNA effective, subject to availability of transmission system.

Provided also that where such GNA is yet to become effective, such entity shall be eligible to get its power scheduled partly or fully of the quantum of Connectivity sought for, subject to availability of transmission system by treating such access as deemed T-GNA, and shall not be required to pay T-GNA charges.

(b) For entities covered under Regulation 17.1, in case the effective date of GNA intimated in the grant of GNA is to be revised keeping in view COD of the augmentation identified at the time of grant of the GNA, the Nodal Agency shall, at least 3 (three) months prior to the revised effective date of GNA, give a notice to such entities, indicating the revised date from which the GNA shall be effective.

(c) For entities covered under Regulation 17.1, where such entity seeks to advance the date from which GNA shall be effective for full or part quantum of GNA granted, the Nodal Agency shall make such GNA effective, subject to availability of transmission system.

23. Use of GNA by other GNA grantee(s)

23.1. An entity covered under Regulation 17.1 which is a GNA grantee, may authorise other entities covered under Regulation 17.1 which are GNA grantee(s), to use its GNA, in full or in part, with prior approval of the Nodal Agency, for a period not exceeding 1 (one) year at a time on mutually agreed terms and conditions:

Provided that payment liability for transmission charges shall continue to be with the original GNA grantee that authorised its GNA to be used by other GNA grantee(s):

Provided further that for the purpose of calculating the transmission deviation charges under the Sharing Regulations, GNA authorised to be used by other GNA grantee(s) shall be reduced from original GNA grantee that authorised its GNA to be used by other GNA grantee(s) and shall be added to GNA of other GNA grantee(s) which is using it.

23.2. The GNA grantee that intends to authorise the use of its GNA by other GNA grantee(s), shall apply to the Nodal Agency in terms of the Detailed Procedure for Connectivity and GNA issued in accordance with Regulation 39.1.

Chapter-5

Relinquishment of Connectivity and GNA

24. Relinquishment of Connectivity

24.1. Connectivity grantee may relinquish, in full or in part, the Connectivity with a notice of 30 days to the Nodal Agency. The Nodal Agency shall issue revised grant of Connectivity to such Grantee, in case the Connectivity has been relinquished in part.

24.2. For entities covered under Regulation 7.1 and where Conn-BG2 and Conn-BG3, as applicable, has been furnished as per Regulation 8.2 of these regulations, the following shall apply:

- (a) In case of relinquishment of full quantum of Connectivity, (i) subsisting Conn-BG1 shall be encashed, (ii) subsisting Conn-BG2 shall be encashed if the terminal bay(s) are already developed or construction of which has already been awarded for implementation and (iii) subsisting Conn-BG3 shall be encashed.
- (b) In case of relinquishment of part quantum of Connectivity, (i) subsisting Conn-BG2 shall be encashed in proportion to the relinquished quantum of Connectivity if the terminal bay(s) are already developed or the construction of which has already been awarded for implementation and (ii) subsisting Conn-BG3 corresponding to the relinquished quantum of Connectivity shall be encashed. Conn-BG1 shall be returned in terms of Regulation 16.1 considering full capacity after excluding such relinquished quantum.
- 24.3.** For entities covered under Regulation 7.2 and where Conn-BG2 has been furnished as per Regulation 8.3 of these regulations, the following shall apply:
- (a) In case of relinquishment of full quantum of Connectivity, subsisting Conn-BG1 shall be encashed and subsisting Conn-BG2 shall be encashed corresponding to the ATS and terminal bay(s), construction of which has already been awarded for implementation.
- (b) In case of relinquishment of part quantum of Connectivity, subsisting Conn-BG2 shall be encashed in proportion to the relinquished quantum of Connectivity corresponding to the ATS and terminal bay(s), construction of which has already been awarded for implementation. Conn-BG1 shall be returned in terms of Regulation 16.1 considering full capacity after excluding such relinquished quantum.
- 24.4.** In case of revocation of Connectivity or relinquishment of Connectivity, corresponding GNA shall be reduced. In case a Connectivity grantee relinquishes the Connectivity in full, it shall be disconnected from the ISTS from the date of relinquishment of Connectivity. On revocation, there shall be no more billing for the corresponding quantum, under Regulation 13 of the Sharing Regulations.
- 24.5.** The proceeds of encashed Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 in terms of Regulations 24.2 or 24.3 of these regulations, shall be used for reducing Monthly Transmission Charges under the Sharing Regulations.
- 25. Relinquishment of GNA**
- 25.1.** For an entity covered under Regulation 17.1, GNA once granted can be relinquished with a notice of 30 days to the Nodal Agency, in full or in part, on payment of relinquishment charges in advance as per following:
- (a) For an entity covered under clause (i) of Regulation 17.1 of these regulations, STU may relinquish GNA on behalf of identified intra-State entity. The relinquishment charges shall be equal to 24 times the transmission charges paid by such intra-State entity for the last billing month under the Sharing Regulations, corresponding to the relinquished quantum.
- (b) For an entity covered under clauses (ii) to (iv) of Regulation 17.1 of these regulations, the relinquishment charges shall be equal to 24 times, the transmission charges paid by such entity for the last month under the Sharing regulations, corresponding to the relinquished quantum.
- Provided that, if the balance period of GNA is less than 24 months, the relinquishment charges shall be equal to the number of balance months times the transmission charges paid by such entity for the last month under the Sharing Regulations, corresponding to the relinquished quantum.
- (c) Relinquishment charges received under clauses (a) and (b) of this Regulation shall be used for reducing Monthly Transmission Charges under the Sharing Regulations.
- (d) On relinquishment of full quantum of GNA by entity covered under clause (iii) of Regulation 17.1 of these regulations, such entity shall be disconnected from the grid.
- 25.2.** In case an intra-State entity including a distribution licensee having GNA covered under clause (i) of Regulation 17.1, substitutes GNA with GNA under clause (ii) of Regulation 17.1, GNA for such intra-State entity shall be reduced from the total GNA of STU as held under clause (c) of Regulation 22.1, for the quantum so substituted and for such substituted period.

CHAPTER 6

Temporary General Network Access

- 26. Eligibility for Temporary GNA**
- 26.1.** The following entities shall be eligible as Applicants to apply for T-GNA to ISTS:
- (a) As buyers,
- (i) Distribution licensee directly connected to ISTS;
- (ii) Bulk consumer directly connected to ISTS;

- (iii) A buying entity connected to intra-State transmission system or to distribution system connected to such intra-state transmission system;
- (iv) Generating station including REGS for meeting its auxiliary consumption or start-up power or for meeting its supply obligations in terms of clause (3) of Regulation 6 of the Power Market Regulations;
- (v) Captive generating plant;
- (vi) Standalone ESS;
- (vii) REGS for drawal during non-generation hours.

(b) Trading licensee (i) on behalf of buyer(s) covered under clause (a) of this Regulation, and (ii) engaged in cross border trade of electricity in terms of the Cross Border Regulations for injection into or drawal from the Indian grid.

(c) Power exchange for collective transactions or bilateral transactions on behalf of (i) buyer(s) covered under clause (a) of this Regulation, and (ii) trading licensee(s) engaged in cross border trade of electricity in terms of the Cross Border Regulations for injection into or drawal from the Indian grid.

26.2. A GNA grantee shall be eligible to apply for T-GNA over and above the GNA granted to it, as per eligibility under clause (a) of Regulation 26.1 this Regulation.

26.3. The T-GNA applications shall be applied and processed through single window electronic platform, namely, National Open Access Registry (NOAR).

27. National Open Access Registry (NOAR)

27.1. NOAR shall:

- (i) Provide the audit trail of T-GNA applications;
- (ii) Provide an interface with the software of the RLDCs and SLDCs for processing T-GNA applications;
- (iii) Provide an interface with the Power Exchange(s) for validation of standing clearance and processing of intra-day, day ahead contingency, term-ahead, day-ahead and real time transactions;
- (iv) Provide a payment gateway for making payments related to T-GNA;
- (v) Provide Dash Board facility with real time information to RLDCs and SLDCs and act as a repository of information related to T-GNA including standing clearance issued by RLDCs and SLDCs, availability of transmission corridor, pending applications, and T-GNA granted and rejected;
- (vi) Facilitate generation of periodic reports for market monitoring and surveillance; and
- (vii) Facilitate any other functions, as directed by the Commission from time to time.

27.2. NLDC shall be responsible for developing and maintaining NOAR and issue the Detailed Procedure for T-GNA issued in accordance with Regulation 39.2 to operationalize NOAR.

28. Application for grant of T-GNA

28.1. T-GNA may be applied for any period from 1 (one) time block and up to 11 (eleven) months.

28.2. On-line application for grant of T-GNA to the Nodal Agency for a specified quantum and specified time period shall be accompanied by a non-refundable fee of Rupees five thousand (Rs.5000/-).

28.3. An auto-generated acknowledgement for receipt of online application shall be issued. The acknowledgement shall have time and date of receipt of the application and shall be taken as the day (D) of the application for grant of T-GNA.

28.4. Application for grant of T-GNA may be made under any of the following categories:

A. For bilateral transactions

(a) Advance application for grant of T-GNA: Application made on the (D) day for grant of T-GNA starting on or after the (D+3) day, which may fall either in the same month as the (D) day or in the subsequent month.

(b) Exigency application for grant of T-GNA: Application made on (D) day for grant of T-GNA with scheduling for (S) day, which may be (D) day or (D+1) day or (D+2) day, with a minimum start time of 7 (seven) time blocks unless specified otherwise in the Grid Code:

Provided that the Exigency application for grant of T-GNA shall be made for any time block(s) between 0000 hrs to 2400 hrs of the (S) day.

B. For collective transactions

Application shall be made by a power exchange as stipulated in the Detailed Procedure for T-GNA issued in accordance with Regulation 39.2.

28.5. Application for grant of T-GNA for a bilateral transaction shall contain the following:**(a) Advance application category:**

- (i) Quantum of T-GNA in MW;
- (ii) Start time of T-GNA in terms of time-block and date;
- (iii) End time of T-GNA in terms of time-block and date;
- (iv) Point of injection, if available, or in the absence of the point of injection, the target injection region;

Provided that in case of injection into the Indian grid in the course of cross border trade of electricity in terms of the Cross Border Regulations, point of injection shall be furnished along with the application.

(v) Point of drawal;

(vi) Standing Clearance of SLDC under whose jurisdiction the point of drawal is located, in case the buyer is an intra-State entity and;

(vii) In case the seller is an intra-State entity and the point of injection is available, Standing Clearance of SLDC under whose jurisdiction the point of injection is located:

Provided that in case the point of injection and corresponding Standing Clearance of SLDC under whose jurisdiction the point of injection is located is not available at the time of making the application, the same shall be submitted along with the scheduling request in terms of Regulation 33 of these regulations;

(viii) In case the seller is a regional entity and the point of injection is not available at the time of making the application, the point of injection shall be submitted along with the scheduling request in terms of Regulation 33 of these regulations.

(b) Exigency application category:

- (i) Contracted quantum of power (MW) to be scheduled at point of injection;
- (ii) Start time of T-GNA in terms of time-block and date;
- (iii) End time of T-GNA in terms of time-block and date;
- (iv) Point of injection;
- (v) Point of drawal;
- (vi) Standing Clearance of SLDCs under whose jurisdiction the point of drawal and point of injection are located, in case the buyer or the supplier is an intra-State entity, as applicable.
- (vii) Copy of the contract for sale and purchase of power

28.6. Application for grant of T-GNA, under bilateral transactions, shall contain the following declarations by the Applicant:

- (a) That necessary infrastructure for time-block wise metering and accounting in accordance with the provisions of the Grid code and appropriate communication system in accordance with the provisions of the Communication Regulations are in place for the point of drawal and point of injection, if available.
- (b) That at the time of making of the Advance application for T-GNA, if the point of injection has not been identified, availability of necessary infrastructure for time-block wise metering and accounting in accordance with the provisions of the Grid code, appropriate communication system in accordance with the provisions of the Communication Regulations for the point of injection and, the Standing Clearance of SLDC, in case the seller is an intra-State entity, under whose jurisdiction such point of injection is located, shall be submitted along with the scheduling request in terms of Regulation 33 of these regulations.
- (c) That the Applicant indemnifies the Nodal Agency at all times from any and all claims, actions and all other obligations by or to third parties arising out of or resulting from the transactions under T-GNA.

- (d) That there is a valid contract for the proposed scheduling:

Provided that in case of Advance application for T-GNA, the declaration that there is a valid contract for the proposed scheduling shall be submitted, if not already submitted at the time of making application for T-GNA, along with the scheduling request in terms of Regulation 33 of these regulations.

28.7. Application for grant of T-GNA for collective transactions by a power exchange shall contain Regional entity-wise injection or drawal (in MW) for each block.

28.8. The application fees in case of rejection of application for T-GNA shall be forfeited.

29. Processing of applications for grant of T-GNA by Nodal Agency

29.1. T-GNA shall be granted within the Available Transfer Capability (ATC) on the ISTS after accounting for GNA of the GNA grantees.

29.2. The GNA grantees shall have priority over the T-GNA grantees for use of the ISTS.

29.3. Advance applications for T-GNA shall be considered on first-come-first-served basis and shall be processed latest by 23.59 hrs of the (D+1) day, 'D' being the date of making the application.

29.4. Exigency applications for T-GNA with the schedule for (S) day shall be processed as under:

- (a) Applications received till 1300 hrs of (S-1) day shall be processed after 1300 hrs on (S-1) day on first-come-first-served basis, and shall be finalised by 1400 hrs of (S-1) day.
- (b) Applications received after 1300 hrs of (S-1) day or in the (S) day shall be processed within 4 time blocks, on first-come-first-served basis.

29.5. T-GNA for collective transactions under day ahead market shall be processed by 1300 hrs of (S-1) day.

29.6. T-GNA for collective transactions under real time market shall be processed within a time block.

29.7. The Nodal Agency shall verify the following:

(A) In case of intra-State entity:

(i) In case buyer is an intra-State entity, Standing Clearance from SLDC under whose jurisdiction the point of drawal is located, confirming (a) existence of infrastructure necessary for time-block wise energy metering and accounting in accordance with the provisions of the Grid code, (b) appropriate communication system in accordance with the provisions of the Communication Regulations and (c) availability of transmission capacity in the intra-State network;

(ii) In case the seller is an intra-State entity and the point of injection is available, Standing Clearance from SLDC under whose jurisdiction the point of injection is located, confirming (a) existence of infrastructure necessary for time-block wise energy metering and accounting in accordance with the provisions of the Grid code, (b) appropriate communication system in accordance with the provisions of the Communication Regulations and (c) Availability of transmission capacity in the intra-State network;

(iii) Available Transfer Capability (ATC) on the ISTS;

(iv) Declarations as provided in Regulation 28.6, as applicable, have been furnished.

(B) In case of Regional entity:

(i) In case the buyer (point of drawal) is a regional entity, confirmation through the RLDC under whose jurisdiction such point of drawal is located:

(a) existence of infrastructure necessary for time-block wise energy metering and accounting in accordance with the provisions of the Grid code and;

(b) appropriate communication system in accordance with the provisions of the Communication Regulations.

(ii) In case the seller is a regional entity having point of injection under regional control area, confirmation through the RLDC under whose jurisdiction such point of injection is located:

(a) existence of infrastructure necessary for time-block wise energy metering and accounting in accordance with the provisions of the Grid code; and

(b) appropriate communication system in accordance with the provisions of the Communication Regulations in force.

(iii) Available transfer capability (ATC) on ISTS.

(iv) Declarations as provided in Regulation 28.6, as applicable, have been furnished.

30. Grant of T-GNA

30.1. NLDC or the nodal RLDC, as the case may be, shall convey the grant or otherwise of T-GNA to the Applicant as per timelines stipulated in Regulation 29 of these regulations. In the event of rejection of application for grant of T-GNA, NLDC or the nodal RLDC, as the case may be, shall give reasons for such rejection to the Applicant in writing.

30.2. In the event T-GNA as applied for, cannot be granted for full quantum and full period as sought in the application, in view of constraints in transmission system, the application shall be rejected:

Provided that in case the Applicant has given consent in its application that T-GNA for part quantum or part period or both may be granted to it, T-GNA for such part quantum and part period or both shall be granted as per available transmission capacity.

31. Standing Clearance for grant of T-GNA

31.1. The application for Standing Clearance from SLDC, for grant of T-GNA, shall be made online for a specified quantum and specified period.

31.2. Where the existence of necessary infrastructure and availability of surplus transmission capacity in the intra-State transmission network have been established, the concerned SLDC shall issue Standing Clearance within three (3) working day of receipt of such application:

Provided that when application for Standing Clearance has been made for the first time by an entity, the concerned SLDC shall issue Standing Clearance to the Applicant, within seven (7) working days of receipt of the application.

31.3. In case the concerned SLDC refuses to issue Standing Clearance on the grounds of non-existence of necessary infrastructure or unavailability of surplus transmission capacity in intra-State transmission network, such refusal shall be communicated to the Applicant through NOAR within the period of three (3) working days or seven (7) working days, as the case may be, from the date of receipt of the application along with reasons for such refusal:

Provided that where the concerned SLDC has not communicated approval or refusal of application for Standing Clearance within the period of three working days or seven working days, as the case may be, the Standing Clearance shall be deemed to have been granted at the end of the next day after expiry of such period of three working days or seven working days, as the case may be, for a period for which such Standing Clearance was applied for or a period of 7 days, whichever is lower.

31.4. The T-GNA Grantee to whom the Standing Clearance has been issued in terms of Regulation 31.2 or deemed to have been issued in terms of Regulation 31.3, shall bid in the power exchange(s) in such a manner that the aggregate quantum in each time block for all the bid(s) under bilateral transactions and collective transactions shall not exceed the quantum of Standing Clearance:

Provided that if the aggregate quantum of bid(s) in the power exchange(s) under bilateral transactions and collective transactions by a T-GNA grantee exceeds the quantum of the Standing Clearance in any time block, NLDC shall debar such T-GNA grantee from participating in bilateral and collective transactions for a period of seven (7) days under intimation to the concerned SLDC;

Provided further that the list of such T-GNA grantees debarred in terms of the above proviso shall be displayed on NOAR.

31.5. The concerned SLDC may revise the quantum or period of the Standing Clearance issued in respect of any T-GNA grantee only in case of constraints in transmission system or in the interest of secure grid operation.

32. Revision of T-GNA

32.1. T-GNA granted under Exigency application category or under Advance application category for a period not exceeding one month cannot be revised.

32.2. T-GNA granted under Advance application category for a period of more than one month may be reduced for the balance period with a prior notice of one (1) month by the T-GNA grantee:

Provided that applicable T-GNA charges for the quantum of T-GNA granted shall be payable for the notice period of one (1) month.

33. Scheduling request for power under T-GNA

33.1. Advance application category:

(a) Scheduling request by T-GNA grantees under Advance application category shall be made on day ahead basis before the opening of bidding window for collective transactions under day ahead market, as per provisions of the Grid Code.

(b) In case the seller is an intra-State entity having point of injection under state control area, the scheduling request shall be accompanied by Standing Clearance in terms of sub clause (vii) of Clause (a) of Regulation 28.5 of these regulations.

(c) In case the seller is an regional entity having point of injection under regional control area, the point of injection shall be furnished in terms of sub-clause (viii) of clause (a) of Regulation 28.5 of these regulations.

(d) The scheduling request shall be accompanied by a declaration that there is a valid contract, in terms of Proviso to clause (d) of Regulation 28.6 of these regulations, along with a copy of contract for sale and purchase of power.

33.2. T-GNA granted under Exigency application category shall be considered as scheduled, which cannot be revised.

33.3. T-GNA grantee under Advance application category may request to schedule power upto its T-GNA quantum at the time of making scheduling request, before the opening of bidding window for collective transactions under day ahead market for the next day:

Provided that in case such T-GNA grantee does not schedule power up to its T-GNA quantum at the time of making scheduling request, the unutilised quantum of T-GNA shall be released for collective transactions under day ahead market, schedule revision by GNA grantees, Exigency applications for T-GNA and collective transactions under real time market in terms of Regulation 36 of these regulations;

34. Transmission charges for T-GNA

34.1. Transmission charge rate for T-GNA, in Rs./MW/time block, for a State shall be published for each month by the Implementing Agency in terms of the Sharing Regulations.

34.2. Transmission charges for T-GNA, in case of bilateral and collective transactions, shall be payable only at point of drawal, as per the last published Transmission charge rate for T-GNA for the State where such point of drawal is located:

Provided that under collective transactions, transmission charges for T-GNA shall be payable for drawal schedules more than GNA quantum or T-GNA quantum or both, as applicable.

34.3. The transmission charges for T-GNA shall not be revised with retrospective effect.

34.4. Payment of transmission charges for T-GNA:

(a) Transmission charges for T-GNA under Advance application category shall be deposited by the T-GNA grantee with the Nodal Agency as under:

(i) For T-GNA up to one (1) month - within three (3) working days of grant of T-GNA:

Provided that where T-GNA is starting within next 3 working days, transmission charges for T-GNA shall be deposited before the start date of T-GNA;

(ii) For T-GNA for more than 1 month - charges for the first month, within three (3) working days of grant of T-GNA but before the start date of T-GNA and charges for each subsequent month including part thereof, if any, on rolling basis, one month in advance.

(b) Transmission charges for T-GNA under Exigency application category shall be deposited along with the application. In case, the Exigency application is approved for part of the applied quantum or part of the applied period or is rejected, the corresponding transmission charges shall be returned by the next day from the date of approval or rejection:

Provided that the applicant may opt for keeping the excess transmission charges with the Nodal Agency to be adjusted against future T-GNA applications.

(c) Under collective transactions, the power exchange shall deposit the transmission charges for T-GNA with the Nodal Agency by the 2400 hrs of (D+2) day, (D) being the day of application for grant of T-GNA:

Provided that the transmission charges for T-GNA for use of intra-State transmission system shall be settled directly by the power exchange with respective State Load Despatch Centre.

(d) In case any scheduling request under T-GNA is not approved by RLDC on day ahead basis or curtailed for the reasons of transmission constraints or grid security, the transmission charges for such quantum not scheduled or curtailed shall be refunded to the T-GNA grantee by 15th day of the next month.

Provided that non-availability of Standing Clearance shall not be treated as constraint in transmission system.

34.5. In case of default in payment of transmission charges for T-GNA, the T-GNA granted shall be cancelled.

- 34.6. In case of delay in payment of T-GNA charges under collective transactions, simple interest at the rate of 0.04% for each day of default shall be payable by the power exchange.

35. Information about applications under T-GNA

The information related to approvals or rejections of applications of T-GNA, revisions or curtailment of schedules, payment schedules and such other matters, shall be made available through NOAR to the respective market participants including providing alerts through email or SMS or such other electronic mode of communication.

Chapter 7

Allocation of Transmission Corridor under GNA and T-GNA

36. Allocation of Transmission Corridor

- 36.1. GNA grantee shall be eligible to schedule power within the GNA granted to it under any contract subject to conditions specified in the Grid Code:

Provided that in case of constraint in transmission system, the available transmission corridor shall be allocated to the GNA grantees in proportion to their GNA within the region or from outside region and the GNA grantee shall be eligible to schedule power under any contract within such allocated transmission corridor.

- 36.2. T-GNA grantee under Advance application category, within the T-GNA granted to it, shall be eligible to schedule power under any contract subject to the conditions specified in the Grid Code:

Provided that in case the day ahead scheduling request of T-GNA grantees for full quantum of T-GNA cannot be accommodated due to non-availability of sufficient transmission corridor, scheduling shall be on pro rata basis for T-GNA grantees in proportion to their T-GNA.

- 36.3. Once the day ahead schedule is finalised for the GNA grantees, schedule for T-GNA grantees under Advance application category of T-GNA shall be finalised over the balance transmission corridor.

- 36.4. After allocation of transmission corridor to GNA grantees and T-GNA grantees under Advance application category, the balance transmission corridor shall be released for collective transactions under day ahead market.

- 36.5. After finalisation of collective transactions under day ahead market, Exigency applications for grant of T-GNA received till 1300 hrs of 'S-1' day or such time as specified in the Grid Code, shall be allocated the transmission corridor.

- 36.6. After the allocation of transmission corridors under Regulations 36.1 to 36.4, the balance transmission corridor may be utilised by GNA grantee by way of revision of schedule, as stipulated in the Grid Code, under any contract within its GNA or under Exigency application category or Real time market based on time stamp for such request.

Chapter 8

Miscellaneous

37. Arrangement for Transition

- 37.1. If an application for grant of Connectivity or grant of Long term Access or grant of Medium Term Open Access has been made in accordance with the Connectivity Regulations, 2009 and the same is yet to be granted as on the date of coming into effect of these Regulations, the applicant shall have the option of, either (a) to withdraw the application, in which case the application fee and bank guarantee, if any, shall be returned, or (b) to convert the application as an application made under these regulations by complying with the requirements under these regulations, which shall be processed in accordance with these regulations:

Provided that such option shall be exercised by the applicant within one month of coming into effect of these Regulations, failing which the application shall be closed and the application fee and bank guarantee, if any, shall be returned.

- 37.2. If Connectivity has been granted but Long Term Access has not been granted in accordance with the Connectivity Regulations, 2009 and Connectivity is yet to become effective as on the date of coming into effect of these regulations, the same shall be treated as under:

(b) The entity shall have the option of, either (i) to convert the Connectivity granted under the Connectivity Regulations, 2009 as Connectivity made under these Regulations complying with the requirements under these regulations, or (ii) to surrender such Connectivity.

(c) Such option under clause (a) of this Regulation shall be exercised by the applicant within one month of coming into effect of these Regulations, failing which the Connectivity granted under the Connectivity Regulations, 2009 shall be considered as surrendered.

(d) In case the Connectivity is surrendered in terms of option (ii) of clause (a) of this regulation or clause (b) of this regulation, Conn-BG1 and Conn-BG2, if any, furnished under the Connectivity Regulations, 2009 shall be returned.

Provided that in case the construction of terminal bay has been awarded for implementation under ISTS through CTU, Conn-BG2 furnished under the Connectivity Regulations, 2009 shall be encashed.

(e) In case, the entity exercises the option to convert the Connectivity granted under the Connectivity Regulations, 2009 as Connectivity under these Regulations in terms of option (i) of clause (a) of this regulation, the Nodal Agency shall, within next 30 days, intimate the amount of Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3, to be paid by such entity in terms of Regulation 8 of these regulations, after adjusting bank guarantee, if any, paid by such entity under the Connectivity Regulations, 2009.

(f) Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 shall be furnished by the entity within two (2) months of intimation under clause (d) of this Regulation.

(g) On furnishing of Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 under clause (e) of this Regulation, existing agreements between the entity and the Nodal Agency shall be aligned with provisions of Regulation 10.3 of these regulations.

(h) On alignment of existing agreements under clause (f) of this Regulation, the entity shall become Connectivity grantee for all purposes under these regulations.

(i) In case the entity fails to furnish Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 as intimated by the Nodal Agency in terms of clause (d) of this Regulation,

(i) the Connectivity granted to the entity under the Connectivity Regulations, 2009 shall be revoked by the Nodal Agency and

(ii) Conn-BG1 furnished, if any, under the Connectivity Regulations, 2009 shall be encashed and

(iii) Conn-BG2 furnished, if any under the Connectivity Regulations, 2009, shall be returned:

Provided that in case the construction of terminal bay has been awarded for implementation under ISTS through CTU, Conn-BG2 furnished under the Connectivity Regulations, 2009 shall be encashed.

37.3. If Connectivity and Long Term Access have been granted in accordance with the Connectivity Regulations, 2009 but either both Connectivity and Long term Access are yet to become effective or Connectivity is effective and Long term access is yet to become effective as on the date of coming into effect of these regulations, the same shall be treated as under:

(1) The quantum of Connectivity granted under the Connectivity Regulations, 2009, for which Long term Access has not been granted shall be treated in terms of clause (1) of Regulation 37.6 or Regulation 37.2 depending on whether such Connectivity quantum is effective or not effective.

(2) Where Long term Access has been granted on the existing system, the treatment of such Long term Access and corresponding quantum of Connectivity shall be as under:

(a) The entity shall have the option of, either (i) to convert the Long term Access granted under the Connectivity Regulations, 2009 as GNA under these Regulations, or (ii) to surrender such Long term Access.

(b) Option under clause (a) of this Regulation shall be exercised by the entity within one month of coming into effect of these Regulations, failing which such Long term Access granted under the Connectivity Regulations, 2009 shall be considered as surrendered.

(c) In case the Long term Access is surrendered in terms of option (ii) of clause (a) of this Regulation or clause (b) of this Regulation, the Application Bank Guarantee, if any, submitted by the entity under the Connectivity Regulations, 2009 shall be returned.

(d) In case, the entity exercises the option (i) of clause (a) of this Regulation to convert the Long term Access granted under the Connectivity Regulations, 2009 as deemed GNA under these Regulations, it shall furnish Conn-BG1 for Rs. 50 lakhs and Conn-BG3 @ Rs. 2 lakh/MW corresponding to such Long term Access quantum within two (2) months of exercising such option.

In case any Conn-BG2 has been furnished under the Connectivity Regulations, 2009, the same shall be treated as Conn-BG2 under these regulations. Subsequent treatment of Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 shall be in terms of Regulations 16.1 to 16.4 of these regulations. Bank Guarantee, if any, furnished by such entity under the Connectivity Regulations, 2009 shall be adjusted.

(e) On furnishing of Conn-BG1 and Conn-BG3 under clause (d) of this Regulation, the Long term access shall be treated as GNA deemed to have been granted under these regulations and the existing agreements between the entity and the Nodal Agency shall be aligned with provisions of these regulations.

(f) In case the entity fails to furnish Conn-BG1 and Conn-BG3 in terms of clause (d) of this Regulation, the Long term access granted to the entity under the Connectivity Regulations, 2009 shall be considered as surrendered in terms of clause (b) of this Regulation.

(g) The quantum of Connectivity for the quantum of Long term access which has been converted into GNA under clause (e) of this regulation, shall be treated as Connectivity granted under these regulations.

(3) Where Long term Access has been granted with system augmentation, the treatment of such Long term Access and corresponding quantum of Connectivity shall be as under:

(a) The entity shall have the option of, either (i) to convert the Long term Access granted under the Connectivity Regulations, 2009 as GNA under these Regulations, or (ii) to surrender such Long term Access.

(b) Option under clause (a) of this Regulation shall be exercised by the applicant within one month of coming into effect of these Regulations, failing which the Long term Access granted under the Connectivity Regulations, 2009 shall be considered as surrendered.

(c) In case the Long term Access is surrendered in terms of option(ii) of clause (a) or clause (b) of this Regulation, the Construction Bank Guarantee furnished under Connectivity Regulations, 2009 shall be encashed to the extent of estimated cost of ATS has been awarded for implementation (maximum up to value of the bank guarantee already furnished) and balance, if any, shall be returned. The quantum of Connectivity granted under the Connectivity Regulations, 2009 for such quantum of Long term Access which has been surrendered shall be treated as per clause (1) of this regulation.

(d) In case, the entity exercises the option (i) of clause (a) of this Regulation to convert the Long term Access granted under the Connectivity Regulations, 2009 as GNA deemed to have been granted under these regulations, the Construction Bank Guarantee already furnished shall be treated as Conn-BG1 for Rs 50 lakhs and balance as Conn-BG2 under these regulations. In case no construction bank guarantee has been furnished pursuant to signing of PPA and PSA, it shall furnish Conn-BG1 for Rs. 50 lakhs and Conn-BG3 @ Rs. 2 lakh/MW corresponding to such Long term access quantum within two (2) months of exercising the option (i) under clause (a) of this Regulation. In case any Conn-BG2 has been furnished under Connectivity Regulations, 2009, the same shall be treated as Conn-BG2 under these regulations. The Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 shall be treated in terms of Regulations 16.1 to 16.4 of these regulations.

(e) On conversion of Construction bank guarantee as Conn-BG1 and Conn-BG2 or furnishing of Conn-BG1 and Conn-BG3 in terms of clause (d) of this Regulation, as applicable, the Long term Access granted under the Connectivity Regulations, 2009 shall be treated as GNA deemed to have been granted under these regulations. The existing agreements between the entity and the Nodal Agency shall be aligned in line with provisions of these regulations.

(f) In case the entity fails to furnish Conn-BG1 and Conn-BG3 in terms of clause (d) of this Regulation, the Long term access granted to the entity under the Connectivity Regulations, 2009 shall be considered as surrendered in terms of clause (b) of this Regulation.

(g) The quantum of Connectivity for the quantum of Long term access which has been converted into GNA under clause (e) of this Regulation, shall be treated as Connectivity granted under these regulations.

37.4. If Medium Term Open Access has been granted in accordance with the Connectivity Regulations, 2009, but is yet to become effective as on the date of coming into effect of these regulations, the same shall be treated as under:

(1) Medium Term Open Access granted to an entity covered under Regulation 4.1 of these regulations shall be treated as under:

- (a) The entity shall have the option of, either (i) to convert the MTOA granted under the Connectivity Regulations, 2009 as GNA deemed to have been granted under these regulations for the period of MTOA, or (ii) to surrender such MTOA.
- (b) Such option under clause (a) of this Regulation shall be exercised by the applicant within one month of coming into effect of these Regulations, failing which the MTOA granted under the Connectivity Regulations, 2009 shall be considered as surrendered.
- (c) In case the MTOA granted under the Connectivity Regulations, 2009 is surrendered in terms of option (ii) of clause (a) or clause (b) of this Regulation, the Bank Guarantee furnished for MTOA, if any, shall be returned.
- (d) In case, the entity exercises the option (i) of clause (a) of this Regulation to convert the Medium term open Access granted under the Connectivity Regulations, 2009 as GNA under these regulations, it shall furnish Conn-BG3 @ Rs. 2 lakh/MW corresponding to such MTOA quantum within two (2) months of exercising option (i) under clause (a) of this Regulation, which shall be returned after completion of the term of MTOA. In case such entity has furnished any bank guarantee for MTOA, the same shall be adjusted. Such MTOA shall be treated as GNA deemed to have been granted under these regulations till expiry of the of MTOA.
- (e) On furnishing of Conn-BG3 under clause (d) of this Regulation, Medium term open Access granted under the Connectivity Regulations, 2009 shall be treated as GNA deemed to have been granted under these regulations. The existing agreements between the entity and the Nodal Agency shall be aligned in line with provisions of these regulations.
- (f) In case the entity fails to furnish Conn-BG3 in terms of clause (d) of this Regulation, the MTOA granted to the entity under the Connectivity Regulations, 2009 shall be considered as surrendered in terms of clause (b) of this Regulation.
- (g) The Connectivity for the quantum of MTOA granted which has been converted into GNA under clause (e) of this regulation, shall be treated as Connectivity granted under these regulations for such quantum of MTOA, till expiry of the term of MTOA post which the entity may apply for converting its Connectivity granted under the Connectivity Regulations, 2009 as Connectivity granted under these regulations.
- (2) Medium Term Open Access granted under the Connectivity Regulations, 2009 to an entity covered under Regulation 17.1 of these regulations, shall be treated as GNA granted to that entity till expiry of the term of Medium Term Open Access, with start date as the date from which such Medium Term Open Access was to become effective.
- 37.5.** Long Term Access granted under the Connectivity Regulations, 2009 which has not become effective, to a trading licensee other than that covered under Regulation 17.1 of these regulations shall be treated as withdrawn and bank guarantee furnished, if any, shall be returned.
- 37.6.** If Connectivity granted in accordance with the Connectivity Regulations, 2009 is effective and Long term Access has either not been granted for any capacity or has been granted for full/part capacity which has become effective as on the date of coming into effect of these Regulations, the following shall apply:
- (1) Entities covered under Regulation 4.1 of these regulations, which have not been granted Long Term Access for any capacity or granted Long term access for part of the capacity qua the Connectivity quantum under the Connectivity Regulations, 2009 may apply for additional GNA for balance quantum of Connectivity under Regulation 17.2 of these regulations. The same shall be processed by the Nodal Agency as under:
- (a) In case additional GNA as applied for under Regulation 17.2 can be granted on existing transmission system, the Nodal Agency shall grant such additional GNA on furnishing Conn-BG3 @ Rs.2 lakh/MW. Conn-BG3 shall be returned in five equal parts over the next five years starting from the year when such GNA becomes effective or in accordance with Regulation 16.2 of these regulations, whichever is later.
- Provided that in case connectivity is relinquished in terms of Regulation 24.1 of these regulations, subsisting Conn-BG3 shall be encashed.
- (b) In case ATS is required for granting such additional GNA, the application shall be processed in accordance with Regulation 8.3 of these regulations. Such additional GNA shall be granted on furnishing of Conn-BG2. The Conn-BG1 shall be returned within 30 days of declaration of commercial operation of capacity for which additional GNA has been granted. Conn-BG2 shall be returned in five equal parts over five years starting from the year when such GNA becomes effective or in accordance with Regulation 16.2 of these regulations, whichever is later.

Provided that where only some of the transmission elements of the ATS have achieved COD before the COD of the ATS and the Connectivity grantee seeks part effectiveness of its GNA, the Nodal Agency shall make such part GNA effective, subject to availability of transmission system.

Provided also that after the GNA has been granted by the Nodal Agency but yet to become effective, such entity shall be eligible to get its power scheduled partly or fully of the quantum of GNA sought for, subject to availability of transmission system by treating such access as deemed T-GNA and shall not be required to pay T-GNA charges.

Provided that in case connectivity is relinquished in terms of Regulation 24.1, subsisting Conn-BG2 shall be encashed in terms of Regulation 24.2 of these regulations.

- (2) Entities covered under Regulation 4.1 of these regulations which have been granted Long Term Access to the target region, shall furnish Conn-BG3 @ Rs. 2 lakh/MW. On furnishing such Conn-BG3, these entities shall be treated as Connectivity grantee under these regulations having GNA corresponding to such Long term access. Conn-BG3 shall be returned in five equal parts over the next five years starting from the year when such GNA becomes effective or in accordance with Regulation 16.2 of these regulations, whichever is later.

Provided that in case Connectivity is relinquished in terms of Regulation 24.1 of these regulations, subsisting Conn-BG3 shall be encashed.

- 37.7.** If Long Term Access granted to entities covered under Regulation 17.1 of these Regulations, in accordance with the Connectivity Regulations, 2009 has become effective it shall be considered as part of GNA deemed to have been granted to the concerned entities under Regulation 18.1.

- 37.8.** Where Medium term open access granted, in accordance with the Connectivity Regulations, 2009 has become effective as on the date of coming into effect of these Regulations, such open access shall be treated as under:

- (a) For entities covered under Regulation 4.1 of these regulations, GNA corresponding to such Medium term open access shall be deemed to have been granted to such entity, till the expiry of the such Medium Term Open Access.

Provided that such entity may apply for GNA under Regulation 17.2 of these regulations.

- (b) Medium Term Open Access granted to the entities covered under Regulation 17.1 of these regulations, shall be considered as part of GNA deemed to have been granted to the concerned entities. The corresponding quantum shall be considered as deemed GNA for entity covered under Regulation 4.1 of these regulations with whom the entity under Regulation 17.1 has entered into PPA.

- 37.9.** Short Term Open Access:

- (a) On the date of coming into effect of these Regulations, Short Term Open Access granted in accordance with the Open Access Regulations shall be treated as T-GNA under Exigency application category, granted for the term of such Short Term Open Access.

- (b) On the date of coming into effect of these Regulations, Short Term Open Access applications under the Open Access Regulations pending with RLDC or NLDC shall be closed.

38. Curtailment

- 38.1.** When for the reason of transmission constraints or in the interest of grid security, as per the provisions in the Grid Code, it becomes inevitable to curtail power flow on a transmission corridor, the transactions already scheduled may be curtailed by the Regional Load Despatch Centre as per the following provisions:

- (a) Transactions under T-GNA shall be curtailed first followed by transactions under GNA.
 (b) Within transactions under T-GNA, bilateral transactions shall be curtailed first followed by collective transactions under day ahead market followed by collective transactions under real time market.
 (c) Within bilateral transactions under T-GNA, curtailment shall be on pro rata basis based on T-GNA.
 (d) Within transactions under GNA, curtailment shall be on pro rata basis based on GNA.

39. Detailed Procedure

- 39.1.** Nodal Agency, i.e., CTU shall issue the 'Detailed Procedure for Connectivity and GNA' in line with these regulations, including the following formats after stakeholders' consultation within a period of 3 months of notification of these regulations and submit the same for information of the Central Commission:

- (a) Affidavit by the applicant as referred to in Regulation 5.8;
 (b) Application for Connectivity as referred to in Regulation 5.8;
 (c) Application for utilization of Connectivity under Regulation 5.2;

- (d) Approval for utilization of Connectivity under Regulation 5.2;
- (e) Intimation for in-principle grant of Connectivity as referred to in Regulations 7.1 and 7.2;
- (f) Intimation of details under clause (b) of Regulation 8.3;
- (g) Format for Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 under Regulation 8;
- (h) Intimation for final grant of Connectivity under Regulation 9;
- (i) Technical connection data under Regulation 10.1;
- (j) Intimation of connection details under Regulation 10.2;
- (k) Connectivity Agreement under Regulation 10.7;
- (l) Status updation of scope of works under Regulation 11.1;
- (m) Status updation of ATS and terminal bay(s) under regulation 11.2;
- (n) Status of allocation of terminal bay(s) and other details under Regulation 11.5;
- (o) Application for transfer of Connectivity under Regulation 15.3;
- (p) Application for grant of GNA under Regulation 17.1 and 17.2;
- (q) Grant of GNA under regulation 22;
- (r) Application for use of GNA by other GNA grantee(s) under Regulation 23;
- (s) Relinquishment of Connectivity under Regulation 24;
- (t) Relinquishment of GNA under Regulation 25;

Provided that the Nodal Agency shall submit the Detailed Procedure in respect of Regulations 4.3, 5, 6, 10.7, 15, 16.2, 18.1, 23, 24, 25 and 37 of these regulations for approval of the Central Commission.

39.2. For T-GNA, NLDC shall issue the Detailed Procedure for T-GNA including the following formats after stakeholders' consultation within a period of 3 months of notification of these regulations and submit the same for information of the Central Commission:

- (a) Advance Application under Regulation 28.4
- (b) Exigency Application under Regulation 28.4;
- (c) Application by power exchange under Regulation 28.4;
- (d) Grant of T-GNA under Advance application category under Regulation 30;
- (e) Grant of T-GNA under Exigency application category under Regulation 30;
- (f) Grant of T-GNA under collective transactions under Regulation 30;
- (g) Standing clearance under Regulation 31;
- (h) Scheduling request under Regulation 33;
- (i) Transmission charges payable by power exchange under Regulation 34.4(c)

Provided that NLDC shall submit the Detailed Procedure in respect of Regulation 36 of these regulations for approval of the Central Commission.

40. Payment of charges

40.1. The transmission charges and losses for use of the inter-State transmission system shall be shared among drawee DICs of ISTS including entities covered under Regulation 17.1(iii) of these regulations, in accordance with the Sharing Regulations.

40.2. One time GNA charges shall be payable by entities covered under Regulation 4.1 and clause (iii) of Regulation 17.1 of these regulations in terms of clause (d) of Regulation 22.2 of these regulations.

40.3. The fees and charges for National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centres (including the charges for Unified Load Despatch Scheme) and State Load Despatch Centres shall be payable by the GNA grantees as per the applicable Regulations.

40.4. Deviation charges shall be applicable as per the DSM Regulations.

41. Power to Relax

The Central Commission, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by an affected party to remove the hardship arising out of the operation of these regulations.

42. Power to Remove Difficulty

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Central Commission may, on its own motion or on an application made before it by affected party by order, make such provision not inconsistent with the provisions of the Act or provisions of other regulations specified by the Central Commission, as may appear to be necessary for removing the difficulty in giving effect to the objectives of these regulations.

43. Repeal and Savings

43.1. Save as otherwise provided in these regulations, the Connectivity Regulations, 2009 and the following Procedures thereunder, are hereby repealed:

(a) Detailed Procedures of Central Transmission Utility under clause (1) of Regulation 27 of the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009 dated 31.12.2009.

(b) Detailed procedure for “Grant of connectivity to projects based on renewable sources to inter-state transmission system” dated 15.05.2018 along with Revised procedure for “Grant of connectivity to projects based on renewable sources to inter-state transmission system” dated 20.02.2021.

43.2. Save as otherwise provided in these regulations, the Open Access Regulations and the following Procedures issued thereunder, are hereby repealed:

(a) Procedure for Scheduling Short-Term Open Access in Inter-State Transmission (Bilateral Transaction) dated 30.6.2011

(b) Short-Term Open Access in Inter-State Transmission (Collective Transaction) Procedure for Scheduling dated 30.6.2011.

(c) “Procedure for Short Term Open Access in inter-State Transmission System through National Open Access Registry (NOAR) dated 1.4.2022” under Regulation 4 of the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission)(Fifth Amendment) Regulations, 2018.

43.3. Notwithstanding such repeal:

(a) Clause (7) of Regulation 8 of the Connectivity Regulations, 2009 related to infirm power and start up power and Procedure for availing Start up power from the Grid by the Generating Stations under commissioning phase through Deviation Settlement Mechanism dated 12.8.2014, shall continue to be in force till corresponding provisions are included in the Grid Code and become effective.

(b) Sub-clause (g-a) of Clause (1) of Regulation 2, sub-clause (ma) of clause (1) of Regulation 2, clause 13(A) of Regulation 13 and clause (1) of Regulation 20 of Open Access Regulations, related to Real time market and Procedure for Scheduling of Collective Transactions through Real Time Market shall continue to be in force till corresponding provisions are included in the Grid Code and become effective.

(c) Long term Access for export to Bangladesh shall continue to be in effect as per the existing arrangement including, payment for transmission charges.

(d) All the agreements executed under the repealed regulations shall be aligned with these regulations within 30 days of notification of these regulations.

44. Issue of Suo Moto Orders and directions

The Central Commission may from time to time issue suo moto orders and practice directions with regards to implementation of these regulations and matters incidental or ancillary thereto, as the case may be.

HARPREET SINGH PRUTHI, *Secy.*

[ADV.T.-III/4/Exty./185/2022-23]

Annexure-I

GNA for States and other entities

State	Yearly Average of Daily Max ISTS drawal (X ₁) (MW)	Yearly Max ISTS drawal (Y ₁) (MW)	A ₁ = 0.5* X ₁ + 0.5* Y ₁ (MW)	Yearly Average of Daily Max ISTS drawal (X ₂) (MW)	Yearly Max ISTS drawal (Y ₂) (MW)	A ₂ = 0.5* X ₂ + 0.5* Y ₂ (MW)	Yearly Average of Daily Max ISTS drawal (X ₃) (MW)	Yearly Max ISTS drawal (Y ₃) (MW)	A ₃ = 0.5* X ₃ + 0.5* Y ₃ (MW)	GNA (MW) = Average of A ₁ A ₂ & A ₃
	2018-19			2019-20			2020-21			
Northern Region										
Chandigarh	262	474	368	267	431	349	233	383	308	342
Delhi	3735	5626	4681	3954	6257	5105	3642	5646	4644	4810
Haryana	5004	7739	6371	5728	8117	6922	5756	9132	7444	6913→ 5418**
HP	793	1421	1107	743	1398	1071	751	1675	1213	1130
J&K	1605	2210	1907	1570	2305	1937	1728	2444	2086	1977
Punjab	3556	6608	5082	4198	6681	5440	4823	7119	5971	5497
Rajasthan	3946	5668	4807	4429	7834	6131	5144	7512	6328	5755
UP	7343	10648	8996	8551	12500	10525	8999	12952	10975	10165
Uttarakhand	1154	1654	1404	1016	1761	1389	1117	1709	1413	1402
Western Region										
Chhattisgarh	1320	2492	1906	1743	2626	2184	1716	3001	2358	2149
Dadra Nagar Haveli	757	825	791	776	839	807	664	894	779	792
Daman Diu	320	355	337	317	363	340	278	367	323	334
Goa	476	598	537	518	639	578	459	596	527	548
Gujarat	5491	8852	7172	4373	6547	5460	4731	8611	6671	6434
Madhya Pradesh	5363	8268	6815	5611	8521	7066	6639	9764	8202	7361
Maharashtra	6804	10488	8646	6751	9053	7902	7535	10344	8940	8496
Southern Region										
Andhra Pradesh	2994	5015	4004	3094	5791	4443	4095	6110	5102	4516
Karnataka	3225	5026	4125	3232	4805	4019	3658	6312	4985	4376
Kerala	2269	2913	2591	2548	3034	2791	2365	2946	2655	2679
Pondicherry	359	413	386	376	464	420	352	427	390	398
Tamil Nadu	6962	9732	8347	7673	10496	9085	7973	12227	10100	9177
Telangana	4511	6515	5513	4453	8145	6299	4720	8494	6607	6140
Eastern Region										
Bihar	4291	5036	4664	4520	5664	5092	4773	5973	5373	5043
DVC*	687	996	841	829	1,158	993	881	1,187	1,034	956
Jharkhand	919	1167	1043	927	1270	1099	1050	1325	1188	1110
Odisha	1909	3080	2494	1300	3166	2233	825	2661	1743	2157
Sikkim	88	111	99	92	132	112	92	149	121	111
West Bengal	2549	6710	4629	2719	5334	4026	2091	4274	3183	3946

State	Yearly Average of Daily Max ISTS drawal (X ₁) (MW)	Yearly Max ISTS drawal (Y ₁) (MW)	A ₁ = 0.5* X ₁ + 0.5* Y ₁ (MW)	Yearly Average of Daily Max ISTS drawal (X ₂) (MW)	Yearly Max ISTS drawal (Y ₂) (MW)	A ₂ = 0.5* X ₂ + 0.5* Y ₂ (MW)	Yearly Average of Daily Max ISTS drawal (X ₃) (MW)	Yearly Max ISTS drawal (Y ₃) (MW)	A ₃ = 0.5* X ₃ + 0.5* Y ₃ (MW)	GNA (MW) = Average of A ₁ A ₂ & A ₃
North Eastern Region										
Arunachal Pradesh	135	155	145	119	155	137	107	134	120	134
Assam	1273	1583	1428	1304	1737	1520	1391	1885	1638	1529
Manipur	174	211	193	179	216	198	196	246	221	204
Meghalaya	167	319	243	170	327	248	147	298	223	238
Mizoram	72	115	93	77	110	93	79	119	99	95
Nagaland	118	153	135	124	144	134	119	149	134	134
Tripura	225	366	295	222	380	301	261	414	337	311
Other Entities										
Essar Steel	537	747	642	417	703	560	322	649	485	563
Railways-NR-ISTS-UP \$	130	151	140	130	144	137	92	133	112	130
PG-HVDC-NR#	5	9	7	5	11	8	7	11	9	8
PG-HVDC-WR#	5	4	5	3	4	4	4	7	5	5
PG-HVDC-ER#	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2
PG-HVDC-NER#	1	1.4	1.2	0.9	1.4	1.2	0.9	1.4	1.1	1.2
BARC	5	7	6	5	6	5	4	6	5	5
Total	81541	124464	102998	85066	129272	107166	89822	138289	114054	106578

GNA for HVDC_SR shall be 6.15 MW (in addition to the Other Entities included in the above table)

Explanations:

* Drawal by DVC is considered excluding injection from Mejia Thermal Power Station #7 & 8, Durgapur Steel Thermal Power Station #1&2, Koderma Thermal Power Station #1 & 2, Bokaro Thermal Power Station-A #1, Raghunathpur Thermal Power Station #1 & 2, which are connected to CTU system.

** GNA for Haryana shall be 5418 MW after excluding 1495 MW. The Transmission Charges for 1495 MW shall be paid by M/s Adani Power (Mundra) Ltd. as per the Sharing Regulations.

For the purpose of calculation of transmission deviation of Haryana under the Sharing Regulations, schedule by Haryana from M/s Adani Power (Mundra) Ltd. within 1495 MW shall be excluded.

ISTS drawal at HVDC substations have been combined at regional level and accordingly, GNA has been proposed at regional level.

\$ ISTS drawal by Railways (treated as a regional entity) at ISTS interface at Auraiya and Dadri, have been considered for GNA.

Note: GNA for export to Bangladesh shall be equal to 782 MW, same as the Long Term Access granted.

**Central Electricity Regulatory Commission
New Delhi**

No. L-1/261/2021/CERC

Dated: 18.6.2022

CORRIGENDUM

In the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022, ('Principal Regulations'), the following sentence shall be added in Annexure-I after the Table:

“GNA for HVDC_SR shall be 6.15 MW (in addition to the Other Entities included in the above table) ”

**Sd/-
(Harpreet Singh Pruthi)
Secretary**

Note: The above corrigendum shall be incorporated in the Principal Regulations to be notified in the Gazette.

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NEW DELHI**

No.-L-1/261/2021/CERC

CORAM:

**Shri I. S. Jha, Member
Shri Arun Goyal, Member
Shri P. K. Singh, Member**

Date of Order: 31st August, 2023

In the matter of:

Corrigendum to the order dated 14th October, 2022 in Order No.-L-1 /261/2021-CERC

In the matter of:

Approval of 'Detailed Procedure for Connectivity and GNA' under Regulation 39.1 of the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022.

CORRIGENDUM

1. In order to rectify an inadvertent error noticed in the order dated 14.10.2022 in Order No.-L-1 /261/2021/CERC, following correction is made in the said order:

(a) At pages 5 and 6 - Clause (iii) of Para 8 shall stand deleted.

2. All other terms of the order dated 14th October, 2022 in Order No.-L-1 /261/2021-CERC shall remain unchanged.

**Sd/
(P. K. Singh)
Member**

**Sd/
(Arun Goyal)
Member**

**Sd/
(I. S. Jha)
Member**